खण्ड-205, अंक-7
मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1881
(4 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराव, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी मकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम, खां श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहर बख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ नगरपालिका में अंशकालिक मेहतरों के महंगाई भत्ते पर आपत्ति

*१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नगरपालिका आजमगढ़ का इस वर्ष एकाउन्ट चेक करते समय सरकारी आडिटर ने एतराज किया है कि उपरोक्त नगरपालिका अपने मेहतर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अधिक दे रही है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—आडिटर ने नगरपालिका द्वारा अपने मेहतर कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने पर आपत्ति नहीं की है, बल्कि अंशकालिक (part-time) मेहतरों को मंहगाई भत्ता देने के लिये राज्य सहायता (Government subsidy) लेने पर आपत्ति की है ।

*२—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—इसका प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों तथा मेहतर कर्मचारियों (sweepers) के महंगाई भत्ते सरकार द्वारा क्या निश्चित किये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—द्वितीय श्रेणी नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर निम्न प्रकार से हैं :—

५० रु० वेतन तक कर्मचारी का महंगाई भत्ता २० रु०, ५१ से ४५० रु० के बीच में महंगाई भत्ता २५ रुपया, ४५१ रु० व ४७४ रु० के बीच में महंगाई का भत्ता मार्जीनल ऐडजस्टमेंट (marginal adjustment) (ब) द्वितीय श्रेणी नगरपालिकाओं के मेहतर कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता उनके वेतन का २५ प्रतिशत निर्धारित है। इसके अतिरिक्त शासन ने सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जिसमें पूर्णकालिक मेहतर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां (emoluments) ९५ रु० मासिक से अधिक नहीं है, ५ रु० मासिक महंगाई भत्ता अपनी ओर से दिनांक १ अगस्त, १९५७ से दिया है। इसके अतिरिक्त शासन ने नगरपालिकाओं के ऐसे सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को जिनमें पूर्णकालिक मेहतर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां

(emoluments) ९७ रु० ५० नया पैसा तक है, २ रु० ५० नया पैसा तथा ऐसे कर्मचारियों को जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां १०० रु० से अधिक परन्तु २०० रु० माहवार से कम है, ५ रु० मासिक महंगाई भत्ता अपनी ओर से दिनांक १ मार्च, १९५९ से और भी दिया है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि पार्ट टाइम मेहतर जो कार्य करते हैं उनकी आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुये ही आजमगढ़ नगरपालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि उनको महंगाई भत्ता पूरा दिया जाय, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और अपनी आपत्ति को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका के निर्णय की सूचना अभी तक हमारे पास नहीं आयी है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सूचना प्राप्त होने पर सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—विचार अवश्य किया जायगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ नगरपालिका के मेहतर कर्मचारीगण पूर्णकालीन कर्मचारियों का काम करते हैं तिस पर भी उनको पार्ट टाइम कर्मचारी ही माना जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—१ जनवरी, १९५८ से पूर्व के अंशकालिक कर्मचारी थे, लेकिन नगरपालिका ने पहली जनवरी, १९५८ के बाद उनको पूर्णकालिक कर्मचारी मान लिया है । इसलिए उसके बाद जो भत्ता दिया जाता है उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है ।

हरदोई ब्रांच नहर में ब्रीच से क्षति के लिये मुआवजा

*४—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि गत ६/७ अप्रैल के हरदोई जिले के कोतवाली थाने के धनौली गांव के पास हरदोई ब्रांच नहर में लगभग ९० फीट लम्बा ब्रीच हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्रीच का कारण बताने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां, ब्रीच के कारण की अभी जांच हो रही है ।

*५—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त ब्रीच के कारण कितनी क्षति फसल, पशुओं तथा अन्य सम्पत्ति की हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—इस ब्रीच के कारण सात बीघे रबी की खड़ी फसल, ३२८ मन खलियान में पड़ा अनाज और कुछ कच्चे मकानों को क्षति पहुंची । पशुओं तथा अन्य सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

*६—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस ब्रीच से क्षति-ग्रस्त लोगों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—क्षति ग्रस्त लोगों को मुआवजा दे दिया गया है ।

विद्युत् विभाग के एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध कथित गम्भीर आरोप

*७—**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष सन् १९५९ में विद्युत् विभाग के कुछ उच्चतम अधिकारियों को (Suspend) किया गया व उन पर (charge-sheet) लगायी गयी ? अगर हां, तो क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेगी ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---विद्युत् विभाग का कोई भी उच्चतम अधिकारी वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में Suspend नहीं किया गया और न उन पर charge-sheet लगाई गई ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० में या इसके करीब वहां के चीफ इंजीनियर मुअत्तल किये गये थे और कुछ और इंजीनियर भी मुअत्तल किये गये ?

श्री गिरधारीलाल---कोई चीफ इंजीनियर मुअत्तल नहीं किया गया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ऐसी शिकायत भी आयी कि किसी मुअत्तली के सिलसिले में किन्हीं इंजीनियर या किन्हीं अधिकारी ने मिठाई बांटी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---जिस वित्तीय वर्ष के विषय में माननीय मंत्री ने 'जी नहीं' कहा उस वित्तीय वर्ष में विद्युत् विभाग के उच्चतम अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई शिकायत सरकार के पास पहुंची थी ?

श्री धर्मसिंह---शिकायतें तो आती रहती हैं, हो सकता है कि कोई शिकायत आयी हो, लेकिन जैसा निवेदन किया, कोई आदमी सस्पेंड नहीं हुआ ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ सरकार के पास शिकायत आयी है ?

श्री गिरधारीलाल---जो हमारे यहां चीफ इंजीनियर हैं विद्युत् विभाग के उनके खिलाफ एक गुमनाम पत्र आया था । इस प्रकार से जो गुमनाम शिकायतें आती हैं अव्वल तो सरकार उनकी कोई नोटिस नहीं लेती, फिर भी छानबीन करने के बाद कोई बात उनके खिलाफ पायी नहीं गयी ।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को इस बात की लिखित शिकायत प्राप्त हुई कि माननीय चरणसिंह के कैबिनेट से हटने के बाद विद्युत् विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने मिठाई बांटी थी ?

श्री गिरधारीलाल---यहां कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या यह सही है कि सन् १९५८-५९ में विद्युत् विभाग के कोई चीफ़ इंजीनियर इस बात को ले कर सस्पेंड कर दिये गये कि वे अन-क्वालिफाइड हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो सन् १९५९ के बारे में प्रश्न पूछा गया था ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जी, वही मैंने १९५८-५९ का पूछा है ।

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिठाई बांटने वाला समाचार समाचार-पत्रों में छपा था, इस ओर सरकार का ध्यान गया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इन सवालों में मेरा भी जिक्र किया गया, इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसी तुच्छ बातों की तरफ ध्यान देना सरकार शान के खिलाफ समझती है ।

*८---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[हटा दिया गया] ।

*९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित होने के कारण चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी नगरपालिका के ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरपालिका में इस वक्त कितने ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं और किन-किन पदों पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—वाराणसी नगरपालिका में ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या इस समय पचास है। उनके नाम, पद तथा कार्यावधि आदि की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४४–६४५ पर)

*११—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगर पालिका के ग्रेजुएट कर्मचारियों ने एक प्रार्थना-पत्र प्रशासक महोदय, वाराणसी को १६-२–५९ को दिया था कि निरीक्षक तथा समान अन्य पदों पर इनको तरक्की देकर नियुक्तियां की जायं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—हां। वहां के लिपिक वर्गीय कुछ ग्रेजुएट वर्ग कर्मचारियों ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था। यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लिस्ट मुझे दी है तो क्या ऐसा कोई जी० ओ० १९४९ में भेजा गया था कि जो लिपिक काम करते हैं उनमें से जो सीनियर होंगे उनको इन्स्पेक्टर के पदों पर लिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—इस प्रकार का कोई जी० ओ० नहीं भेजा गया, बल्कि नियम यह था कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति नहीं हो सकती थी।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं, उनको इंस्पेक्टर नहीं बनाया गया और जूनियर लोग रेंट विभाग और टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर बना दिये गये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, इसी वास्ते जो नगर महापालिका विधेयक बनाया गया है उसमें प्राविधान रखा गया है कि जितने सर्वेंट हैं उनका फिर से स्क्रीनिंग होगा और उनको ठीक ठीक स्थान उनकी योग्यता के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिया जायगा। इसलिये गवर्नमेंट इसमें अभी पड़ नहीं रही है।

तालबेहट टाउन एरिया के चेयरमैन का त्याग-पत्र

*१२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट जिला झांसी की टाउन एरिया के चेयरमैन ने दिसम्बर १९५८ में त्याग-पत्र दिया था और त्याग-पत्र में अधिकारियों पर कुछ आरोप भी लगाये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है।

झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी को ऋण

*१३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी लि० झांसी को कोई ऋण अथवा अनुदान सरकार ने दिया है ? यदि हां, तो कितना और किस कार्य के लिये ?

श्री गिरधारीलाल--झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी, झांसी को सरकार ने कम्पनी के विकास के लिये चार लाख रुपये का केवल ऋण दिया है ।

*१४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कम्पनी पर ३१ मार्च, १९५९ तक सरकार का कितना रुपया ऋण का बकाया है और कब से ?

श्री गिरधारीलाल--३१ मार्च, १९५९ ई० को कम्पनी पर उक्त ऋण में से मूलधन का ३,१४,२८५ रु० ६८ नया पैसा शेष था ।

अल्मोड़ा नगरपालिका का कथित प्रार्थना-पत्र

*१५--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार को अल्मोड़ा नगरपालिका का प्रार्थना-पत्र सफाई व पानी सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये अनुदान दिये जाने के लिये सन् १९५९ में आया है ? अगर हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं ।

झांसी जिले में सड़कें पक्की करने में व्यय

*१६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग को झांसी जिले में कितना रुपया कच्ची सड़क को पक्की मैटल रोड बनाने के लिय प्रति मील के हिसाब से ग्रांट देती है ?

श्री गिरधारीलाल--सरकार द्वारा कोई ग्रान्ट नहीं दी जाती, परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कच्ची सड़कें पक्की की जा रही हैं उनकी औसत लागत ३६,००० रुपये प्रति मील लगाई गई है ।

कानपुर केसा के मजदूरों का वेतन

*१७--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर केसा के मजदूरों की तनख्वाह वित्तीय वर्ष १९४७-४८ में कितनी थी और वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में कितनी रही है तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कितनी रही है ?

श्री धर्मसिंह--मांगी गई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४६ पर)

श्री ऊदल--मान्यवर, मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में केसा के मजदूरों को तनख्वाह १९४७-४८ में कितनी दी गई और १९५४-५५ में और १९५८-५९ में कितनी दी गई है ? मंत्री जी ने एक-एक मजदूर की तनख्वाह दी है, सामूहिक नहीं दी है । इसलिये मेरा प्रश्न साफ नहीं होता है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी के पास ऐसी कोई लिस्ट आई हो तो मुझे सामूहिक रूप से बता दें ।

श्री अध्यक्ष--यह आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री ऊदल--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि कानपुर के केसा के मजदूरों को सामूहिक तनख्वाह १९४७-४८, १९५४-५५ और १९५८-५९ में कितनी-कितनी दी गई ?

श्री अध्यक्ष--आपका प्रश्न यह था कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर केसा के मजदूरों की तनख्वाह वित्तीय वर्ष १९४७-४८ में कितनी थी और वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में कितनी रही है तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कितनी रही है ?" अब कितना "टोटल" है यह शब्द आप उपयोग में नहीं लाय इसलिये वह यह समझे कि

मजदूरों की अलग-अलग क्या क्या तनख्वाह थी ? आप प्रश्न को स्पष्ट नहीं कर सके । इसलिये जो बात वह समझे उसका जवाब उन्होंने दे दिया । आप फिर से प्रश्न पूछे ।

श्री ऊदल---मान्यवर, इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हम लोगों के पास उत्तर तो नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने स्वतः जिस ढंग से उत्तर दिया है, उसके अनुसार किस-किस ग्रेड में कितने-कितने आदमी थे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने केवल ग्रेड्स दिये हैं ।

श्री राजनारायण---उस ग्रेड में कितने मजदूर थे वह यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष---कितने मजदूर थे यह मूल प्रश्न में बात नहीं है ।

श्री राजनारायण---अगर हो तो बता दें ।

श्री गिरधारीलाल---इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि मजदूरों का जो वेतन १९४७ में था उसमें बड़े अफसरों के मुकाबले में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है ?

श्री धर्मसिंह---१९४७ के बाद तनख्वाह में वृद्धि हुई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केसा के मजदूरों की १९५४-५५ और १९५८-५९ की मजदूरी में कितना अन्तर है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक वेतन का सम्बन्ध है उसमें कोई अन्तर नहीं है । महंगायी भत्ते में थोड़ा-सा अन्तर है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनुसूची दी गयी हैं इसमें किसी प्रकार के बोनस का भी उल्लेख है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है, जहां तक बोनस का सम्बन्ध है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि केसा के मजदूरों को १९४७-४८ में महंगायी भत्ता क्या मिलता था और वित्तीय वर्ष में क्या मिल रहा है ?

श्री धर्मसिंह---महंगाई भत्ता इंडेक्स के अनुसार जैसा समय होता है बढ़ता-घटता रहता है । अप्रैल १९४७ से १५ सितम्बर तक महंगाई का भत्ता ५० रु० ५ नये पैसे था । वित्तीय वर्ष में ५१ रु० ८३ नये पैसे रहा है ।

उरई-जालौन रेलवे लाइन बनाने की केन्द्र से प्रार्थना

*१८---श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उरई से जालौन तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई सिफारिश भेजी है ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री महावीरसिंह)—जी हां ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सिफारिश कब भेजी गयी थी और केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री महावीरसिंह—सिफारिश २६ जुलाई १९५५ को भेजी गयी थी और केन्द्रीय सरकार ने १४ मार्च, १९५७ को सरकार को लिखा था कि इसका सर्वे किया जा रहा है, परन्तु केन्द्रीय सरकार धनाभाव के कारण इस लाइन को नहीं ले सकती ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मांग जनता द्वारा की गयी थी या प्रदेशीय सरकार ने स्वयं अपनी तरफ से सेंटर को सिफारिश की थी ?

श्री महावीरसिंह—दोनों का नतीजा एक ही होता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सरकार से केवल १३ मील लाइन के लिए लिखापढ़ी की गई थी या इससे ज्यादा के लिए लिखा गया था ?

श्री महावीरसिंह—प्रश्न में तो जवाब आ गया ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह लाइन उरई से जालौन तक बनाने का प्रपोजल है या इससे आगे और बढ़ाई जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी तो पहले सवाल सिर्फ उतने ही का है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह सड़क सम्मिलित कर ली गई है या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं ।

जलकुण्डी योजना पर सर्वेक्षण

*१९—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी पर जलकुण्डी योजना में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

श्री धर्मसिंह—इस योजना पर अभी सर्वेक्षण तथा समन्वेषण हो रहा है ।

*२०—श्री बलदेवसिंह—क्या इस विषय में नैपाल सरकार से अनुमति मिल चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण का कार्य कब से हो रहा है और कब तक समाप्त होने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—जी, अभी थोड़ा ही समय हुआ है शुरू हुए और कब तक समाप्त हो जायगा इसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सरकार से केवल सर्वेक्षण की अनुमति मिली है या कि बांध बनाने की ?

श्री धर्मसिंह—केवल सर्वेक्षण की इजाजत मांगी है अभी ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जलकुंडी योजना पर अभी तक सर्वेक्षण में कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री धर्मसिंह—क्योंकि अभी सर्वे समाप्त नहीं हुआ इसलिये नहीं कहा जा सकता कि कितना धन उसमें लगा ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह—अनुमानित एस्टीमेट के हिसाब से १९.४८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जलखाता जलकुंडी में बनने को है उसका पूरा प्लान क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जी पूरा प्लान अभी नहीं बन पाया । केवल सर्वे इत्यादि हो रहा है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जलकुंडी योजना में कुछ नेपाल सरकार ने भी रुपया दिया है ?

श्री धर्मसिंह—उनको बाद में लिखा जायगा, सर्वे इत्यादि करने के बाद में । अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि उनको कितना रुपया देना पड़ेगा ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि १९·४८ करोड़ रुपया अनुमानित व्यय जो है उसमें से अभी तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था इस तरह के आंकड़े अभी तक नहीं हैं कि कितना रुपया खर्च हुआ है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जलकुंडी योजना के सिलसिले में नेपाल सरकार से जो समझौता हुआ है वह क्या हुआ है, किस प्रकार से ?

श्री गिरधारीलाल—अभी तक कोई समझौते की बात नहीं हुई है। केवल सर्वे और इन्वेस्टीगेशन आदि करने की इजाजत ली है। सर्वे और इन्वेस्टीगेशन के बाद में अगर इस प्रपोजल को ठीक समझा गया तब जाकर नेपाल गवर्नमेंट से बात-चीत करेंगे ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जलकुंडी से लेकर राप्ती जहां घाघरा में मिलती है उसके किनारे के सभी गांवों की यह मांग थी कि जलकुंडी योजना जल्द से जल्द पूरी की जाय ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि जो थोड़े काल से सर्वेक्षण शुरू होने की बात उन्होंने कही, वह पांच साल से अधिक हो गया सर्वेक्षण करते हुए ?

श्री धर्मसिंह—यह देखना पड़ेगा । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जलकुंडी योजना के सम्बन्ध में जो नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा चल रही है या प्रदेशीय सरकार सीधे बातचीत कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस प्रकार से जब दो स्टेटों में एक स्वतंत्र स्टेट हो तो उनके बीच में बातें केन्द्रीय सरकार की इजाजत से होती हैं ।

नलकूपों पर गूलें बनाने की योजना

*२१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूपों द्वारा सिंचन के लिये प्रत्येक नल कूप पर एक मील कच्ची और एक मील पक्की गूलों का निर्माण किये जाने की एक योजना उसने भारत सरकार के समक्ष गत वर्ष प्रस्तुत की थी?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*२२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो यह योजना क्या है और उससे कितने एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन सुविधा प्राप्त होगी तथा कितनी खाद्य सामग्री के उत्पादन की वृद्धि की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने २०५.९७ लाख रुपये की अनुमानित लागत के २,३०० नलकूपों की योजना बनाई है जिससे १,४९,५०० एकड़ अतिरिक्त भूमि के सिंचन और ३२,८९० टन अतिरिक्त खाद्य सामग्री के उत्पादन की आशा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते समय जो लक्ष्य सिंचन सुविधा तथा खाद्य उत्पादन का था उसमें उक्त वित्तीय वर्ष में कहां तक सफलता प्राप्त की जा चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। फिलहाल इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों में भी गूलों से पानी उन खेतों तक सुविधापूर्वक नहीं पहुंच पाता जो कारण राजकीय नलकूपों की गूलों के लिये है। तो क्या भारत सरकार ऐसी ही गूलों का निर्माण नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के लिये भी कृपया करायेगी ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह केवल ट्यूबवेल से सम्बन्धित है जो कि २,३०० इस तरह के हैं जहां पर गूल बनाई जायगी। जहां तक नहर का सम्बन्ध है वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नलकूपों पर यह गूल बनने की योजना है उनमें ऐसा कोई सर्वेक्षण माननीय मंत्री जी ने कराया है जिससे यह मालूम हो सके कि जहां पर गूल बनने वाली है उसमें कितने नलकूप फेल हो चुके ?

श्री धर्मसिंह—फेल होने का कोई प्रश्न नहीं हैं। जो ट्यूबवेल इस वक्त है २,३०० उन पर ही गूल बनने का प्रश्न है। उनका सर्वेक्षण किया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि भारत सरकार को जो योजना भेजी गई वह किसी आर्थिक सहायता के कारण भेजी गई थी, यदि हां, तो उसमें कोई सफलता मिली है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, भारत सरकार को यह भेजी गई थी। उसमें पैसा मिला है और उस पैसे के आधार पर यह निर्णय किया गया कि यह गूलें बनेंगी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार ने भारत सरकार के पास इस योजना को भेजने के पूर्व कोई ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि कितनी मील लम्बी गूल पक्की बनेंगी ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि प्रश्न में निवेदन किया गया है जितने ट्यूबवेल हैं उतनी मील गूल बनेंगी और इस तरह का एस्टीमेट इत्यादि भेजा गया था।

श्री राजनारायण—मेरा प्रश्न यह था कि सरकार जब केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की आकांक्षी होती है तो वह अपना एक रफ एस्टीमेट देगी कि इतने मील गूल बननी है और इतने रुपये की आवश्यकता है, तो क्या सरकार ने ऐसे कोई आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि कितने मील लम्बी गूल बननी है ?

श्री धर्मसिंह—जी, यदि इस प्रकार के कोई आंकड़े भारत सरकार को प्रस्तुत न किये जाते तो पैसा कैसे मिलता। उसी के आधार पर यह मिला है।

श्री राजनारायण—तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो गूल पक्की बननी थी वह कितनी मील है ?

श्री धर्मसिंह—वह २,३०० मील है। यह प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया गया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह योजना भारत सरकार को भेजी गयी तो कितना रुपया भारत सरकार ने दिया, कितना उसमें से खर्च हुआ और कितना बाकी है ?

श्री धर्मसिंह—१९५८-५९ में ५ लाख रुपया प्राप्त हुआ था। जो वित्तीय वर्ष १९५९-६० चल रहा ह उसमें भी ५ लाख रुपया प्राप्त हुआ था। कितना खर्च हो चुका है, फिलहाल इसके आंकड़े नहीं हैं।

भांडेर नहर योजना

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चिरगांव (झांसी) भांडेर नहर योजना कब बनी थी तथा उसके अन्तर्गत कितने मील नहर बनना थी ?

श्री गिरधारीलाल—भांडेर नहर योजना माताटीला बांध योजना का एक भाग है इसका निर्माण कार्य १९५४ से प्रारम्भ हुआ था इसके अन्तर्गत ३६ मील लम्बी मुख्य नहर तथा २५० मील लम्बी उपशाखाएं बनी थीं।

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त योजनानुसार वह नहर पूरी बन चुकी है ? यदि नहीं, तो कितनी बन चुकी है और शेष कब तक बन जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—मुख्य नहर ३६ मील प्रायः बन चुकी है। केवल कुछ हिस्सों में मिट्टी का काम होना शेष है उपशाखाएं ६ मील लम्बी बन चुकी हैं पूर्ण रूप से इस नहर को तथा उसकी उपशाखाएं १९६६ तक बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सरसई माइनर नहर बढ़ाने की प्रार्थना

*२५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सरसई माइनर पर १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और सिंचाई से कितना रुपया वसूल हुआ ?

श्री धर्मसिंह—खरीफ १३६६ में २२५ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और २५३५ रुपया वसूल हुआ। रबी १३६६ में २०२ एकड़ भूमि सींची गई और १४८९ रुपया वसूल हुआ।

*२६—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरसई माइनर को आगे बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

मार्टिन बर्न कम्पनी से संबंधित विभिन्न बिजली कम्पनियों को ऋण

*२७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में २६-२-५९ को कितनी बिजली कम्पनियों की Managing Director Martin Burn नामक कम्पनी थी और क्या उनकी सूची वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—मार्टिन बर्न कम्पनी जिन बिजली कम्पनियों के मैनेजिंग एजेंट्स थे उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४७ पर)

*२८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ तथा १-४-५८ से २६-२-५९ तक उपरोक्त बिजली कम्पनियों में से किन-किन ने कर्जे के आवेदन सरकार को किन-किन तारीखों में दिये?

श्री गिरधारीलाल—वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में मार्टिन बर्न ने ऋण के लिये कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास नहीं भेजा।

वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में सर्वश्री मार्टिन बर्न ने निम्नलिखित कम्पनियों के लिए ऋण के वास्ते आवेदन-पत्र दिया :

(१) आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा।
(२) बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइट ऐण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड वाराणसी।
(३) यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड लखनऊ, इलाहाबाद।

*२९—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आवेदनों में (कर्जे के) से कितने १-४-५७ से २६-२-५९ की अवधि में स्वीकृत हुये और कितनी रकम किन-किन कम्पनियों को किन-किन तारीखों में दी गई?

श्री गिरधारीलाल—इस अवधि में कोई ऋण स्वीकृत नहीं हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्टिन ऐण्ड बर्न कम्पनी ने १९५८-५९ में डिजल सेट किराये पर लेने के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया था जिसका उल्लेख राज्यपाल के भाषण में है?

श्री धर्मसिंह—जहां तक आवेदन-पत्र का सम्बन्ध है, वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि कर्ज देने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उल्लेख आवेदन-पत्र का किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई मंजूर नहीं किया गया, उसको देखते हुए जो डिजल सेट किराये पर दिया गया है वह किस आवेदन-पत्र के आधार पर उनको स्वीकृत किया गया है?

श्री धर्मसिंह—जहां तक डिजल सेट का प्रश्न है इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि मार्टिन ऐण्ड बर्न कम्पनी को बिजली के विस्तार के लिये लाइसेंस दिये गये, लेकिन उन्होंने उसका एक्सटेंशन नहीं किया और आपके बिजली इन्स्पेक्टर की तरफ से उनके ऊपर कई मुकदमे चलाये जा रहे हैं फिर भी सरकार उनको कर्जे पर कर्जा देती चली जा रही है?

नोट—तारांकित प्रश्न २७-२९ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछे।

श्री धर्मसिंह—जहां तक कर्जे का सम्बन्ध है जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि २०-२-५९ तक तो कर्जे नहीं दिये, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ कर्जे दिये जिन शर्तों को वे पूरा कर रहे हैं और किन्हीं कारणवश वे शर्तों को पूरा नहीं कर पायेंगे तो उन शर्तों के टूटने पर कोई कार्यवाही की जायगी।

कोटद्वार-बद्रीनाथ मोटर सड़क का निर्माण-कार्य

*३०—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोटद्वार-बद्रीनाथ मोटर रोड कहां तक पक्की बन पाई है और आगामी वर्ष के अन्दर कहां तक पक्की बनाई जायेगी?

श्री महावीरसिंह—कोटद्वार-बद्रीनाथ सड़क कोटद्वार से रुद्रप्रयाग तक १०५ मील पक्की बन रही है जिसमें ६८ मील पक्की बन चुकी हैं और ३७ मील आगामी वर्ष में पूरे होने की आशा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ६८ मील लम्बी सड़क को पक्की बनाने में कुल कितना रुपया और समय खर्च हुआ?

श्री महावीरसिंह—आंकड़े यहां नहीं हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या निर्माण मंत्री महसूस करते हैं कि इस सड़क को पक्की बनाने का कार्य अत्यन्त ही धीमी गति से चल रहा है और इससे गढ़वाल जिले में उद्योग के विस्तार में बाधा पहुंचती है?

श्री महावीरसिंह—ऐसा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—कोटद्वारा बद्रीनाथ मोटर रोड प्रथम पंचवर्षीय योजना का आइटम है अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का?

श्री महावीरसिंह—कांटीन्यूइंग आइटम है। दोनों में है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर किस वर्ष से काम प्रारम्भ किया गया था?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार बद्रीनाथ रोड के पूरा निर्माण होने के लिये कितने रुपये का इस्टीमेट सरकार के पास है?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो प्रश्न पूछा गया है उसका ठीक-ठीक जवाब देना बड़ा कठिन है कि कितना रुपया इसमें खर्च हुआ है, लेकिन अलग-अलग स्टेजेज में और अलग-अलग सोर्सेज से इसके लिये रुपया हासिल हुआ है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूरी स्कीम के लिये ३४ या ३५ लाख रुपया १९५४ या १९५५ में स्वीकृत हुआ था और उसके बाद भी धन स्वीकृत हुआ।

*३१—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—[पहले सोमवार (३-८-५९) को प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।]

*३२-३४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)— [वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५ अगस्त, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले को जल निकास योजनाओं में लेने की प्रार्थना

*३५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३,४५,०००,२४,३२,२४९ और २६,४५,७८८ रुपयों की तीनों जल निकास योजनाओं की सूची में सीतापुर जिले को किसी भी योजना में सम्मिलित न किये जाने का कोई विशेष कारण है?

श्री धर्मसिंह— इन योजनाओं में पश्चिमी जिलों को प्राथमिकता दी गई है जहां वर्षा अधिक होने के कारण सीतापुर जिले की अपेक्षा स्थिति अधिक खराब थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ११ मार्च, १९५९ के प्रश्न संख्या ११३-११५ के उत्तर में २४,३२,२४९ रुपयों की जल निकासी योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद, गुड़गांव, कानपुर, फतेहपुर को ही सहायता दी गयी है? क्या ये जिले पश्चिमी जिलों में शुमार किये जाते हैं ?

श्री महावीरसिंह—यह तो देखना पड़ेगा, उसी के आधार पर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में जल निकास योजना के बनाये जाने का, सरकार, स्थिति अधिक खराब हो जाने तक इन्तजार करेगी या निकट भविष्य में इस प्रश्न के हल किये जाने का आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—इस प्रश्न पर ही जल्द हाउस में जब सप्लीमेंटरी बजट ग्रांट्स पेश होगी, बहस होगी और जैसे ही लेजिस्लेचर उसको पास करेगा इस पर कार्यवाही होगी।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर का कुमायूं के जंगलों से लकड़ी लेने का इकरारनामा

*३६—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के साथ किये गये उस इकरारनामे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसके अनुसार स्टार पेपर मिल अब तक कुमायूं के जंगलों से लकड़ी ले जाती रही है?

श्री धर्मसिंह—†इकरारनामे की एक प्रति सदन की मेज पर रखी है।

*३७—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार भविष्य में उक्त मिल के साथ अब कोई इकरारनामा न करने का विचार करती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—इस मिल के साथ इकरारनामा करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*३८—श्री हरिदत्त कांण्डपाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस समय स्टार पेपर मिल सहारनपुर के जितने डिपो हैं इनमें किस-किस डिपो में कितनी-कितनी लकड़ी जमा है जो कुमायूं के जंगलों से ले जायी गयी है?

श्री धर्मसिंह—स्टार पेपर मिल के पास केवल एक डिपो रामनगर में है वहां पर ६८,१७८ घनफुट पेचदार चीड़ जमा है।

---

†प्रति छापी नहीं गई।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जवाब जो सदन की मेज पर रखा गया है उसके अनुसार एग्रीमेंट की अवधि ३१ अक्तूबर को समाप्त हो गयी है, लेकिन उसके बाद भी अब तक मिल लकड़ी उठाती चली जा रही है, तो वह किस आधार पर लकड़ी उठा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जहां तक इकरारनामे का ताल्लुक है उसमें उनको २ लाख क्यूबिक फिट लकड़ी उठाने का अधिकार था, लेकिन उनसे चूंकि एक मुआहदा होने वाला है उसके हिसाब से उन्होंने कोई ५२,८७८ क्यूबिक फिट और ज्यादा उठा ली है, लेकिन वह काम रोक दिया गया है और जब एग्रीमेंट हो जायगा उसके बाद वह उठाने पायेंग और नये इकरारनामे के हिसाब से कीमत देंगे।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---अध्यक्ष महोदय, उत्तर ठीक नहीं हुआ। मैं तो जानना चाहता हूं कि इस इकरारनामे की अवधि ३१ अक्तूबर, १९५७ को समाप्त हो गई और उसके बाद भी इस मिल ने लकड़ी उठाई है और उठाती चली जा रही है तो किस आधार पर उठाती चली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---उन्होंने जवाब दिया है कि लकड़ी उन्होंने ज्यादा उठाई है जितनी कि इकरारनामे में थी, लेकिन इकरारनामे की गैर-मौजूदगी में किस आधार पर यह लकड़ी उठाई जा रही ह ?

श्री सैयद अली जहीर---माननीय सदस्य का क्या मंशा है कि वह लैप्स हो गया, क्योंकि उसमें तो २ लाख क्यूबिक फिट लकड़ी उठाने की बात थी कि इतनी मुद्दत में वह उठायेंगे, लेकिन अगर जरूरत होगी तो इसके बाद भी वह उठायेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या टर्म्स आफ एग्रीमेंट में यह है कि २ लाख घन फिट बाद में भी उठा सकेंगे या मुद्दत खत्म होने तक ही उठा सकेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---नहीं, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन यह तो प्रिपेरेटरी एग्रीमेंट था कि एक्सपेरिमेंटल परपजेज के लिये ठेका दिया गया था । असल में तो उनको हम कई हजार फिट हर साल लकड़ी देंगे और जब तक उनको जरूरत होगी वह उठाते रहेंगे ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार उस क्लाज को पढ़कर सुनायेगी जिसका इस टर्म से ताल्लुक है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह अंग्रेजी में एग्रीमेंट है, वह मैं पढ़े देता हूं---

"The Seller in consideration of a payment of Rs. 12,500 at a royalty of one anna per cu. ft. (solid) in round to be made by the Buyer as hereinafter provided hereby sells to the Buyer subject to the conditions hereinafter appear ing twisted chir material yielding approximately 2,00,000 cu. fit. (solid) in the round for a period of one year from 1st November, 1956 to 31st October, 1957 from the areas given in Annexure 1 of this deed."

श्री हरिदत्त काण्डपाल---अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है :---

"in the round for a period of one year from 1st November, 1956 to 31st October, 1957 from the areas given in Annexure 1 of this deed."

तो माननीय मंत्री जी ने जैसा बतलाया वह भी इस एग्रीमेंट में कहीं जिक्र नहीं मालूम पड़ता कि उनके साथ कोई ऐसा इकरारनामा था जिसमें शुरू में जो लकड़ी सप्लाई की गई थी वह प्रिपरेटरी ग्राउन्डस् पर थी । इसमें साफ साफ यह है कि एक साल के अन्दर २ लाख क्यू० फि० लकड़ी दी जायगी। मेरा सवाल यह था कि एक साल के बाद जो लकड़ी उठाई गई या उठाई जा रही है वह किस आधार पर उठाई जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया मुआहदा यह था कि पेपर मिल को यहां से बराबर लकड़ी दी जाया करेगी, लकिन उस सिलसिले में एक टेम्पोरेरी ऐग्रीमेन्ट पहले हुआ था कि दो लाख क्यू० फि० लकड़ी दी जायगी, क्योंकि उस वक्त यह पता नहीं था कि जो लकड़ी कटवायेंगे, इतना बड़ा जंगल है, उसकी क्या कास्ट आयेगी, सहारनपुर में उनकी मिल है वहां क्या कीमत पड़ेगी, किस तरह से ले जायेंगे, क्या मशीनरी की जरूरत है, लेबर की क्या कास्ट होगी इसलिये "एक्सपेरिमेन्टल-पर्पज" पर जैसा मैंने कहा यह दी गई थी और उसके बाद इरादा यह था कि १९५७ के पहले ही एक मुआहदा हो जायगा चुनांचे अभी मुआहदे की बातचीत उनसे हो रही है । अभी कुछ शरायत उनसे तय नहीं हुये हैं हालांकि एक मुआहदा, डीड भी लिखा जा चुका था, वह पहले एप्रूव हो चुका था कि मुआहदा इस तरह से होगा, लेकिन चूंकि कुछ सदस्यों ने सवालात किये लिहाजा मुनासिब समझा गया कि इस पर एक मर्तबे दोबारा गौर कर लिया जाय और अगर जरूरत हो तो दो चार शरायत बदल दी जायं मगर मुआहदा बराबर चल रहा है और समझा जा रहा है कि आइन्दा मुआहदे में इससे ज्यादा जो कीमत तय होगी उसके हिसाब से जो माल वह ज्यादा लेंगे उसकी ज्यादा कीमत दे देंगे । मैं भी अर्ज करूंगा कि जहां तक टुइस्टेड चीर का सवाल है, हमारी रिपोर्ट यह है कि यह सिवाय जलाने के और किसी काम में नहीं आती, लेकिन पहले पहल सन् १९५४-५५ में, देहरादून में जो हमारा इंस्टीट्यूट है फारेस्ट का उसने यह दर्याफ्त किया कि यह इन्डस्ट्री के काम भी आ सकती है । इसके पहले हम इस किस्म की लकड़ी जला देते थे और वह किसी काम में नहीं आती थी । लिहाजा इस तरह से यह पहले पहल यूज की गई बजाय इसके कि इसको जला दिया जाया करे और यह समझा गया कि इस तरह से कुछ दाम भी अच्छे मिल सकते हैं और एक इन्डस्ट्री भी कायम हो सकती है, उसमें इसको लगाया जाय । इसी उसूल की बिना पर ऐसा किया गया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितनी लकड़ी सहारनपुर पेपर मिल के जरिये ले जाई गई वह सब लकड़ी कागज के बनाने में इस्तेमाल नहीं आई, क्योंकि मशीन ही नहीं थी, बल्कि वह लकड़ी दूसरे बाजारों में जाकर बेची गई है और ज्यादा कीमत में बेची गई है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस सिलसिले में पहले भी कुछ एतराज हुए थे । हमने इन्क्वायरी की थी और यह मालूम हुआ कि इस तरह के जो आक्षेप लगाये गये वह सही नहीं हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी उन्होंने अपने उत्तर में बतलाया कि दो लाख क्यू० फिट के लिये कन्ट्रेक्ट हुआ था सन् १९५७ तक का तो क्या अब तक दो लाख क्यू० फिट से ज्यादा लकड़ी ली जा चुकी है या उतनी ही ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मैंने अभी बताया कि २ लाख ५२ हजार आठ सौ अठत्तर क्यूबिक फिट ली जा चुकी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २ लाख के अलावा जो लकड़ी ले जायी गई उसके लिये क्या कोई चेक पोस्ट नहीं था जो दो लाख पूरा हो जाने के बाद उनको बन्द कर दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने दो मर्तबे स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो ज्यादा लकड़ी वह लेते जायेंगे उसका रेट वही होगा जोकि नये कन्ट्रैक्ट में निश्चत होगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करावेंगे कि एग्रीमेंट से ज्यादा लकड़ी वहां गई और ट्विस्टेड लकड़ी के अलावा क्लीयर फैलिंग जंगलों में हो रहा है और एलाट हुये जंगलों के अलावा भी जंगल काटे जा रहे हैं और पेपर मिल में वह लकड़ी इस्तेमाल में नहीं आई है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई शिकायत आई है । जंगलों के कटने का एक प्लान होता है कि ये जंगल फलां जमाने में कटेंगे, और उसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं हुई ।

प्राइवेट बिजली कम्पनियों के वार्षिक लेखे

***३९---श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी बिजली की प्राइवेट कम्पनियों के १९५७-५८ के एकाउन्ट्स सरकार के पास नियम २६ (२) इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९५६ के अनुसार एकाउन्ट्स क्लोज होने के कुछ समय के अन्दर आ गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---३३ प्राइवेट बिजली कम्पनियों में से २० के वार्षिक लेखे १९५७-५८ के इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९५६ के नियम २६ (२) के अनुसार निश्चित समय में प्राप्त हो गये हैं ।

***४०---श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को उपरोक्त एकाउन्ट्स आदि के सम्बन्ध में आडिट आफिसर की रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री गिरधारीलाल---अभी वार्षिक लेखे आडिट हो रहे हैं और आडिट अफसर की रिपोर्ट केवल ६ कम्पनियों की सरकार के पास आ गई है । इन में से जिस रिपोर्ट को माननीय सदस्य चाहें तो सभा सचिव के कार्यालय में देख लें ।

***४१---श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिन कम्पनियों के हेड आफिस उत्तर प्रदेश के बाहर हैं उनका आडिट केवल स्थानीय जगहों पर या हेड आफिस या दोनों जगहों पर होता है ?

श्री गिरधारीलाल---दोनों जगहों पर होता है ।

***४२---४३---श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिये गये ।]

***४४---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ११ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

हल्द्वानी तहसील में पनियाली पाइप लाइन बनाने का विरोध

***४५---श्री प्रतापसिंह**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुमायूं भूखण्ड सिंचाई विभाग द्वारा "राष्ट्रीय पेयजल कष्ट निवारण" के अन्तर्गत तहसील हल्द्वानी में पनियाली पाइप लाइन के नाम से, पीने का पानी की योजना बन रही है जिसका स्थानीय काश्तकारों द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां ।

***४६---श्री प्रतापसिंह**---यदि हां, तो इस योजना का विरोध किये जाने का मुख्य सबब क्या है और इसके विरोध स्वरूप कितने शिकायती पत्र जिला अधिकारियों को प्राप्त हुये ?

श्री जयराम वर्मा---विरोधी काश्तकारों के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि पेयजल योजना कार्यान्वित की जायगी तो उन्हें भूसिंचन के लिये पर्याप्त जल न मिल सकेगा इसके विरोध स्वरूप ४ पत्र प्राप्त हुये हैं ।

***४७---श्री प्रतापसिंह**---क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन काश्तकारों द्वारा इस योजना का विरोध किया गया है उनकी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा---पेयजल योजना का कार्य कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

श्री प्रतापसिंह——क्या यह सही है कि यह पेयजल योजना वहां की अन्तरिम जिला परिषद् ने भी पास कर दी और उसे फिर भी न बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा——काश्तकारों को यह आशंका थी कि अगर इससे पेयजल योजना के लिये भी पानी लिया गया तो भूसिंचन के लिये काफी पानी नहीं मिलेगा । उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसे एग्जामिन कर लिया जायगा और अगर दोनों कामों के लिये काफी पानी हुआ तो पेयजल योजना भी चालू कर दी जायगी ।

श्री प्रतापसिंह——क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि कम पानी के लिये कोई शीघ्र प्रबन्ध किया जाय ?

श्री जयराम वर्मा——यह साबित हो गया है कि जल दोनों कामों के लिये काफी है । २५ जुलाई को अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक हुई जिसमें विधायक भी थे और यह तय हुआ कि भूसिंचन के लिये पक्की गूल बना दी जाय और फिर पेयजल योजना बनाई जाय ।

रोहिन पुल पर मोटर ट्रक का किराया घटाने की प्रार्थना

*४८——**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)——क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहिन पुल जिला गोरखपुर से मोटर ट्रक ले जाने का क्या भाड़ा है ?

श्री महावीरसिंह——वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी अनुसूची 'क' में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४८ पर)

*४९——**श्री त्रिलोकीसिंह**——क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंग कि उस पुल के बनने से पहले जब पीपों तथा नाव का पुल बनता था तो उस पर की उतराई का क्या भाड़ा था ?

श्री महावीरसिंह——वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी अनुसूची 'ख' में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४८ पर)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले के मुकाबले भाड़ा बहुत अधिक क्यों हो गया है ?

श्री महावीरसिंह——अब पुल बन गया है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव——भाड़ा बढ़ने से आने जाने वालों को अधिक असुविधा हो गई है, तो क्या सरकार भाड़े को घटावेगी ?

श्री महावीरसिंह——कोई असुविधा नहीं हुई है, बल्कि सुविधा हुई है ।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इस पुल से नैपाल की सीमा से काफी बैलगाड़ियां आती जाती हैं, तो कब से उनसे भाड़ा हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह——पैदल के लिये तो मुफ्त कर ही दिया गया है । गाड़ी का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री प्रतापसिंह——क्या ये पुल पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बन रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस भाड़े को हटाने की कृपा करगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न कई दफा आ चुका है, प्रतापसिंह जी ने खासतौर से इसे पैदा भी किया । पहले भी यह उत्तर दिया गया था कि ये पुल हम इस बुनियाद पर बनवा रहे हैं कि उनकी आमदनी से और पुल बढ़ाते चले जावेंगे । इसलिये और ज्यादा सहूलियत देना सम्भव नहीं है ।

*५०-५१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित होने के कारण तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना के सम्बन्ध में जानकारी

*५२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—(जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में बाढ़-नियंत्रण के लिये सरकार के पास कोई स्थायी योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा कब से कार्यान्वित होने जा रही है ?

*५३—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त जिले में बाढ़ के समय पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिये सरकार के पास कौन-कौन से साधन हैं ?

*५४—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विगत वर्ष में उक्त जिले में कोई बोट स्टीमर (इंजन से चलने वाली छोटी नाव) का प्रबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो इस में कुल कितनी लागत लगी है ? तथा यह काम दे रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कहां से एकत्रित की जा रही है और कब तक हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—अधिकारियों से और जिलों से की जा रही है । समय बतलाना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी के पास गोरखपुर में बाढ़ नियंत्रण के बारे में राप्ती और घाघरा के कन्ट्रोल के लिये कोई योजना विचारार्थ भेजी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया ?

श्री धर्म सिंह—जब तक सूचना एकत्रित नहीं हो जाती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—श्रीमन्, जैसे और सवालों में सूचना एकत्रित करने के नाते वे स्थगित कर दिये जाते हैं तो ये स्थगित क्यों नहीं किये गये ?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब है कि जब सूचना आ जावेगी तो वह आपको दे दी जायगी ।

ग्राम पंचायत मंत्रियों का स्थायी न होना

*५५—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मंत्रियों के मुस्तकिल न करने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी है । उनके मुस्तकिल करने का प्रश्न पंचायतों की आर्थिक दशा पर निर्भर है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन मंत्रियों का वेतन और नियुक्तियां स्वायत्त शासन विभाग से ही होती हैं ? यदि हां, तो फिर इनको मुस्तकिल न करने के क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—यह बात सही है कि पंचायत मंत्रियों के वेतन का भार शासन के ऊपर है। शासन हर साल सहायक अनुदान के रूप में यह रुपया दिया करता है, लेकिन पंचायत मंत्री ग्राम सभाओं के ही कर्मचारी हैं। इसलिये जब तक उनकी आर्थिक दशा अच्छी न हो जाय तबतक उनके ऊपर और भार डालना ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है भी कि पंचायत मंत्रियों और ग्राम सेवकों के पदों का एकीकरण करना भी विचाराधीन है और जब तक इस प्रश्न पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यही उचित प्रतीत होता है कि उनके स्थायीकरण का निर्णय न किया जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या पंचायत मंत्रियों का वेतन राज्य कोष से दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कबूल कर लिया है, उन्होंने कहा है 'हां'।

श्री प्रतापसिंह—क्या प्लानिंग इवैल्युएशन कमेटी ने सिफारिश की है कि या तो इनको मुस्तकिल कर दिया जाय या ग्राम सेवकों के पदों में इनका विलीनीकरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो कब तक सरकार इसकी कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कहना मुश्किल है कि एकीकरण के प्रश्न पर कब तक निर्णय हो जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री रामायणराय—गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो जायेगी और इन मंत्रियों की नियुक्ति भी कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी गोविन्द सहाय रिपोर्ट की इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश के राजस्व का २५ फीसदी गांव सभाओं को दे दिया जाय इन मंत्रियों को मुस्तकिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अभी निवेदन किया गया है कि यह प्रश्न ग्राम सभाओं के ऊपर ही छोड़ा जायगा कि वह कितना कर सकते हैं। उनके ऊपर हम कोई बोझ डालना नहीं चाहते हैं। जो अनुदान देते हैं वह इस दृष्टि से देते हैं कि आज उनकी हालत ठीक नहीं है। अभी जो बोझा है उसको ही वे नहीं उठा पाते हैं, इसलिये और बोझ उनके ऊपर लाद देना ठीक नहीं है और बहुत सी बातें भी इसके मातहत हैं, अतः इस विषय में कोई फैसला लेने से पूर्व उनके ऊपर विचार करना होगा।

हाथरस ब्रांच कोठी पौपिया से गुजरने वाली साइफन का लेविल नीचा होने की शिकायत

*५६—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ ड्रेन का जो साइफिन हाथरस ब्रांच कोठी पौपिया से गुजरती है उसका लेविल ड्रेन के दोनों ओर के खेतों से कितने फीट नीचा है और वर्षा के दिनों में इस नीचान में भरे पानी के निकास की क्या योजना है ?

श्री धर्मसिंह—नाले के साइफन के ऊपर तथा नीचे नाले की तली सामान्य भूमि की सतह से क्रमशः ३.५ तथा ५.० फुट नीची है। नाले का पानी निचान में भरने से रोकने के लिये दोनों पटरियों पर अन्दर से निकाली मिट्टी को बांध के रूप में डाला गया है। ऐसे नीचे स्थानों पर फलैप वाल्वस (flap valves) का प्रबन्ध किया गया है जिससे नीचे भू-भागों का पानी इन वाल्व्स (valves) द्वारा नाले में निकल जावेगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस साइफन की कैपेसिटी कितने दिनों तक पानी निकालने की है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे फ्लैप्स वाल्व की संख्या क्या है और वे कितने दिनों में लग जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इन वाल्ब्स का संबंध है, ये १५ दिन में लग जायेंगे । कितने हैं इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इस ड्रेन का पानी बरसात में बहने लगता है तो इधर-उधर के कितने खेत इफेक्टेड होते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं है ।

सोमवा गांव की माइनर नहर को पानी न मिलना

*५७---श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सोमवा तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में किसी माइनर में नहर का पानी नहीं दिया जा रहा है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां, क्योंकि वहां सिंचाई विभाग का कोई माइनर नहीं है ।

प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में एक प्रश्न भेजा है विचार करने के लिये जो अभी मेरे पास आया है । यह प्रश्नोत्तरों के संबंध में ह, मैं जांच कर के कल इस पर अनुमति देने न देने के बारे में निर्णय दूंगा ।

आजमगढ़ में सस्ते गल्ले की दूकानें कम करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री राम सुन्दर पांडेय जी का है, उसमें आजमगढ़ में जो २०० सस्ते गल्ले की दूकानें थीं, उनमें से शायद अब कुछ कम कर दी गई है । इस संबंध में है, इस विषय पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जब विवाद हुआ था तो काफी विचार हो चुका है और यह प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अर्जेन्ट कहा जा सके । तो इस पर चूंकि बहस हो चुकी है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ला कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती बन्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राज नारायण जी का है, वह इस प्रकार है :---

"गत २९ जुलाई को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एकेडेमिक कौंसिल तथा एग्जिक्यूटिव कौंसिल के प्रस्तावों के रहते हुए उनके विरुद्ध अग्रवाल कालेज तथा सी० एम०

पी० कालेज दोनों कालेजों के "ला" कोर्स को अन्डर ग्रेजुएट मानते हुए पढ़ाने का आदेश दिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ला कालेज में पढ़ने वाले छात्रों की भर्ती बन्द कर दी है। वाइस चांसलर के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद के बार असोसियेशन, टीचर्स असोसियेशन आदि ने प्रस्ताव पास किया है और एक प्रतिनिधि मंडल भी सर्वश्री राज्यपाल, मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री से मिला था, मगर अभी तक उचित व्यवस्था नहीं हुई। फलस्वरूप इलाहाबाद में छात्रों में व्यापक असन्तोष है, हड़ताल हो रही है और विषम परिस्थिति उत्पन्न है। अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह कार्य हुआ, तो उनका जो स्वातन्त्र्य है, उनके स्वातन्त्र्य पर, उनके निर्णय पर अगर आप बहस करेंगे तो कुठाराघात होने की आशंका है। आप कैसे यह समझते हैं कि यह विषय सदन में उठाया जा सकता है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक साधारण सी बात है कि एकेडेमिक कौंसिल और एग्जिक्यूटिव कौंसिल का जो रिज्योलूशन होता है उसके विरुद्ध कोई आचारण नहीं किया जाता है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं डाक्टर रंजन, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश .....

श्री अध्यक्ष—मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि यह सदन में कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री राजनारायण—मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द और एडवोकेट जनरल की यह राय हुई कि ला कोर्स को अब अन्डर ग्रेजुएट माना जाय, उनकी सम्मति हुई और वही कार्य किया गया, उनकी सम्मति वाइसचांसलर समझ गये, और माननीय राज्यपाल जो आदेश करेंगे वह माननीय मुख्य मंत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते और इसलिये विद्यार्थियों की भर्ती बन्द हुई और जितने लड़के पहले भर्ती करते थे वह न करके केवल २५० भर्ती करेंगे और १७० सीटें कम कर दीं।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप मैरिट पर जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह फैसला उन्होंने वाइसचांसलर की हैसियत से किया ?

श्री राजनारायण—वाइसचांसलर को कानून के मातहत ऐक्ट करना होता है। एकेडेमिक कौंसिल और एग्जिक्यूटिव कौंसिल के रिजोलूशन के मातहत।

श्री अध्यक्ष—उसका निर्णय यह सदन तो नहीं करता।

श्री राजनारायण—जी नहीं। तो उसके दोनों रिज्योलशन हैं अपनी जगह पर। परन्तु चूंकि मुख्य मंत्री और एडवोकेट जनरल की ऐसी राय मालूम हुई वह लखनऊ आये हुए थे—उन्होंने इलाहाबाद में जो बात कही उसमें बताया .....

श्री अध्यक्ष—मैंने आपकी बात को सुन लिया। (श्री कमलापति त्रिपाठी से) माननीय शिक्षा मंत्री को इस विषय में बहस होने में कोई आपत्ति है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इसका संबंध तो सरकार से है नहीं और इसीलिये मैं समझता हूं कि इस विषय पर यहां बहस नहीं हो सकती। एडवोकेट जनरल ने कोई राय अगर दी तो वाइस चांसलर को दी, गवर्नमेंट के पास उनकी कोई राय नहीं है और वाइस चांसलर ने जो मैंने पता लगाया माननीय राजनारायण की सूचना पाने के बाद उस मामले को चांसलर को रेफर किया है और उनसे इजाजत मांगी है कि एडवोकेट जनरल की इस राय के मुताबिक हम अपने जो एसोसियेटेड कालेज हैं उनमें ला क्लासेज को खोलने की इजाजत दें। ऐसी सूचना मिली है कि चांसलर के यहां उन्होंने एप्लीकेशन दी, सरकार के यहां कोई सूचना नहीं है, जो कुछ पढ़ा है अखबारों में पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि क्योंकि यह विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्णय का मामला है, इस कारण सदन में इसके ऊपर बिचार नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय के स्वातंत्र्य के ऊपर उससे असर पड़ता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--मैं एक वैधानिक प्रश्न का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। निर्णय तो आपने दे दिया। इस सरकार ने एक कानून बना रखा है। अगर उस कानून की अवहेलना होती है, तो क्या इस सदन में उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--कानून की अवहेलना अगर किसी आटोनोमस बाडी के द्वारा हो तो अदालती कार्यवाही तो खुली है। परन्तु, उसके कार्य के ऊपर हस्तक्षेप करना उसे आटोनामी देने के बाद यह आदरणीय सदन उचित नहीं समझेगा।

क्वीन्स कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ४ सूचनाएं आई हैं। उनमें से एक को मैं स्वीकृति देता हूं। श्री राजनारायण जी की है:--"क्वीन्स कालेज वाराणसी का शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, यह काशी का प्राचीन कालेज है। इस कालेज में एकाएक शिक्षा विभाग के एक फरमान द्वारा कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द कर दी गई है। प्रधानाचार्य की ओर से एक बार नोटिस निकलती है कि विद्यार्थियों की भर्ती होगी फिर जब विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो कहा जाता है कि विभागीय आदेश द्वारा दर्जा ७ तक की भर्ती बन्द कर दी गई है। इस उपर्युक्त परस्पर विरोधी आदेशों से वाराणसी की जनता में व्यापक असन्तोष है।

अतः नियम ५२ के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित कर रहा हूं। कृपया चर्चा एवं स्पष्टीकरण के लिये समय का आवंटन करने का कष्ट करें।"

मैं समझता हूं कि यह शिक्षा मंत्री जी से संबंधित है। (श्री कमलापति त्रिपाठी से) आज आप वक्तव्य देना चाहेंगे या जांच करने के बाद ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, यदि आप कहें तो मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष--आपने जांच कर ली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप अभी वक्तव्य दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह जो माननीय राजनारायण जी ने लिखा है कि यकायक शिक्षा विभाग के फरमान द्वारा कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द कर दी गई है, यह कोई यकायक फरमान नहीं है। मान्यवर, यह सिलसिला एक वर्ष पहले शुरू हुआ। क्वीन्स कालेज में दर्जा ६, ७ और ८ की पढ़ाई बन्द कर दी जाय और ९, १०, ११ और १२ इंटरमीडिएट कालेज चले। जूनियर क्लास के सेक्शन्स वहां से हटाए जायं। इसका निर्णय आज से एक वर्ष पहले हुआ और उसके मुताबिक गत वर्ष दर्जा ६ वहां से हटा दिया गया। दर्जा ६ में जो लड़के उत्तीर्ण हुए वह दर्जा ७ में आ गये और जो लड़के दर्जा ६ में अनुत्तीर्ण हुए वाराणसी में और बहुत से स्कूल हैं वह उनमें भर्ती हो गये। अब इस वर्ष दर्जा ७ के जो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं वे दर्जा ८ में गये और जो अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें आसपास के स्कूलों में भरती किया जा रहा है और वहां दर्जा ७ को तोड़ा जा रहा है। अगले साल हम दर्जा ८ को भी वहां से तोड़ देंगे। यह कोई एकाएक का सवाल नहीं है। गतवर्ष से यह सिलसिला चल रहा है और इसको सभी जानते हैं। यह प्रक्रिया पहले भी एक बार की जा चुकी है। इस बार भी वही की जा रही है और जहां तक मेरी सूचना है वहां पर न कोई असंतोष व्याप्त है और न किसी को कोई कठिनाई है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी के पत्रों में आया है कि जो अभिभावक अपने विद्यार्थियों को भर्ती कराने के लिये ले गये थे वह इस सूचना पर कि ८ जुलाई को वहां के शिक्षाध्यक्ष ने यह खबर दी थी कि अब सातवें दर्जे में भर्ती की जायगी और उनकी सूचना पाकर अभिभावक अपने विद्यार्थियों को ले गये लेकिन बाद को कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिये यह सूचना आई है कि अब भर्ती नहीं होगी इसलिये रोक दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह शिकायत तो अब सामने आयी है, इसकी जांच होगी कि किसने यह आज्ञा निकाली क्योंकि यह सिलसिला गत वर्ष से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप इस शिकायत की जांच करके तब सूचना सदन को दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही मुख्य शिकायत है उनको, क्योंकि उनका कथन है कि पहले लोगों से यह कहा गया कि भर्ती होगी, लेकिन जब विद्यार्थी भर्ती के लिये लोग ले गये तब उनसे कह दिया गया कि अब भर्ती नहीं करेंगे इसके बारे में आप जांच करके सूचना दें।

नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये अन्य विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन् मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब दूसरी जानकारी नहीं हो सकती। एक प्रश्न आ चुका है।

श्री प्रतापसिंह--तो वह विषय जो मैं देना चाहता हूं वह तिब्बत के भोटिया व्यापारी जो नैनीताल में हैं.....

श्री अध्यक्ष--एक दिन में एक ही विषय लिया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह--तो क्या फिर दूसरे दिन दिया जा सकता है। यह तो बहुत इम्पार्टेंट मसला है। सरकार से कह दिया जाय कि वह उस मामले की जांच कर रखें।

श्री अध्यक्ष--अगर सरकार से संबंधित न हो और केन्द्रीय सरकार का विषय हो और आप उसके ऊपर बात ले आयें तो उचित नहीं हो सकता।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

एक ही विषय एक रोज लिया जा सकता है। नियम से बाहर जाना उचित नहीं है।

कार्यवृत्त में छपी अशुद्धि के निराकरण के सम्बन्ध में सुझाव

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैं आपका ध्यान एक अनियमितता की तरफ दिलाऊंगा कि कल ३ अगस्त का जो कार्यवृत्त हमको मिला है उसमें एक ऐसी बात लिखी है जो इस हाउस में नहीं हुई। इसके आखिरी पैराग्राफ में कहा गया कि एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ जिसके लिये कहा गया है कि "यह सदन कोर्टफीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अनुमोदन करता है।" और ठीक इसके विपरीत प्रस्ताव यहां पास हुआ था। इस गलत कार्यवृत्त पर आप ध्यान देंगे और आशा है आप इसे दुरुस्त करायेंगे।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, यह छापे की गलती है। इसको दुरुस्त कर दिया जायगा। छपने में गलती हो गयी है।

श्री राजनारायण के केरल सम्बन्धी कार्य--स्थगन प्रस्ताव जनित भ्रम निवारणार्थ स्पष्टीकरण

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मुझे एक विनम्र निवेदन यह करना है कि कल मैंने एक कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया था केरल में राष्ट्रपति के आदेश के संबंध

[श्री राजनारायण]

में। दुर्भाग्यवश वह प्रस्ताव पढ़ा नहीं गया। किन्तु समाचार पत्रों में जिस प्रकार की खबर छपी है उससे हमारे बारे में भ्रांति पैदा हो जाती है। इसलिये मैं आपके द्वारा कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं उसे खुद पढ़ूंगा। आपने मुझे लिखित दे दिया है। मैं उतना स्पष्टीकरण कर देता हूं जितना आप चाहते थे।

श्री राजनारायण---मैं स्वयं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---तो कृपा करके इतना स्पष्टीकरण कर दीजिये जिससे हमारे बारे में कोई भ्रान्ति न रहे।

श्री अध्यक्ष---मैं उतना ही स्पष्टीकरण दूंगा जितना आपने मुझसे टेलीफोन करके बातचीत करके भ्रम दूर करने की बात कही थी। उसके बाद आपने जो लिखित बातें भेजी हैं उसमें आपने और बहुत सी चीजें मिला दी हैं उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वह उससे संबंधित नहीं है। अपने कामरोको प्रस्ताव में आपने यह भी कहा था कि केरल सरकार भी गलती पर थी क्योंकि उसने इस्तीफा नहीं दिया, यह भी उसका कार्य अवैधानिक था। आपने यह भी कहा कि प्रेसीडेंट ने जो अपने हाथ में अधिकार ले लिया है उसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं उसको भी आपने वैधानिक नहीं समझा। दोनों के लिये आपका आक्षेप था। और प्रान्तों के बारे में भी आपकी राय थी कि उनके मंत्रिमंडलों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए उसको मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं समझता हूं कि उनसे कोई सीधा संबंध विषय से था ही नहीं, विषय तो केरल के बारे में था। तो केरल के बारे में आपकी जो राय थी, उसके बारे में मैंने अभी स्पष्टीकरण दे दिया और राष्ट्रपति ने कोई फैसला किया उसके ऊपर भी कोई चर्चा हो या न हो उस संबंध में भी मैंने चर्चा को अवैध करार दिया। तो यह स्पष्टीकरण मैंने कर दिया था आपकी पोजीशन साफ करने के लिए।

मंत्रिमंडल से इस्तीफे के उपरान्त श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य देने के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। श्री चरणसिंह जी अपना वक्तव्य इस्तीफे के संबंध में २१ तारीख को देंगे, यह फैसला हो गया है।

विज्ञप्तियों को विलम्ब से मेज पर रखने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री का स्पष्टीकरण

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मोतीलाल अवस्थी जी द्वारा उठाये गये प्रश्न से संबंधित कि दो विज्ञप्तियां संख्या एम० बी० आर० ए० एम० १९-३०४ टी० एम० ३०-३१७ टी ५७ दिनांक १६ फरवरी, १९५९ व एस० आर० टी० एस० डी० आर० ए० एम० १७५७ टी० एम० ३०-४४९२ टी० ५५ दिनांक २० फरवरी, १९५९ सदन की मेज पर बजट सेशन में क्यों नहीं रखी गईं .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तो कई दफा पढ़ा जा चुका है। 'पहाड़े जैसा मालूम होता है जैसे कोई पहाड़ा पढ़ रहा है। नम्बरों से किसी को दिलचस्पी नहीं है। क्यों सदन में विज्ञप्तियां देर से आईं इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दें दें।

डाक्टर सीताराम---ये विज्ञप्तियां ७ मार्च, १९५९ को गजट में प्रकाशित हुईं । इनकी प्रतिलिपियां क्रमशः १ व ३ अप्रैल, १९५९ को गवर्नमेन्ट प्रेस इलाहाबाद से छप कर सरकार को प्राप्त हुईं । सदन के २ अप्रैल, १९५९ को सत्रावसान होने के कारण इन विज्ञप्तियों को बजट सेशन में सदन की मेज पर नहीं रखा जा सका । उसके बाद ही जब सदन की बैठक २७ जुलाई, १९५९ से आरम्भ हुई उसी दिन इनको सदन की मेज पर रख दिया गया । देरी का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी गवर्नमेन्ट प्रेस को लिखा जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की विज्ञप्तियां छपने के बाद ही शीघ्रातिशीघ्र शासन को भेज दिया करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमान् मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। आपने कई बार कानून पढ़ने के लिये कहा था तो मैंने इस सम्बन्ध में कानून को पढ़ा । करीब-करीब जहां जहां इस सरकार ने नियम बनाने का अधिकार लिया है उसमें लिखा है अविलम्बनीय ढंग से यह सदन की मेज पर १४ दिन तक रखी रहेगी और सदन के सदस्यों को यह अधिकार होगा कि आवश्यक संशोधन परिवर्द्धन व परिमार्जन उसमें कर सकें । जब ये ७ मार्च को गजट हो चुकी थीं और ७ मार्च के बाद सदन की कार्यवाही चली है तो उसी समय सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गयीं । गजट में प्रकाशित होने के बाद कोई गोपनीय तो यह रह नहीं गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---वह कहना आपका ठीक है । यहां की छपाई के बारे में मुझे यह कहना है कि छपाई में बहुत सी चीजों में बहुत देर हो जाती है । मुझे भी दिक्कत होती है और प्रेस को यह लिख कर देना पड़ता है कि तुम जल्दी छाप कर दो । मैं यह समझता हूं कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी क्योंकि बहुत सी विधान सभाओं में तो बहुत सी कार्यवाहियां दूसरे रोज और यहां तक होता है कि जो स्पीचेज होती हैं यदि प्रबन्ध अच्छा होता है तो वे भी दूसरे दिन--लोगों को छप कर मिल जाती हैं । यहां तो महीनों कार्यवाही नहीं छपती है । लेकिन कम से कम सरकार जो रूल्स बनाये और जब अधिनियम में यह कायदा बना हुआ हो कि वे रूल्स १४ दिन तक इस आदरणीय सदन की मेज पर रहेंगे ताकि यह सदन उनमें संशोधन कर सके तो उनके लिये तो सरकार को प्रेस वालों से कह देना चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छाप दिया करें क्योंकि अगर ६-६, ४-४ या ३-३ महीने वे रूल्स सदन के सामने नहीं आये तो फिर इस आदरणीय सदन का अधिकार नहीं के बराबर हो जाता है । मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही होगी । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर चाहें तो कह सकते हैं कि इस विषय में क्या कार्यवाही हो सकती है ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां ।

साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में सूचना की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जैसा कि प्रक्रिया नियमावली में है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन लीडर आफ दि हाउस को प्रोग्राम बता देना चाहिये जो अभी कल तक नहीं बताया गया । यह सही है कि ६ और ७ को अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, लेकिन क्रमिक रूप से उन्हें बता देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---कल आपको पूछना चाहिये था लेकिन हर एक को स्पष्ट प्रोग्राम मालूम है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---घोषित कोई प्रोग्राम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---ता० ६ और ७ के लिये निश्चित हो गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कल के लिये कोई प्रोग्राम नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष---कल के लिये प्रोग्राम आगे है । यह भी बता दिया गया कि नगर महापालिका विधेयक पहले लिया जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खरी बात है श्रीमन् की आज्ञा हो तो कहूं । दो साल हो गये.....

श्री अध्यक्ष---आप व्यवस्था का प्रश्न पूछिये ।

श्री टीकाराम पुजारी---दो साल से मैं देख रहा हूं श्रीमन्, यहां पर जो चीज मरी नजर में आती है वह ऐसी आती है कि बहाने के लिये अंग्रेजी में बोलना पड़ता है और उस अंग्रेजी का नाम बाई लाज होता है । कुछ नेता ऐसे हैं जो रात को टेलीफ़ोन करते हैं और दिन में विरोध करते हैं । श्रीमन् मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष---यह कोई निवेदन नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन् जब तक विरोधी दल शुद्ध नहीं होगा जब तक सरकार शुद्ध नहीं होगी....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें ।

श्री टीकाराम पुजारी---व्यवस्था का प्रश्न मेरा नहीं सुना जाता है । मैं फिर निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं कहता हूं कि नेताओं के लिये १० मिनट का समय दिया जाय। हम लोगों को ये बढ़ने नहीं देते हैं और आप भी उनके लिये अधिक समय देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं कहता हूं कि नेताओं के ऊपर....

श्री अध्यक्ष---आप अपने स्थान को ग्रहण करें ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं फिर निवेदन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---मुझे आपको इंगित करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री टीकाराम पुजारी---मैं सदन का परित्याग दिन भर के लिये करता हूं ।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन का त्याग करके चले गये ।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) श्रीमन्, एक निवेदन मैं कर दूं। सदस्यों की भावना को जरूर खयाल करना चाहिये । इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर नेता विरोधी दल और नेता सदन अब भी अविश्वास क प्रस्ताव पर दो दिन से अधिक समय दे सकें तो दें।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं मैं निश्चित कर चुका हूं।

श्री राजनारायण--अब भी बढ़ा दीजिये, तो क्या हर्ज है?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--आप अपना प्रस्ताव उपस्थित करें ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं : कि यह सदन उत्तर प्रदश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम जब इस सदन में बैठते हैं और इधर स और उधर से बैठने वाले सदस्य यह कहते हैं कि हम प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल के भाषण में तो यहां तक कहा गया है कि हमारा प्रजातंत्र शैशवकाल में है और इसकी जड़ों को मजबूत करना है । मैं आपके द्वारा श्रीमन्, मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आज प्रजातांत्रिक तरीकों से काम हो रहा है जो दिन प्रति दिन अध्यादेश सदन के सामने आ रहे हैं। मान्यवर, जो अध्यादेश आज हमारे सामने है इससे पहले एक अध्यादेश विश्व विद्यालयों के संबंध में आया। २ जुलाई को कोर्ट फीस का अध्यादेश आया, ७ जुलाई को एलेक्ट्रिकसिटी का अध्यादेश हुआ और एक अध्यादेश यह है जिस पर आज सदन में विवाद हो रहा है वह १५ जुलाई को हुआ ।

मान्यवर, मैं माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया। इसके लिए उनके पास क्या जबाब है ? एक अध्यादेश १५ जुलाई को निकाला जाता है इसलिये कि तराई भावर रामपुर के इलाके में जो सरकारी जमीन है उस पर कुछ काश्तकार बसे हुये हैं, उनको निकाल दिया जाय। इस अध्यादेश में तथा अन्य अध्यादेश में अन्तर है। यह सरकार की उस नीति के खिलाफ है जिसकी सरकार दुहाई देती है जो जमीन सरकारी है वह भूमिहीनों को दी जायगी और सही विस्थापतियों को बसाया जायगा । मैं आपका ध्यान व्याख्यात्मक ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत तथा बिजनौर के जिलों में लगभग २०,००० एकड़ सरकारी भूमि (जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है) राय तथा अन्य सिखों के अनधिकृत कब्जे में है जिनका वर्गीकरण भूतपूर्व पंजाब में आपराधिक जन जातियों (क्रिमिनल ट्राइब्स) के रूप में किया गया था । उन्होंने बहुत सी गांव समाज की भूमि तथा खातेदारों की भूमि को भी अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर लिया है ।

मान्यवर, आज हमारे मुल्क के संविधान में तथा दुनिया के किसी भी विधान में ऐसा नहीं है जहां पर क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम की कोई चीज हो। यह सरकार की मनोवृत्ति की द्योतक है। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि किसी के बाप दादे कैसे थे उससे अंदाजा लगायेगें कि उनकी संतान भी वैसी ही होगी । मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमानी नहीं होगी । यदि इसी को कसौटी माना जाता है तो मैं

[श्री प्रतापसिंह]

कहूंगा कि मेवाती जिनको मुसलमान राजपूत कहा जाता था, इसी आदरणीय सदन में मंत्री रह चुके थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कह सकते हैं: मैं नाम लेना उचित नहीं समझता । इसलिये सरकार को ऐसे आर्डीनेन्स नहीं लाने चाहिये जो प्रजातंत्र के खिलाफ हों। मान्यवर मुझे वस्तु स्थिति से जानकारी है, मैं वहां गया था। मैंने वहां देखा कि वहां राय सिख भी हैं, काश्मीर से आये सिख भी हैं और पर्वतीय इलाके के भी हैं, इसके अलावा पूर्वी जिले देवरिया आदि से आये लोग भी हैं। वहां कई कैटेगरी के किसान हैं और मुझे खुशी है कि इस संबंध में माल मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी से बात की है। हमने कहा था कि आपका जो अध्यादेश आ रहा है उसके अनुसार जो कार्य हो रहा है उसको भी देखें ।

इस समय मान्यवर वहां पर किसानों की झोंपड़ी जलाई जा रही हैं। इसी अध्यादेश की धारा ४ में लिखा है कि उनको नोटिस दिया जायगा। क्या मन्त्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। आज सैकड़ों किसान पुलिस द्वारा जबर्दस्ती निकाले जा रहे हैं। उनके ऊपर समरी ट्रायल भी नहीं चलाई जा रही है। मान्यवर प्रश्न उठता है कि रिपयूजीज़ के लिये लैंड होगी, कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये लैंड होगी। और लैंडलेस लेबर के लिए लैंड होगा। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह किसान जो यहां पर बसे हैं क्या वह खुद आये हैं? नहीं। माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी के जमाने में कैबिनेट ने जब देश में विस्थापितों को बसाने का प्रश्न उठाया तो दिल खोल कर उनका स्वागत किया और नैनीताल की तराई में। उनको बुला कर बसाया गया। जब यह जी०ओ० हो चुका है कि तराई में कुमायूं के भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिए तब भी वहां के अफसर इतने इनकाम्पीटेंट और निकम्मे साबित हो रहे हैं कि १९४८-४९ के बाद आजतक राय सिक्खों और कश्मीर से आये सिक्खों को नहीं बसा सके हैं। २५ जुलाई से २७ जुलाई के अन्दर ही वह नहीं आये हैं। १९४९ के बाद लगातार लाखों आदमी आये हैं। वहां पर इस समय चार-पांच कैटेगरीज के लोग हैं। पहले वह लोग हैं जिनको जिमन १० के मुताबिक जमीन मिली है। पहले प्रधान ही जमीन दे दिया करते थे। दूसरे वह लोग हैं जिनसे कहा गया कि अमुक जंगल में बस जाओ तुम्हारा पट्टा और कागजात ठीक कर देंगे। वह बस गये। तीसरे वह लोग हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त दी और आज नैनीताल भाबर में खामगर्दी हो रही है। आदरणीय सहाय जी ने लिखा है कि खामगर्दी को समाप्त किया जाय। अब इतनी बात जरूर हुई है कि सरकार लगान सीधे लेने लगी है लेकिन खामगर्दी कायम है। जिन्होंने खामगर्दी की दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि बस जाओ, वह भी बसे हैं। चौथे, वह लोग हैं जो रजामन्दी से बसे हैं। मैं इस पक्षका नहीं हूं कि जिन्होंने थारुओं और बोक्सा की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन पर कोई ऐक्शन न लिया जाय। जरूर ऐक्शन लिया जाय उनके विरुद्ध लेकिन सब किसानों के साथ एक सा व्यवहार नहीं होना चाहिये। इस अहम मसले की ओर हमें देखना है। इस अध्यादेश को संविधान की धाराओं के खिलाफ लाया जा रहा है। माननीय माल मंत्री यह बताएं कि विधान में कहां पर क्रिमिनल ट्राइब्ज के लिए ऐसा कहा गया है--दुनिया की किसी भी संविधान में ऐसा नहीं है। इम्मीडिएट ऐक्शन की क्या आवश्यकता थी? धारा २१३ में जहां पर यह लिखा है कि अगर राज्यपाल यह समझें कि अमुक कार्य के लिए इम्मीडिएट ऐक्शन की आवश्यकता है, वहां अध्यादेश आना चाहिए लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन लोगों को माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी की सरकार ने स्वागत कर के बुलाया आज डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार उनको बेदखल करने क्यों जा रही है? यह कौन सा सामाजिक न्याय है? पंत जी ने वसुधैव कुटुम्बक् का नारा लगाया वह उससे क्यों विचलित हो रहे हैं? क्या उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कह कर उनको निकालने की गवर्नमेंट की साजिश है? मैं इसका जवाब चाहता हूं? वहां पर, नैनीताल की तराई में केवल राय सिक्ख ही नहीं बसते हैं और भी हैं जिनको आप ने बुलाया है। इसका जवाब दें। संविधान के अनुच्छेद ३१ में राइट आफ प्रापर्टी है। वह हमें शक्ति देता है कि हम को अपनी जायदाद पर हक होगा। मान्यवर,

यदि मैं यह कहूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान जब से बना है आर्टिकिल ३१ को बार बार संशोधित किया जाता है। हमारे यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिशड बाई ला है, अमेरिका में प्रोसीजर एस्टैब्लिशड बाई ड्यू प्रोसेस आफ ला है। यहां पर लेजिस्लेचर सुप्रीम है, वहां पर जुडिशियरी सुप्रीम है। लेकिन वहां पर जब से उनका संविधान बना है तब से ले कर आज तक कुल २२ संशोधन उनके संविधान में हुए हैं जब कि हमारे संविधान में केवल आठ नौ वर्षों के अन्दर ही ५ बार संशोधन हो चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि पहले तो सरकार ऐसे लेजिस्लेशन बनाती है जिनको कि हाईकोर्ट यह कहता है कि यह तुम्हारे अधिकार में नहीं था और उस के बाद फिर उस को बार-बार संशोधित करते हैं। अमेरिका में आप किसी नागरिक से पूछिये कि ["Do you want amendment in your constitution ?" He says, "No."]। उनसे पूछिये कि क्या वह अपने संविधान में संशोधन चाहते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं। लेकिन यहां तो सरकार ही खुद कहती है कि इस धारा के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया इसलिए यह संशोधन होना है। हमारा संविधान एक शीशा है और जुडिशियरी इज दी गार्जियन आफ दी कांस्टीट्यूशन [Judiciary is the guardian of the constitution.]। बदकिस्मती से इस मामले में हमारी प्रतिक्रिया नियमावली चुप है नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी से उस मुकदमे के सारे कागजात की मांग करता और फिर उसे पढ़ने की इजाजत मांगता। माननीय मन्त्री जी बतायें कि प्रतापसिंह बनाम उत्तर राज्य का रिट पेटीशन आखिर क्या है? यह विरोधी दलों का हक है कि हमको सभी सम्बन्धित कागजात मिलने चाहिए ताकि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को ठीक तरह से रख सकें। हम यह नहीं चाहते कि हम विरोधी दल में हैं इसलिये सरकार की बिना किसी वजह के आलोचना करें। तो श्रीमन्, आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी बिना पर वह १९५३ का ऐक्ट आल्ट्रावाइरस डिकलेयर कर दिया गया? वह मुकदमा क्या है. . . . . .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—हाईकोर्ट के जजमेंट में छपा है।

श्री प्रतापसिंह—मुझे माननीय मंत्री जी आदेश दे रहे हैं कि मैं हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ूं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने उसे अवश्य पढ़ा होगा और जवाब देते समय वह बतायेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है।

दूसरी बात—सरकार का दावा है कि कोई आदमी भूखों नहीं मरेगा। लेकिन आज दस दस साल से जो लोग वहां बसे हुए हैं उनको वहां से हटा कर यह सरकार कहां बसायेगी? उनके लिए कोई योजना उसके पास है? ईस्ट बंगाल और कहां कहां से रिफ्यूजीज को बुला बुलाकर तराई में भेजा गया, उनका स्वागत किया गया। स्वागत हम भी करते हैं लेकिन ऐसा स्वागत नहीं करते कि केवल वोट कैच करने के लिए उनको बुलावें। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि जिन्होंने नैनीताल की तराई में गूलरबोज जंगल को अपने भाले और बरछे के बल पर कटवा दिया। उस को सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी। आखिर सरकार उनसे डरती क्यों है? मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में वह भी लोग हैं जो कि मुल्क का निर्माण करना चाहते हैं, वह भी पार्टियां हैं जो सरकार को सही रास्ते पर लाना चाहती हैं। तो माननीय माल मंत्री जी बतायें कि जो हजारों की तादाद में सिक्ख लोग और रायसिक्ख बेदखल किये जायेंगे उनके लिये उसने क्या स्कीम बनायी है। यह जानने का हमारा हक है। सरकार उनको क्रिमिनल ट्राइब कह सकती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अफीम के नशे में शायद यह ऐक्ट पास किया गया है। हालांकि मुझे ऐसी माननीय माल मन्त्री जी से आशा नहीं थी लेकिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी नया पोर्टफोलियो इसका लिया है। मैं यह मानता हूं कि वह सरकार के खराब केस को प्लीड करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस समस्या को जो कि तराई भावर को ही नहीं बल्कि रामपुर आदि कई जिलों की है उसको केवल कारणीय दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी देखा जाय। यह भूमिहीनों का मसला है, कुमायूं के हजारों भूमिहीन तराई भावर में जो हैं उनका मसला है। उनको बेदखल कर देंगे तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीव्यूशन होगा? जिस

[श्री प्रतापसिंह]

इलाके की बात मैं कर रहा हूं वहीं पर आप की नानकसागर योजना बन रही है। तो उनको हटाने के बाद उन्हें लैंड कहां और कैसे देंगे। लैंड कैसे बटनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट एरिया में उसके सम्बन्ध में जो यह किताब है उस की ओर मैं आप की तवज्जेह दिलाना चाहूंगा। यह भी एक प्रोजेक्ट एरिया है जहां से कि आप सिक्खों को हटाना चाहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि :—

"*Distribution of Land by State*—The State should distribute the surplus land to owners of uneconomic holdings in the area. It should also distribute it to the owner cultivators whose lands have been submerged in the construction of the water reservoir."

मैं यह कहूंगा कि सरकार इसमें नाकामयाब रही है। वह सन् १९५४ से लेकर आज तक उस जमीन को बांट नहीं सकी। श्रीमन्, बात यह है कि जब कोई इन्सान भूखा होगा और उसके सामने थाली परोसी होगी तो ऐसा कौन इन्सान है कि वह अपने को भूखा रखे और उस थाली को छोड़ दे। मैं यह चाहता हूं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज से पूछा जाय कि कितनी बार जिलाधीश ने इसकी जांच की है कि कितनी जमीन वितरण के लिये पड़ी हुई है। सैकड़ों और लाखों लोग वहां पर भूखों मर रहे हैं। मुझे आशा थी कि सरकार उनको आबाद करेगी किन्तु सरकार ने उनकी आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं की है। सन् १९४९ से लेकर आज तक १० साल के अन्दर भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार ने उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया है। यदि सरकार इस बीच में कोई ला बना कर उनके लिये व्यवस्था कर देती तो कितना अच्छा था। हम लोग यहां पर संविधान के अनुसार बैठते हैं और कानून बनाते हैं। लेकिन इस १० साल के समय में उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा सका। सरकार ने हमारे यहां बैठने के १३ दिन पहले ही इस अध्यादेश को निकाल दिया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने गांव समाज की बहुत सी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और आगे भी कब्जा करने का भय अवश्य बढ़ रहा है। आगे भय बढ़ने का अन्देशा है। अभी कब्जा नहीं किया है लेकिन अन्देशा है। उस कारण से ही राज्य सरकार ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया। हमारे सामने पाकिस्तान का उदाहरण दिया जाता है कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन आप को मालूम होना चाहिये कि हमारा प्रजातंत्र अभी शैशवकाल में है और उस प्रजातन्त्र का हनन आप इस अध्यादेश के जरिये से कर रहे हैं। अगर आप इस देश के प्रजातन्त्र को चलाना चाहते हैं तो इस प्रकार के कानून को यहां पर नहीं आना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अधिक अन्न उपजाओ की बात तो तराई भाबर के लिये माननीय मंत्री जी करते हैं लेकिन वहां पर इस तरह की योजना के लिये कोई काम नहीं किया जाता है। अगर तराई भावर में अन्न उत्पादन के लिये योजना चलाई जाय तो वहां पर डालर पैदा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अमेरिका से डालर मांगने जाते हैं जो भीख की शक्ल में होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो यह तराई भावर का एरिया है वहां पर इस तरह काम नहीं किया जाता जिससे अन्न अधिक पैदा हो सके। इसके लिये तराई भावर के अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं नहीं तो इस तरह के आर्डिनेंस लागू करने की जरूरत नहीं थी। हमारी एक बदकिस्मती यह भी है कि एक माल मंत्री भी बदल गये और एक सीधे चलना चाहते हैं और दूसरे ज्यादा सीधे चलना चाहते हैं और तीसरे टेढ़े चलना चाहते हैं। इस तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे यहां के किसान परेशान हैं। इसलिये मान्यवर, तराई भावर एरिया के लिये मेरी यह मांग है कि वहां के लिए एक कमेटी बिठाई जाय। मैं नहीं चाहता कि उसके लिये २५ आदमियों की कमेटी बनें बल्कि चाहे उस में २ आदमी ही हों या एक ही आदमी हो वह आप जरूर वहां के लिये बिठाये। जिस तरह की हालत नैनीताल जिले में है मैं चाहता हूं उसके लिये वन मैन कमेटी ही आप बिठा दें तो मुझे मन्जूर है। अफसरों के हाथ में यह काम देना मैं गलत समझता हूं। विरोधी दल के लोग तो काम देखना चाहते हैं। अगर वहां पर कुछ काम हो तो उसके लिये बहुत अच्छी बात है। वहां पर

हालत यह हो गई है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। थारू, बोक्सा ऐसी कौम है जिसके लिये यू० पी० की सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। पिछड़े कमीशन की रिपोर्ट में श्रीकान्त जी ने लिखा है कि जब यू० पी० सरकार से उनके रिकग्नीशन के लिये पूछा जाता है तो वह नहीं कहती है, तब वह कहते हैं कि "It is unusual on thc part of Uttar Pradesh Govt." इस जाति के जो काश्तकार हैं उनकी मदद के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है और न कोई प्रोग्राम है। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिये भी कुछ सहायता होनी चाहिये वह भी इस देश में रहते हैं। हमारी सरकार तमाम चीजों के लिये भारत सरकार को लिखती है लेकिन इनके लिये नहीं लिख सकती है तो इसलिये मैं मालमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिक्खों का नाम लेकर थारू, बोक्सा या नये जो लोग बसे हुए हैं उनको निकालने की चेष्टा न करें। जहां जमीन गांव समाज की है उसको भी इस अध्यादेश के द्वारा निकाला जा रहा है। आप इसको अपनी ब्रूट मैजारिटी से पास तो जरूर करा लेंगे लेकिन इससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाय। उनको फिर से कहीं बसाने का आपके पास कोई प्रबन्ध नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि वे चाहे सिख हों अथवा राय सिक्ख हों, या थारू या बोक्सा हों, जो भी ५, ७, ३ या ४ साल से वहां बसे हुए हैं और अपनी जमीन का लगान देते हैं और यदि उन्होंने वहां के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है तो वह जमीन उन्हीं के पास रहने दी जाय।

जिलाधीश को यह आदेश दिये जाने चाहिये कि उनकी झोपड़ियां न जलाई जायं। पहले उनको नोटिस दिया जायगा और जज के यहां अपील करने का उनको अधिकार है। फिर क्या कारण है कि अध्यादेश के जारी होत ही वहां उन लोगों की झोपड़ियों को जलाया जाना शुरू हो गया और पुलिस के द्वारा उनको निकाला जा रहा है। तो केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, मानवीय दृष्टिकोणों से भी हमको इस समस्या को देखना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो एक नयी समस्या खड़ी हो जायगी और यह अच्छा न होगा। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यदि १३ दिन के अन्दर अध्यादेश जारी हो सकता है तो कल ऐसा दिन भी आ सकता है कि देश में इमरजेंसी ही यह कहा जाय और कहा जाय कि इसलिये लेजिस्लेचर को बैठना ही नहीं चाहिये। हमको आदरणीय सदन की इज्जत बढ़ानी चाहिये और वह इसी तरह से हो सकता है कि जब जो आर्डिनरी प्रोसीजर है उसमें सरकार खलल न डाले। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस अध्यादेश का ननुमोदन करें और सरकार इसको वापस ले।

श्री अध्यक्ष—यह जो मेमोरेन्डम आन दि यू० पी० पब्लिक लैंड (एविक्शन ऐंड रिकवरी आफ रैंट ऐंड डैंमेजेज) आर्डिनेंस, १९५९ है इसके अन्त में लिखा हुआ है :

".....and, therefore, the U. P. Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Ordinance, 1959 (U. P. Ordinance no. IV of 1959) was promulgated by the Governor under Article 348 (3) of the Constitution of India on...."

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी, इसको २१३ होना चाहिये। यह गलती हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में भी ऐसी गलती हो गयी है। तो उसको भी करेक्ट कर लिया जायगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश का विरोध करना अराजकता को प्रोत्साहन देना है। इस अध्यादेश के अन्तर्गत ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पहले इस सदन में विचार न की गयी हो। जहां इस अध्यादेश में सार्वजनिक भूमि आया है उसके स्थान पर पहले सरकारी भूमि थी। और १९५३ में सरकारी भूमि बेदखली कानून हम बना चुके थे और वह कानून लागू था। जब वह कानून हाई कोर्ट के सामने गया तो एक साधारण सा कानून था। जमींदारी विनाश का कानून और यह दूसरे दूसरे प्रकार के

[श्री रामलखन मिश्र]

थे। तो इस प्रकार धारा १४ संविधान की—इक्वेलिटी बिफोर दि ला—की टैक्निकल ग्राउन्ड पर हाई कोर्ट ने इसको अप्रभावकर कर दिया। उसकी पूर्ति इस अध्यादेश में की गयी है। इसके अन्तर्गत और कोई चीज नहीं बढ़ायी गयी है और मैं यह कहूंगा कि दुनिया के अन्दर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो ट्रेसपासर को, जो अनधिकार कब्जा कर ले, उसको अधिकार देता हो। उनको जरूर बेदखल होना चाहिये। इसके अन्दर उसकी पूरी व्यवस्था की गयी है। हां, इसमें द्रुतगतिता आवश्यक है। प्राधिकारी के सामने हमें पूर्ण अधिकार है कि हम अपनी बात को लायें और अगर हम प्रश्न उठायें कि यह सार्वजनिक भूमि नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मामला चला जायगा या सिविल जज के यहां चला जायगा और वहां पूर्ण रूप से इस पर विवाद करने का अवसर होगा। हां, यह बात अवश्य है कि इसके अन्तर्गत यदि आज्ञा हो गयी हो और कोई न छोड़ता हो तो उस समय शक्ति प्रयोग का भी थोड़ा सा अधिकार दिया गया है। लेकिन उसका प्रभाव-क्षेत्र बहुत कम है, लगभग २०,००० एकड़ भूमि पर है। बन-भूमि है और वह ऐसी है जो पट्टे से जिसकी मियाद पूरी हो गयी है और उसको भी लोग नहीं छोड़ते हैं और कुछ ऐसी है जिस पर कब्जा कर लिया है। इसमें रामपुर है, नैनीताल, पीलीभीत, बिजनौर इत्यादि जिले हैं। तो यह तो बहुत ही उद्देश्यपूरक है। हमने १९५३ में कानून बनाया था उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं है। इस अध्यादेश में हमने यह रख दिया है कि "नाट विद्स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट" यह थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने लिखा था ईक्वलटी बिफोर ला, धारा १४ के बारे में, तो इससे वह आपत्ति खत्म हो जाती है। तो इसका भयवश विरोध करना और परम्परागत कोई भी इष्टकारक, उद्देश्यपूरक विधेयक यहां आये तो उसका विरोध किया जाय मैं इसका कोई औचित्य नहीं समझता हूं पूरा इसके अन्दर विधान है, अधिकार हैं, विधि है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे प्रस्तावक महोदय ने यह जो शब्द जाल-सा बना कर कुछ ऐसी बातें कही हैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझता, विशेषकर वहां के दारिद्रय और दैन्य की ओर जो ध्यान आकर्षित किया है वह अपनी जगह पर बात होगी, परन्तु इस जगह पर इस अध्यादेश से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। योंही प्रत्यक्ष रूप से कह देना कि यह अध्यादेश बिलकुल निरर्थक है, इसके अन्तर्गत कोई औचत्य नहीं है, सरकार की ओर से यह जो अध्यादेश लाया गया है इससे एक बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है, इसके अन्दर कोई तथ्य नहीं है। यदि उनकी बात मान ली जाय तो केवल शुद्ध और निर्मल अराजकता को ही हम प्रश्रय देंगे और उसके अन्दर हम कोई रेखा ही नहीं खींच सकेंगे कि किस तरह से अधिकारों की रक्षा होगी।

मैं अधिक वाक्य विस्तार न करके बैठ जाता हूं और प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडेय राय।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैं जरा पूछना चाहता हूं कि "सार्वजनिक भूमि" की व्याख्या कर दी जाय कि, "सार्वजनिक भूमि" क्या है जिसके लिये सरकार ने इतना बड़ा कानून और जाल बनाया है?

श्री अध्यक्ष—अपने जवाब में वह बता देंगे। श्री झारखंडे राय, जारी रखें?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर हम विचार कर रहे हैं, उसका जो सबसे मुख्य पहलू है वह उस जमीन से संबंध रखता है जिसे कहा गया है कि २०,००० एकड़ जमीन कुछ लोगों ने तराई क्षेत्र में अनधिकृत तरीके से कब्जे में कर रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे तराई के ४ जिलों में कुछ इस तरह की जमीन पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन सारे पहलू पर हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये जिसमें उदारता का पुट भी विशेषकर सरकार

के लिए होना चाहिए । जिस समय यह राय सिक्ख या इस तरह के दूसरे लोग पंजाब से यहां बहुत बड़ी संख्या में आये, वह एक असाधारण स्थिति हमारे देश और प्रदेश के लिए थी। मुल्क के दो टुकड़े हो चुके थे, लाखों आदमी इधर के उधर और उधर के इधर हो चुके थे और हो रहे थे। उन घटनाओं का वर्णन करने का यहां न औचित्य है और न समय ही है। वह एक भयावह स्मृति की तरह से है जब कि लाखों आदमी हमारे सूबे में आये और दूसरे प्रदेशों में भागे और जहां गये वहां रहने लगे । उस समय बहुत-सी गैर-कानूनी बातें हुई और उसी दौरान में ये जमीनें भी उन लोगों ने अपने कब्जे में कां। अब हमें देखना यह है कि इसका व्यावहारिक हल क्या है। उन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी जमीनों के टुकड़े अपने कब्जे में कर लिये हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास थोड़ी जमीनें हैं जिसकी पैदावार से बमुश्किल वह अपनी गुजर-बसर कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार अमली तौर पर देखे और हदबन्दी का कानून लागू करके ५–७ एकड़ या जो भी सरकार मुनासिब समझे वहां की पैदावार वह जमीन की तासीर को देखते हुए जितनी जमीन एक परिवार के लिये जरूरी समझी जाय, उतनी जमीन छोड़ करके उनके पास से बाकी जमीनें ली जायें ।

अब दूसरा प्रोसेस शुरू हुआ है। पूर्वी यू० पी० के बहुत से भूमिहीनों को इन जिलों में बसाया जा रहा है और उनसे और वहां के बसे हुए सिक्ख लोगों से एक प्रकार से द्वन्द-संघर्ष की नौबत आ गई है, उनमें वह जमीनें बांट करके झगड़े को बचा सकते हैं और अमली तरीके से भी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रान्तीय सरकार को इस रूप में सोचना चाहिये कि जो वहां दस-बीस हजार व्यक्ति १४ सौ परिवार कहे जाते हैं, वहां आये हुए हैं, बगैर इस पर विचार किये हुए कि वह कहां जायंगे, आसमान में जायंगे नहीं और न पृथ्वी में चले जायंगे कहीं न कहीं वह इस प्रदेश में न सही इस देश में ही रहेंगे तो कहां उनकी व्यवस्था होगी ।

जब हम कोई कदम बढ़ाहें ते तो उसका क्या आलटरनेटिव होगा, उस ओर भी हमें देखना चाहिये । निगेटिव और एक तरफा काम करना और दूसरे पहलू पर विचार न करना खासकर सरकार के लिये बड़ी अनुचित चीज है। अगर राजस्थान में बसाने के लिये भारत सरकार राजी हो जाय या अगर भारत सरकार से और इस सरकार से बात चीत तय हो गई हो तो वह बात हमारे सामने आनी चाहिये, या वहां अगर जहग नहीं है तो मध्यभारत में ऐसी जमीनें हैं जहां वह बसायें जा सकते हैं। कहीं न कहीं तो उनको बसना चाहिये। निकलने के बाद वह कहां जायंगे । मैं समझता हूं कि फिर वह ज्य दा क्रिमिनल होंगे। क्रिमिनल ट्राइब्ज की बात कहीं जाती है, वह बहुत हद तक सही है। फिर वह और भी क्रिमिनल होंगे क्योंकि उनकी जो आदतें हैं उनको सरकार इस कानून से बढ़ाएगी पारसाल मैंने नैनीताल की जिला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट देखी थी जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था कि वे क्रिमिनल ट्राइब्ज के लोग जो जमीनों पर बस गये हैं या कमाने में लग गये हैं उनमें जुर्म की संख्या कम होती जा रही है और धीरे-धीरे वे पीसफुल नागरिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं । इससे लगता है कि अगर फिर उनको उस जमीन से उखाड़ा गया इन डिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे तो वह मुल्क के कोने-कोने में भाग सकते हैं क्योंकि कहीं जाने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है और वह सारे मुल्क में फैल जायंगे और यह क्रिमिनल ट्राइब्ज के लोग, बिना किसी साधन के, सिवाय क्रिमिनलिटी के और कुछ नहीं करेंगे ।

प्रदेश कोई स्वतंत्र मुल्क नहीं है कि सिर्फ अपने मुल्क के बारे में ही सोचे चाहे पड़ोस के मुल्क में आग लगे बल्कि हम एक राष्ट्र के सूबे हैं इसलिये जब तक उसका समाधान भारत सरकार से या अन्य किसी प्रान्तीय सरकार से अमली तरीके से नहीं हो जाता तब तक हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि इसका अमली हल निकाला जाय और एक परिवार के लिये जितनी मिनिमम भूमि जरूरी है वह राय सिक्ख वहां पर हैं उनको दी जाय । मैं जानता हूं कि वह बड़े परिश्रमी होते हैं, मैंने खुद देखा है और मैं वहां घूमा हूं ।

[श्री झारखंडेराय]

हमारे यहां के जो पोलिटिकल सफरर वहां पर बसे हैं वह बहुत कम काम करते हैं और बहुत जमीन पर कब्जा किये हैं। वे लोग पंजाब से आये हुए सिक्खों से काम कराते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। आज इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, मंत्री जी को भी मालूम होगा और इसमें मेरा विचार है कि इधर के या उधर के बैठने वालों में कोई मतभेद नहीं होगा कि सिक्खों के बल पर तराई सरसब्ज बन सका है। जहां जंगल था और शेर रहते थे उस इलाके को उन्होंने ऐसा बना दिया है। और जहां लाखों मन अनाज पैदा होता है। इसलिये यह मानते हुये कि वे क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं लेकिन उनमें जो प्रगति का अंश है तथा अमली तौर पर इस समस्या को हल करने के दृष्टिकोण से कम से कम कुछ जमीन तो हर परिवार को दी जाय और बाकी जमीन को पूर्वी यू० पी० के भूमिहीनों में बांट दिया जाय। पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी से कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेप्युटेशन नैनीताल में मिला था, मैं भी उसमें था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस बात का क्या चेक है कि पंजाब से और लोग यहां न आ जायेंगे। उसका हल है। भारत सरकार से मुख्य मंत्री बात करके इसको तय कर सकते हैं और उनके आने पर चेक लगाया जा सकता है कि और अधिक तादाद में पंजाब के लोग यहां न आने पावें, क्योंकि हमारे यहां की आबादी की भी बड़ी भारी समस्या है। जोगैर मामूली हालातमें बड़ी संख्या में लोग आ गये हैं उनको यहां रहने देना चाहिये और बिना बिचारे उनको यहां से नहीं निकलना चाहिये, क्योंकि उन्होंने संकट के समय खाद्य समस्या को हल करने में प्रयत्न किया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान अमली तौर पर और उदारता के साथ किया जाना चाहिये।

*श्री अवधेश प्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैंने इन आर्डिनेंसेज के संबंध में वैधानिक आपत्ति जो कल उठायी थी उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता और सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी ने यदि भाषण दिया होता तो मुझे बोलने की आवश्यकता न होती, लेकिन मेरे माननीय मित्र जो बस्ती से आते हैं, उनके बोलने के उपरान्त थोड़ा सा कुछ कह देना मैं उचित समझता हूं। आपका यह कहना है कि वे लोग ट्रेसपासर्स थे और यह सरकार की नीति कभी नहीं रही है कि उनको हक दिये जायं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुराने मिनिस्टर महोदय का तो यही उसूल रहा था कि ट्रेसपासर्स को हक देना वह भी इस बात को कबूल करते हैं। यह उसूल भी बहुत अच्छा है। जहां तक सरकार की भूमि का प्रश्न है, सरकारी हितों का प्रश्न है उसके लिये कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकिल १४ कान्स्टीट्यूशन की ओर ध्यान आकर्षित करना बेमानी था क्योंकि जहां पर आपका हित होता है, वही आपका न्याय हो जाता है और अगर भारतीय संविधान भी कभी आपके रास्ते में अड़चन डालता है उसको या तो आप देखना ही नहीं चाहते हैं और, अगर देखना भी चाहते हैं और उसके अनुसार सुधार भी करना चाहते हैं तो आप आर्डिनेंस जारी कर देते हैं और यहां सदन में बैठकर अपनी इच्छा पूर्ति कर लेते हैं। १५ जुलाई ५९ को यह आर्डिनेंस लाया गया और २७ को हम बैठ रहे थे। दूसरी तरफ आपका ध्यान मैं मेमोरेंडम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। न्याय मंत्री अच्छे वकील की तरह से लिखते भी दो मानी वाला हैं और बोलते भी दो जबान से हैं। मेमोरेंडम में श्रीमन् है:

"Steps were however taken to go in appeal to the Supreme Court against the above order of the High Court but that could hardly meet the present situation. In view of the above circumstances immediate legislation by Ordinance became necessary."

"सुप्रीम कोर्ट तक अपील पहुंची है या नहीं, इसमें यह चीज साफ नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है? और यदि ला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कोई लेकुना था जिसको वे दूर करना चाहते थे तोइसको वे स्वीकार करें कि उसकी पूर्ति किसी बिल के द्वारा की जाती या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था। एक तरफ तो अपील की बात की जाती है और दूसरी तरफ आर्डिनेंस जारी होता है, मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस के बारे में इस सरकार को कुछ भ्रम है, जो कमसे कम मेरी बौद्धिक शक्ति के परे बात है कि मैं सरकार को समझा सकूं। आप कुछ कृपा करें क्योंकि आप हम लोगों की रक्षा और हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, इस सरकार को कम से कम सदन में या प्राइवेट में यह समझा दें कि आर्डिनेंस लगाने के संबंध में आर्टिकल २१३ की स्पिरिट क्या है और किस इमरजेंसी में उसको लाया जाता है।

श्रीमन्, आगे मेमोरेंडम में आया है "अकूपेशन आफ राय ऐंड अदर सिक्ख्स"। इस अदर सिक्ख्स की बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इससे क्या मतलब निकलता है। सिक्ख्स का मतलब तो अंग्रेजी में यही निकाल सकते हैं कि वे मेजारिटी में हैं। अब अदर सिक्ख्स का मतलब यह हो सकता है कि मजहब में कोई परिवर्तन हुआ या और क्या है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। श्रीमन्, आप देखेंगे कि माननीय सदस्य बस्ती इस पर ज्यादा प्रकाश डाले होते तो अच्छा होता लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने अपने को बचा लिया। वे समझते हैं कि हिमायती तो खड़े ही हो गये लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वे हर तरह की सहायता उनको पहुंचा पायेंगे और आयन्दा उनकी रफ्तार वही रहेगी। मैं नहीं समझ सका कि उनकी मंशा क्या थी। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह एक मौलिक चीज है और इस तरह से आर्डिनेंस लाकर इस सदन का एक मजाक बनाया जा रहा है। १०,१५ दिन के लिये आर्डिनेंस लाकर एक बहुत बुरा प्रिसिडेंस कायम होता जायगा। इसलिये मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को समझावें। बगैर समझाये हुए भी वे समझ सकते हैं लेकिन मजबूरी उनके साथ यह है कि कुछ साथ का असर हो सकता है, कुछ पड़ोस का असर हो सकता है बावजूद समझाने के भी और बौद्धिक विकास होने के उपरान्त भी उन चीजों को न इकबाल करते हैं, न स्वीकार करते हैं बल्कि वे एक दूसरी परम्परा कायम करना चाहते हैं। लिहाजा मैं इन कठिनाइयों को सदन के सामने रखना चहता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को मैंने पढ़ने और समझने का प्रयत्न किया कि इसके ले आने का क्या प्रयोजन था क्योंकि जैसा इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सरकार के किसी कानून को गलत बतलाया इसलिये जरूरी हो गया कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश के जरिये उसे शुद्ध कर लिया जाय। अध्यादेश के पहले पैराग्राफ में ही आ जाता है कि इसके लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें लिखा गया है कि "भूमि की नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तुरन्त आवश्यकता है"। मतलब यह है कि यह बेचारे जो सिक्ख काबिज हैं उस जमीन पर, हालांकि उन का घरबार छिना, उनकी इज्जत, उन का रुपया, उन का धन सब कुछ गया, वह किस की बदौलत? जिस पार्टी की यह सरकार है उस की बदौलत उनकी यह हालत हुई कि वह बेचारे खानाबदोश होकर यहां आये शरणार्थी की हैसियत से उन्होंने पैर जमाये और खेती कर के अपनी गुजर करना पड़ी। उन्हीं की गलती से उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। यह ठीक है जमीन आप उन्हीं को देना चाहते हैं लेकिन आज भी आप की यह नियत है कि उनसे सहकारी खेती कराई जाय और उसी के लिये सरकार एक कानून बेदखली के लिये लाई है।

कानून जो भी बने वह हरएक के लिये होना चाहिये, अगर केवल एक जमाअत के लिये या एक व्यक्ति के लिये ही बनाया जाता है तो वह कानून हमारी समझ में तो कानून नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

कहा जा सकता बल्कि उस को तो कानूनी डकैती कहा जा सकता है। इस तरह का बेदखली का कानून क्या सरकार अपनी ही जमीन के लिये बनाना चाहती है। अगर किसी किसान की जमीन हो उस पर अगर कोई ३ साल तक शिकमी में अपना नाम दर्ज करा ले तो वह किसान बेदखल हो जायगा और वह मालिक हो जायगा। उसके लिये सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। जो सरकार की वजह से खानाबदोश हुए, जो उस जमीन से ही खाते-पीते हैं, जो मारे-मारे फिरे, जिन की इज्जत गई उन की बेदखली के लिये, उन की जमीन लेने के लिये यह किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि मंत्री जी उन्हीं को सहकारी खेती के द्वारा वह जमीन देंगे लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं करेंगे सहकारी खेती के लिये, उस चीज को छिपाने के लिये कानून बनाकर उन को बेदखल किया जा रहा है। जो उद्देश्य उन्होंने बताये हैं उसमें साफ बताया गया है कि यह सहकारी खेती के लिये, भूमि के बंटन के लिये किया जा रहा है। जो काबिज हैं उन से कब्जा छुड़ाकर उन्हीं को सहकारी खेती करने के लिये जमीन बांटी जायगी उस मात्रा में कि वह अपना भरण पोषण न कर सकें और सहकारी खेती के लिये मजबूर हों। उस के लिये यह तरीका निकाला जा रहा है। इस तरह से किसी की रोजी के बीच में सरकार को नहीं आना चाहिये, जो काम हो वह स्पष्ट होना चाहिये, सरकार का मन्तव्य कुछ और होता है और बात कुछ और होती है परन्तु इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। जब सरकार ऐसा करती है तो प्रजा भी वही करेगी, 'यथा राजा तथा प्रजा'। इसलिये मैं आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के आर्डिनेंस नहीं आने चाहिये। जब कि हाईकोर्ट ने मंत्री जी के कानून को गलत बताया है तो उस के फैसले की इज्जत करना चाहिये। जब दूसरों को बेदखल करने का हक नहीं है तो सरकार को भी बेदखल करने का हक नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री सैयद जरग़ाम हैदर (जिला बहराइच)—श्रीमन्, ३ रोज से इस सदन में इस बात की चर्चा हो रही है कि आर्डिनेंसेज लाने चाहिये या नहीं लाने चाहिये। जो आर्डिनेंसेज कि इस सदन के सामने ३ दिन से आ रहे हैं उनके लाने की एक वजह सरकार की तरफ से यह बताई जाती है कि मुख्तलिफ ऐक्ट्स इस सदन के पास किये हुए हाईकोर्ट ने अल्ट्रावायर्स और इल्लीगल करार दे दिये हैं। इन सब बातों को देखते हुए इस वक्त यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इस सदन के बनाये हुए ऐक्ट जो हैं वह अल्ट्रावाइरस क्यों हो जाते हैं? सिर्फ यही तीन या चार ऐक्ट नहीं जिनके बिना पर आर्डिनेंस ईश्यू हुए हैं, जो इस सदन से पास किये हुए अल्ट्रावाइरस करार दिये गये हैं। अगर दो वर्ष पहले की बात पर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट पास हुआ वह अल्ट्रा वाइरस करार दिया गया। डिजाल्व्ड फर्म्स से रुपया वसूल करने का सेल्स टैक्स का जो कानून था वह अल्ट्रावाइरस करार हुआ। प्रिवेंशन आफ काऊ स्लाटर ऐक्ट जहां तक बैलों के स्लाटर के मुताल्लिक था, वह सुप्रीम कोर्ट से अल्ट्रावाइरस करार दिया गया। कोर्ट फीस ऐक्ट हाई कोर्ट से अल्ट्रा-वाइरस करार दिया गया। यू० पी० पब्लिक लैंड (एविक्शन ऐन्ड रिकवरी आफ रेंट ऐंड डैमेजेज) ऐक्ट अल्ट्रावाइरस करार हुआ। इतने जो ऐक्ट हम लोगों ने पास किये वह अल्ट्रा-वाइरस करार हुए। इसके अलावा जो रोजाना एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वह हाईकोर्ट से अल्ट्रावाइरस करार होते हैं। मिसाल के तौर पर बयान हलफी पर टिकट लगाने का आर्डर जारी किया गया वह हाईकोर्ट ने कहा कि गलत है। अभी लखनऊ में जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे उनकी जगह एक और एपाइंट कर दिये गये। उनकी रिट हाईकोर्ट में हो गई। इस वक्त दो एडवोकेट्स की तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है। यह ला डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को लीड करने के लिये है या मिसलीड करने के लिये? लीगल रिमेम्बरेंसर किस मर्ज की दवा है? एडवोकेट जनरल का क्या काम है? केंद्र और प्रदेश के मंत्रियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलेक्शन पेटीशन करें और कुछ न करें? मेरी गुजारिश है कि जब यह सदन बैठता है तो १० हजार रुपया खर्च होता है। जितने ऐक्ट अल्ट्रावाइरस हुए हैं उन पर ढाई लाख रुपया खर्च हुआ है। ला मिनिस्ट्री क्या करती है? इन सब बातों को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि ला डिपार्टमेंट का काम ठीक नहीं है।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

इस वक्त के जो लीगल रिमेम्बरेंसर हैं उनको सैक कीजिये। जो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको सैक कीजिये। ऐसे आदमी रखिये जो जाने कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कौन कानून है और कौन नहीं। लाखों रुपया हमारा सर्फ होता है। एडवोकेट जनरल जाते हैं मुकदमों में तो या तो बहस नहीं करते हैं या अगर करते हैं तो कर नहीं पाते।

गवर्नमेंट को कानून बनाने के पहले एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेनी चाहिये कि जो कानून बना रहे हैं वह कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। अगर आपके एडवोकेट जनरल में इसकी सलाहियत नहीं है, आपके लीगल रिमेम्बरेंसर में इसकी सलाहियत नहीं है, गवर्नमेंट एडवोकेट में नहीं है, तो हाईकोर्ट का एक जज स्पेशली इस काम के लिये डिप्यूट किया जाय और लायर्स से भी राय ली जाय चाहे उन्हें परमानेंट बेसिस पर रखा जाय या टेम्पोरेरी बेसिस पर फीस देकर रखा जाय।

जब हम लोग कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, यह हेस्टी लेजिस्लेशन का तरीका अच्छा नहीं है, तो आप कहते हैं कि जनता को बड़ा नुक्सान हो रहा है। उस कानून से क्या फायदा कि हम बनावें और हाईकोर्ट कह दे कि गलत है। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि यह एक अहम मसला है कि जो कानून हमने पास किये वह गलत करार दिये गये।

अब दूसरी चीज है आर्डिनेंस के ऐम्स ऐंड आब्जेक्ट्स। मैं इस सदन के सामने फिर यह नहीं कहना चाहता कि आर्डिनेंस बनाने में स्पिरिट क्या होनी चाहिये, वह तीन दिन से कही जा रही है। तीन दिन के बाद अगर हम सरकार को न समझा पाये तो मजबूरी है। मालूम ऐसा होता है कि गरूर की रुई उनके कानों में ठूंसी है। वह कुछ भी सुनने के लिये मजबूर हैं। जो आब्जेक्ट्स बताये हैं उनमें यह भी है कि लोगों ने गांव समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया इसलिये यह आर्डिनेंस बनाने जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि राय और कुछ सिक्ख लोग, हम नहीं समझ पाते कि आप किन सिक्खों को इसमें मानते हैं। मास्टर तारासिंह के जो फालोअर्स हैं उनको जोड़ते हैं या जो दूसरे ग्रूप के लोग हैं उनको जोड़ते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनाया है उसके रूल ११५(सी) के जरिये आप गांव समाज के लैंड को जब्त कर सकते हैं। तो जब एक्जिस्टिंग ऐक्ट में पावर है तो फिर आर्डिनेंस के जरिये से नयी पावर्स लेना, क्या जरूरत है इसकी। आप लोगों को ओवरआ करना चाहते हैं।

एक दूसरी चीज और है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। इसमें रूल मेकिंग पावर आपने अपने लिये रिजर्व कर ली है। सही है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाज हालात में बहुत जरूरी होता है लेकिन उसके बहाने से सब्स्टैंटिव लेजिस्लेशन करना जुरिप्रुडेंस के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है और बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें आपने एक जगह पर लिखा है कि कम्पेंसेशन वगैरह जो उनके होंगे उनके लिये रूल्स में बाद में हम प्रेस्क्राइब करेंगे। तब क्यों इस वक्त यह आर्डिनेंस लाया गया। मैं खास तौर पर इस बात का तजकिरा करूंगा कि कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की प्रापरटी को एक्वायर करना चाहते हैं और उसके लिये कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं करते हैं जिसके आधार पर आप कम्पेंसेशन पे करेंगे तो वह ऐक्ट अल्ट्रावायरस हो जायगा। उसको बचाने के लिये इस आर्डिनेंस में

[श्री सैयद ज़रगाम हैदर]

आपने यह लिख तो दिया है कि रूल में उसके लिये प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपने उसको डेलीबरेटली छिपा रखा है और आप बाद में जैसा चाहेंगे रूल मेकिंग पावर के जरिये उस तरह से कर लिया जायगा।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस बनाने की जरूरत नहीं थी। ५३ में आपने ऐक्ट बनाया। उसमें उन लोगों को जिनका कब्जा पहले से चला आ रहा था उनके लिये था कि उन लोगों को फौरन बेदखल कर दिया जाय उनसे फौरन जमीन निकाल ली जाय। तो एक तरफ तो आप यह हल्ला करते फिरें कि लाखों आदमी आ गये उनको रिहैबिलिटेट करना है। जब सरकार के मंत्रीगण सरकार की कारगुजारियां बयान करते हैं तब यह भी कहते हैं कि लाखों आदमी पाकिस्तान ने निकाल दिया और हमने उनको बसाया और तराई भावर के बारे में माननीय मंत्री जी ने खुद न जाने कितनी बार अपने भाषणों में इस बात का बयान किया है कि तराई भावर में हमने हजारों शरणार्थियों को आबाद कर दिया। एक तरफ तो आप अपनी कारगुजारियां बयान करते नहीं थकते और दूसरी तरफ आर्डिनेंसेज जारी करके आप उनको एजेक्ट भी करते जाते हैं। लिहाजा प्रतापसिंह जी ने जो इस आर्डिनेंस के डिसप्रूवऐल का प्रस्ताव रखा है मैं उसकी ताईद करता हूं और सदन से और माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप कानून बनाने से पहले अपने कानूनी मुशीरों से पूरी तरह से सलाह लीजिये और जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके मशविरे से बनाइये। यह नहीं कि हम कानून बनाते हैं और वह खारिज हो जाते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी सुप्रीम अथारिटी ला बनाने की चैलेंज हो जाती है। खुदा जाने आपके मुशीर कैसी सलाह आपको देते हैं। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ खास तौर से ध्यान दें और कानून बनाने से पहले एक्सपर्ट ओपीनियन अच्छी तरह से ले लें तब कानून को लावें। क्योंकि इस तरह से तो रोज यहां हमारा १०,१५ हजार रुपया खर्च होता है और उसके बाद हम पर लोग हंसते हैं, वकील बाहर हमारा मजाक उड़ाते हैं, बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग न कानून जानते हैं और न उसको बना ही सकते हैं महज भत्ता लेना जानते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने हाल पर न हो तो कम से कम हमारे हाल पर रहम खाइये क्योंकि आपकी वजह से हमें शर्म उठानी पड़ती है।

श्री बंशीधर शुक्ल--माननीया अधिष्ठाता जी, हमारे प्रतापसिंह जी ने जो सरकारी अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस तरह का प्रस्ताव सदन में नहीं आना चाहिये था जैसा सरकार लायी है। सार्वजनिक भूमि तो आपने कोई बतायी नहीं है। न कहीं कोई बात लिखी है कि फलां भूमि सार्वजनिक है। जिस जमीन को सरकार चाहेगी उसको सार्वजनिक बना देगी और जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं बनायेगी। सार्वजनिक भूमि कहीं गलियारा, कहीं तालाब और कहीं मरघट। इनके अलावा अब चरागाह तो रह नहीं गये, तालाब भी गांव समाज ने पट्टे पर सिंघाड़ा बोने के लिये उठा दिये हैं वह भी नहीं रह गये हैं। गलियारा ऐसा है जिसे सार्वजनिक भूमि कहा जा सकता है और कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है। लेकिन सरकार करना क्या चाहती है? जो सार्वजनिक भूमि है उसे जिस समय चाहे गांव समाज बेदखल करा सकता है। वह भी हो रहा है। मेरे जिले में पचीसियों बेदखलियां हो गयी हैं। इस प्रकार की बेदखलियां हैं कि वे २ बिस्वा ४ बिस्वा जमीन से बेदखल हुए। किसी खेत के किनारे मूंज लगी है। किसान ने सोचा कि मूंजा खोद दें और उसका खेत बना लें। पटवारी ने शिकायत कर दी और उसको सीधे-सीधे बेदखल कर दिया। हालांकि वह मूंजा किसी काम में नहीं आ रहा। और इसी प्रकार की बातें यदि होती रहीं कि किसी का खेत पुश्तैनी चला आ रहा है लेकिन आप उसे बेदखल करा देते हैं तो पटवारी की जान चली जायगी।

सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि जंगल के किनारे की जमीन जिसको सरकार चाहती है सार्वजनिक बना देती है और जिसको नहीं चाहती उसको नहीं बनाती। सरकार जंगल के

किनारे की जमीन खुद लेना चाहती है और किसानों को उजाड़ना चाहती है। मेरे जिले में बहुत से ऐसे जंगल थे जिनको जमींदारों ने पट्टा कर दिया था और उस जमीन पर दूसरे काश्तकारों का कब्जा हो गया। सन् ५६–५७ में एक सर्कुलर वन विभाग की तरफ से निकलता है कि जो जमीन पट्टे में है वह किसानों को दी जाय लेकिन ५७–५८ में एक सर्कुलर निकलता है कि पुराना सर्कुलर रद्द किया जाता है और वे लोग जमीन पट्टे की खाली कर दें लेकिन न लगान कैंसिल हुआ न पट्टा कैंसिल हुआ न बूस्ट जोन कर कैंसिल हुआ तो जमीन वे क्यों छोड़ दें आपके कहने से या चन्द नौकरों के कहने से। फिर भी आप तुगलक जैसी स्कीम चला रहे हैं। इस प्रकार की बेदखली बन्द कीजिये। राजा साहब ओयल ने रेहुआ जंगल का पट्टा किया, राजा कोटवारा ने गोला जंगल का पट्टा किया अब उसको सरकार ने ले लिया लेकिन तेजेश्वर प्रसाद भल्ला ने पट्टा करवाया उसको नहीं लिया गया इसलिये कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं। उनकी बराबर खेती हो रही है। इस तरह से सरकार चलेगी, जियेगी या मरेगी।

पलिया कालोनी बनाई गयी जिसमें १० गांव हैं। सब मिनिस्टरों के नाम पर बसाये गये जैसे सम्पूर्णानन्द नगर, विचित्र नगर, विशेन पुरी, कमलापति पुरी, चन्द्रभानु पुरी इत्यादि। इसी तरह से वहां आदित्यनाथ झा मार्ग बनाया गया है। कौन हैं ये? गांधी जी के सगे रिश्तेदार हैं जिनके नाम पर यह सड़क बनाई गयी है। किस के आदेश से यह सब किया गया इसका पता नहीं कोई उत्तर नहीं।

६१,७०,९८० रुपये में वहां ७ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गयी। पाकिस्तान के बटवारा होने पर जो पंजाबी आये थे उनके लिये यह तोड़ी गयी थी। एक सरदार साहब वहां ११० परिवार लेकर आये। उन्होंने ४८ हजार रुपया लगाकर जमीन खरीदी कई हजार एकड़ और अपने परिवार बसाये। न रास्ता था, न कुंवा था? जंगल काट काट कर वे बसे। इसमें बड़ी-बड़ी घास के अन्दर वे रहते थे। लोग बीमार पड़े और मरे। ६० परिवार खत्म हो गये उनकी जमीन सरकार ने ले ली और जब सरदार जी पट्टा ले कर सम्पूर्णानन्द जी के दरवाजे पर आये तो यह कह कर कि वे पाकिस्तानी जासूस हैं उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। डाक्टर निरंजन सिंह उनका नाम है। जब हम गये और अदालत में उनकी सफाई दी कि हमारे यहां के डाक्टर हैं तब उनको छोड़ा गया। ७ हजार एकड़ जमीन सरदारों की इस सरकार ने ले ली। दरख्वास्त पर दरख्वास्त सरकार को दी हम खुद जाकर उनसे मिले चरणसिंह जी के पास गये लेकिन जमीन नहीं दी गयी और दूसरों को दे दी गयी।

क्या बढ़िया गांव बसाये गये हैं यह भी आप जान लें। कोई मंत्री महोदय जाकर उनको देख लें तो हमारा भी जी खुश हो जाय। मकान इतने बड़े-बने हैं कि ४ कोठरियां हैं और ४ दरवाजे हैं। ५,२०० रुपये उन चारों की लागत बताई गई। १,३०० रुपये बटवारे में आये चार आदमियों के जब कि ५०० रुपये में उसे बनाया जा सकता था। चार तरह की फैमलीज बसी हैं एक मदरासी है एक पंजाबी है, एक यू०पी० का है और एक सी० पी० का है। चारों की बीबियों में बात होती है तो आपस में झगड़ा होने लगता है। विशेन पुरी बसाई गयी हुकुमसिंह के नाम पर। १,२०० एकड़ जमीन थी। हमने पहले सरकार से कहा था यह जमीन खेती योग्य नहीं है मगर कौन सुने वह बालू की जमीन थी, जोतने में आसानी थी, उस को जोत कर खेती कर दी। अब वहां के किसान रो रहे हैं। पड़ोस में ही काफी जमीन पड़ी हुई है। हमने सरकार से वह खेती उन्हें देने के लिये कहा मगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस प्रकार की तुगलकशाही स्कीमें चल रही हैं। यह कानून आपने सिर्फ किसानों से जमीन छीनने के लिये बनाया है। पीलीभीत योजना में ७ हजार एकड़ जमीन आपने छीन ली। मैं सही कहता हूं कि वह किसानों के पास पट्टे पर थी और जिसको यकीन न हो वह देख ले। मगर वहां अब सरकार का कोआपरेटिव फार्म बनने जा रहा है। हमारे जिले में एक डी० सी० थे जिन्होंने खूब रुपया खाया, उड़ाया और जब हमने सरकार के पास शिकायत की तो उनका ट्रांसफर किसी बड़ी जगह कर दिया गया। अब तक रुपये का कोई हिसाब नहीं लिया गया। अभी

[श्री बंशीधर शुक्ल]

तक वह फार्म छप कर नहीं गये जिनको भरा कर कर्जा लेने वालों को रुपया दिया जाता है ताकि उनसे वापस हो सके। एक एम० आई० खान वहां का कोआपरेटिव इंस्पेक्टर है। वह वहां पर लाट साहब से भी ज्यादा बढ़ा है। तारीफ उसकी यह है कि अगर ५०० रुपये किसी को देना है तो वह दो वर्ष में देगा और २५० रुपये खुद ले लेगा। ५०० बीघा जमीन उसने खुद अपने रिश्तेदारों और अपने नाम करवाई मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी रद्दी सरकार को किसानों के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इनको चाहिये कि छोड़कर चली जाय, किसानों के भविष्य को क्यों खराब कर रही है।

किसी भी सुधार का है रंचक सहारा नहीं,
फिर भी लदे हुए हैं इन पै करोड़ कर,
आते अधिकारी हैं दिखाके ऐक्ट, टैक्स नये
छीन लेते सम्पत्ति धरी जो जोड़ जोड़ कर,
विकट परिश्रम में फिर भी लगे हुये हैं,
दुरित दुराशे तुझ से न मुख मोड़ कर,
नौकर रखता है घर रोकड़ अरोड़ कर,
मालिक किसान मरता है खेत गोड़ कर।

यह तो आपकी सरकार है। ऐसी दशा में मैं कहूंगा कि आप गद्दी छोड़ दीजिये।

एक दूसरी बहुत जबर्दस्त बात है कि हमारे जिले में एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल को सड़क बनायी गयी है। बीच की किसानों की जमीन सरकार ने ले ली बिना किसी इत्तला के और बिना किसी मुआविजे के। जबरदस्ती उनकी फसल काट ली गयी और सड़क निकाल ली गयी। तो आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह सत्य अहिंसावादी सरकार है, महात्मा गांधी की सरकार है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार है या मूर्खों और डाकुओं की सरकार है? हम बहुत से गांवों को जानते हैं जहां मुद्दतों से, जमींदारों के जमाने से माफी चली आ रही थी, जमींदार कहते थे कि केवल एक बैल दे दिया करना और खेती करो लेकिन अब उनको भी कहा जाता है कि तुम बेदखल हो जाओगे। यों हमारे राजा साहब ने कहा कि तीन साल तक अगर कोई जमीन पर कब्जा कर लेता है तो वह अधिवासी हो जाता है। खेती में बटाई पर कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का एक बैल मर गया और कर्जा उसे आपके यहां से मिलता नहीं है तो उसने सोचा कि बैल है नहीं चलो बटाई पर ही दे दो। तो उसको आप कहते हैं कि अधिवासी हो गया। हमारे यहां बहुत से किसानों ने कहा कि जमीन तो फलाने की थी मगर सरकार कहती है कि तुम ले लो, हम कहते हैं कि हम क्यों ले लें, ऐसी बेईमानी हम नहीं करते, सरकार बेईमानी करती है तो करे।

अब मैं एक मजे की बात बताता हूं। पीलीभीत योजना और सरकार की खीरी उपनिवेश योजना दोनों के बीच में एक ५,६ हजार एकड़ का गांव है उसको विनोबा भावे जी को दान में दे दिया गया था। उसमें एक हजार किसान बसते हैं। वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और वह सम्पूर्णानन्द नगर से भी ज्यादा सर सब्ज गांव है। आप चले जाइये और देख लीजिये। यहां पर तो हालत यह है कि जो कुछ अधिकारी कह दें वही कानून है। आप क्या सरकार चलायेंगे? आपको हजार निगाह रखनी चाहिये और हजार तरह से चौकन्ने रहना चाहिये। जब आप सरकार चलाने के योग्य हो सकेंगे अन्यथा आप छोड़ दीजिये बेकार किसानों के भविष्य को गन्दा न कीजिये।

मान्यवर, मेरे जिले में यह देखिये दरख्वास्त मौजूद है। मैं इसको वन मंत्री जी को देना चाहता हूं। चारों ओर घोर जंगल है, एक ओर शारदा नदी बहती है। इनके बीच में तीन चार गांव पुश्तनी बसे हुये हैं। वह लकड़ी फूस वगैरा काटकर टट्टी बनाते हैं तब कहीं जाकर अपनी खेती को बचा पाते हैं। सरकार अब उनको फूस भी नहीं देगी। लकड़ी भी नहीं देगी।

वह उजड़ जायेंगे। उनकी दरख्वास्त है। उस पर तमाम अंगूठे वगैरह लगे हुये हैं। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि:—

"निवेदन यह है कि न्याय पंचायत कांप की तीनों ग्राम सभायें कांप–एलनगंज–किशनपुर जंगल के बीच आबाद हैं। इससे हम लोगों की आराजी को जंगल के जानवर काफी हानि पहुंचाते हैं। जानवरों की वजह से काश्तकारी को रूंधने की जरूरत पड़ती है। मेड़ से जंगल के किनारे-किनारे कांटे गड़ाकर उसके ऊपर घास सेंटों की टट्टी बनाकर लगाते हैं। और खेत के अन्दर एक छोटा-सा झोंपड़ा बना कर काश्तकार को रहना पड़ता है; फिर भी जंगल के जानवर आराजी को हानि पहुंचा देते हैं। इसलिये श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम लोगों को कुकाठ लकड़ी, कांटे, सेंटा, पतेल और घास, सोख्ता, बल्ली, थूनी, बेंदूं जो कि हमें सदियों से मिलता चला आ रहा है अगर हम लोगों को माफी नहीं मिलेगी तो हम लोग जंगल के बीच अपनी गुजर-बसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि भूड़ की जमीन में अनाज की पैदावार बहुत कम होती है। और वह भी जंगल के जानवर चर लेते हैं। इसलिये श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि एक माफी का आदेश कांप सर्किल को भेजा जाय। अति कृपा होगी।"

(लाल बत्ती होने पर श्री बंशीधर शुक्ल ने कहा कि थोड़ा-सा समय और दे दिया जाय।)

श्री अधिष्ठाता—अभी आपका डेढ़ मिनट और है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मुझे थोड़ा-सा समय और दीजिये। मजे की बात यह है कि इन गांवों के पास शारदा नदी बहती है, जहां आबपाशी का कोई प्रबंध नहीं, नहर का गंदा पानी उल्ल नदी में छोड़ दिया जाता है। मैंने दरख्वास्त दी है कि इसकी क्या जरूरत है। पिछले साल एक हजार एकड़ जमीन बोई थी उसमें नहर का पानी छोड़ दिया गया, सब चौपट हो गयी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठात्री महोदया, यह जो बातें हमारे मित्र कह रहे हैं इनका प्रस्ताव से कोई वास्ता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—आप जरा बैठिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—अरे बात तो पूरी हो जाने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री बंशीधर शुक्ल—बैठने के लिये तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात तो कह लेने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने यह कहा था कि जिन बातों को वह कह रहे हैं उनका प्रस्ताव से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रस्ताव पर ही बोलने की माननीय सदस्य कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अगर मंत्री जी खड़े हों और उनका वैधानिक प्रश्न हो तो माननीय सदस्य बैठ जाया करें। मेरा विश्वास है कि अगर ठाकुर हुकुमसिंह ने वैधानिक प्रश्न प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी होती तो बंशीधर जी बैठ गये होते।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तवज्जेह दिलायी थी कि इर्रेलेवेंट है।

श्री राजनारायण—तवज्जेह किस तरह से दिलायेंगे? वैधानिक प्रश्न और सूचना का प्रश्न दो ही होते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—कहना यह है कि जंगल के किनारे के गांव काफी बरबाद हो चुके हैं। जंगल के जानवर उनमें छोड़ दिये जाते हैं। रेहुआ तथा भीषमपुर के जंगल में सब खेती चौपट हो रही है। पहले आपने कहा कि जंगल के जानवर पकड़े जा सकते हैं। कोई रोकथाम नहीं है। अब कहा जाता है कि जो लोग जानवर पकड़ेंगे उनको गिरफ्तार किया जायगा। बोलो भारत माता की जय। मतलब यह है कि आप के जानवर खेत चरें और अगर पकड़ना चाहें तो हमारे ऊपर मुकदमा चले। जिला अन्तरिम परिषद् में सवाल आया था। एक अम्बारा रोड पर बरौछा नदी है। उस पर पुल से किसान निकलते थे। उस पुल को जंगल वालों ने तोड़ दिया। वह गन्ना डिपार्टमेन्ट से तीन बार बनवाया गया लेकिन जब अंतरिम परिषद् में यह बात आयी कि इनको गिरफ्तार किया जाय तो पूरा पुल तोड़ दिया है। कोई निकल नहीं पाता। बोलो भारत माता की जय। इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव प्रताप-सिंह जी ने पेश किया है उसको यह सदन स्वीकार करे। जंगल विभाग की कोई जरूरत नहीं है इसको खत्म किया जाय। अगर जनता को सरकार रोटी नहीं दे सकती तो वह कुर्सी छोड़ दे। उनको खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इसलिये वह इस सम्बन्ध में आगे मत बढ़ें।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस अध्यादेश के देखने के बाद जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां से इसका कुछ मंशा जाहिर होता है। इसमें लिखा है—"अपेक्षाकृत अधिक खाद्य उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होने योग्य सार्वजनिक भूमि की नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर में बांटने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तुरन्त आवश्यकता है। इसमें जरूरत यह मालूम हुई कि बहुत ही पोशीदा तरीके से इसमें सहकारी खेती को जिस पर यह कहा गया था कि इसमें बल प्रयोग नहीं किया जायगा, यह जबरदस्ती नहीं लादी जायगी, ऐसा मालूम होता है कि इस अध्यादेश के जरिये कोई हथकंडा अख्तियार किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस अध्यादेश की एक दो धाराओं से मालूम होता है कि शायद पैदा होते ही यह रो भी नहीं पायेगा, मगर इसका गला घुट जायगा क्योंकि इसके पीछे पन्ने पर उन्होंने यह दिखाया है कि यह अध्यादेश जो १९५३ में बना था उसका भी यही हाल हुआ। पैदा होते ही उसकी गर्दन पर लोग सवार हो गये और वह मर गया। वह अल्ट्रावायरेस कर दिया गया। तांत बाजी राग जाना। हम को पढ़ते-पढ़ते मालूम हो गया कि यह अल्ट्रावायरेस हो जायगा। जहां यह पास हुआ यह चैलेंज कर दिया जायगा। किन-किन बातों पर चैलेंज कर दिया जायगा? एक जगह पर लिखा हुआ है, धारा ४ की उपधारा (३) में कि—"भूमि से बेदखल कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं तथा उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं जो आवश्यक हो"। कैसे बल का प्रयोग कर सकते हैं? हो सकता है कि डंडे का बल प्रयोग किया जाय या अगर किसान कमजोर हो और हाकिम तगड़ा हो तो वह उससे कुश्ती लड़ पड़े। दूसरी जगह पर यह लिखा है—"धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से ३० दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसे यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा"। तुर्रा क्या है? "अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी"। हम किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं कर सकते। आगे कोई चारा ही नहीं है हमारे लिये। अगर दो साल पटवारी हमारी जमीन का इंदराज न करे और उसके बाद सार्वजनिक भूमि डिक्लेयर कर दे और कह दे कि खाली कर दो। अगर न करें तो बल प्रयोग करके कब्जे में कर लेंगे। लिहाजा हम कोई चाराजोई अदालत में नहीं कर सकते। यह बात संविधान के भी विपरीत है कि हमारे आगे कोई रेमेडी न हो। संविधान के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के लिये रेमेडी पर रेमेडी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अगर तहसीलदार के यहां नहीं तो हाकिम परगना के यहां, हाकिम परगना के यहां नहीं तो अदालत दीवानी में, अदालत दीवानी में नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां डिस्ट्रिक्ट जज के यहां नहीं तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, मगर इसमें रास्ता बन्द कर दिया गया है । इस प्रकार संविधान के अनुसार हमारे साथ इसमें जबरदस्ती की जा रही है । यह चैलेंज होगा और अल्ट्रावायरेस हो जायगा । सदन के कुछ सदस्य कानून जानते हैं कुछ नहीं जानते जब उनको ऐसी चीज सूझ जाती है तो जो बड़े-बड़े कानूनदां हैं, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, उनकी नजर से कैसे बच सकता है ? हम लोगों की तो छोटी-छोटी आंखें हैं उनको जब स्पष्ट दिखायी दे गया तो बड़ी बड़ी आंखों को कैसे नहीं दिखायी पड़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेम्बरों की भी बड़ी आंखें होती हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---शायद हमारे मंत्री जी ने आई हास्पिटल से पता लगाया होगा । अगर ऐसा है तो उन्हें बड़ी-बड़ी आंखों को पुरस्कार देना चाहिये । और कोई कंपेटीशन करायें उसमें बड़ी आंख वालों को इनाम दिया जाय । गवर्नमेन्ट अपनी निगाह से देख रही है और हम अपनी निगाह से देख रहे हैं । सबसे बड़ा नुक्स ६ बटा ३ में है । इसमें उन्होंने कहा "कि उसका किस प्रकार विभाजन किया जाय तो यह सम्बद्ध पक्षों को निदेश दे सकता है । कि वे क्षेत्राधिकार युक्त किसी न्यायालय द्वारा उस मामले का निर्णय करवा लें" । आप जब चाहें हमारी गर्दन पकड़ कर मरोड़ दें । अगर झगड़ा हो आपसे तो उसका फैसला करने के लिये यह जिम्मेदार नहीं है । उसके लिये हम अदालत में जायं । हर जगह जबरदस्ती की गयी है । जिस जमीन को चाहें सार्वजनिक भूमि डिक्लेयर कर दें । हमारे माननीय शुक्ल जी ने बहुत ठीक बात कही । सार्वजनिक भूमि की कोई भी परिभाषा इस अध्यादेश में नहीं है । परिभाषा न होने के कारण इतना ऐम्बीगुअस है कि हम नहीं कह सकते कि कब किस व्यक्ति की किस किसान की जमीन सार्वजनिक भूमि करके वह ले ली जाय क्योंकि इसके हमारे पास कुछ उदाहरण हैं और वह उदाहरण यह है कि वह लोग जो कि अब से दस वर्ष पहले १२ वर्ष पहले पंजाब से भाग कर यहां आये थे, कुछ डर कर आये थे, कुछ मारे पीटे गये थे, कुछ का धन छीन लिया गया था, कुछ लोगों की जमीन छीनी गई थी, उन लोगों ने यह मुनासिब नहीं समझा कि रोटियों के लिये राहजनी करने लगे, लूट मार करें उनकी समझ में और कुछ नहीं आया तो जंगलों के किनारे जो जमीन पड़ी हुई थी, जो बेकार पड़ी थी उसको उन्होंने खेती के काम में ले लिया । कोई साधन नहीं थे उनके पास मगर फिर भी उसे जोतकर खोदकर उस पर उन्होंने अनाज पैदा किया ।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज बारह सालों से उन जमीनों पर वह लोग जो कि विस्थापित हैं पंजाब के वह आबाद हैं । बारह सालों से वह उस जमीन पर अन्न पैदा करके देश की सेवा कर रहे हैं । उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया है । मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी किसान उत्तर प्रदेश में गल्ला पैदा करते हैं उनके मुकाबिले में इन लोगों ने उस जमीन पर जिसको कि आज सार्वजनिक भूमि कहकर आप उनसे वापस ले रहे हैं, उनसे डयोढ़ा और दूना गल्ला पैदा किया है । उन्होंने उस जमीन पर किसी बदनियती से कब्जा नहीं किया है बल्कि वह सताये हुए हैं, विस्थापित हैं और इसलिये वहां आकर स्थापित हुये और अब स्थापित हुये तो वन विभाग की वक्र दृष्टि अब उनके ऊपर है । इन लोगों से दसगुना जमा कराया गया तब यह नहीं पूछा गया कि यह जमीन तुम्हारी है या किसकी है ? यह पहले कुछ नहीं पूछा गया । उस वक्त तो सरकार को पैसे की जरूरत थी, बकाया पैसा जमा होता रहा । सबके पास भूमिधरी की सनदें मौजूद हैं और उन पर लगान बराबर पड़ रहा है । इधर वन विभाग ने उनकी जमीन को सार्वजनिक भूमि बताकर उस पर कब्जा भी कर लिया और उधर उन पर लगान भी पड़ रहा है । उनकी जोती जोताई बोई बोआई जमीन जिस पर उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, जोतकर के ट्रेक्टर लगाकर के कुछ इमारतें वगैरह बनाकर के जब कुछ साधन इकट्ठा किया सब कुछ करने के बाद उस मरभूमि को जब

[श्री शिवप्रसाद नागर]

जलभूमि बनाया तो उसे सार्वजनिक भूमि बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। आज भी किन्ही-किन्ही जमीनों पर पांच पांच वर्ष हो गये हैं सन् ५३ से जबकि यह कानून बना है, तभी से बराबर उनका कब्जा होता चला जा रहा है लेकिन कब्जा हो जाने के बाद भी न उनका लगान खारिज किया गया है, न दसगुना वापस किया गया है और कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रोज डेपुटेशन आते हैं, न जाने कितनी फरियाद आती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब इस बात को चैलेंज कर दिया गया हाईकोर्ट में और कानून अल्ट्रा वाइरस कर दिया गया तो उसको अल्ट्रा वाइरस कर देने के बाद पीछे के रास्ते से एक अध्य देश लाये सीधे सीधे तो आ नहीं सके, पीछे से घूम कर आये, असेम्बली के पीछे की तरफ से जिधर गवर्नमेंट हाउस है, उधर से आये। पूछा कहां से आ रहे हो, कहा गवर्नर साहब के यहां से आ रहे हैं। क्या लाये? अध्यादेश लाये। हम तो यह कहना चाहते हैं आपके जरिये से कि सरकार एक नया बिल लाये। जब उसे अल्ट्रावाइरस करार दे दिया गया तो पूरा ऐक्ट ही अल्ट्रावाइरस हो गया। सो बजाय इसके कि आप चन्द क्लाजेज में अमेंडमेंट लायें। आप एक पूरा बिल बनाइये और उसमें इन सब बातों का लिहाज कीजिये कि किस-किस ने दस गुना जमा किया, कौन बारह वर्ष से काबिज है, कौन पांच वर्ष से काबिज है कितने ऐसे हैं कि जो गल्ला उत्पादन करके देश की सेवा कर रहे हैं। इन सब बातों पर गौर करते हुये आप एक पूरा बिल लाइये। जमीन जो बेकार पड़ी थी, जो इन्होंने जोती, दरिया के किनारे की जमीन जिसे इन्होंने दो साल जोता तीसरे साल वह दरिया से कट गई, चोथे साल फिर वह जमीन जोतने लायक हुई तो उसे फिर जोता, तो इस तरह की जमीनों से उनको बेदखल किया जाय तो फिर तो उनकी जिन्दगी ही मौत है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को अलग रख दीजिये और एक नया बिल लाइये, जैसा कि अभी माननीय जरगाम हैदर साहब ने कहा है कि एक्सपर्टस को पहले उसे दिखलाइये और तब उसको सदन में लाइये। यह मेरी दरख्वास्त है और मुझे कुछ नहीं कहना है।

*श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)---अध्यक्षता महोदय, मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तकरीरें बड़े गौर से सुनी और उन तकरीरों को सुनने के बाद मैं कुछ यह सोचने लग गया कि हमारे यहां बम्बई और कलकत्ता में गरीब मुहताजों की इतनी बड़ी तादाद है कि जो रात में फुटपाथों के ऊपर अपनी जिन्दगी बसर करती हैं और दिन में कुछ कोयले का कारोबार करते हैं, जिसमें हाथ भी काला और मुंह भी काला। गर्जेकि उनकी जिन्दगी बड़ी मुश्किल से बसर होती है। मैं यह सोचने लग गया कि उनको दावत दी जाय कि चलो और हमारे विरोधी दल के भाई बहुत से ऐसे हैं जिनमें इतनी उदारता और फैयाजी है कि तुम चलकर उनके घरों पर और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लो। वह तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। शुरू से आखिर तक जो तकरीरें हुई हैं उनका मकसद यही था कि जो कब्जा उन्होंने किया है वह अथराइज्ड है। किसी माननीय सदस्य ने इस बात का दावा नहीं किया कि जो वहां की जमीन पर कब्जा किया गया है वह अथराइज्ड है। यह खुशी की बात है। मैं तो डरता था कि शायद इस पर कुछ बहस होगी कि वह अन अथराइज्ड नहीं है, वह जायज कब्जा है लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। कुछ बहस इस पर भी नहीं की गई कि वह जमीन पब्लिक लैंड नहीं है। बहरहाल वह पब्लिक लैण्ड है। पब्लिक लैंड की उस ऐक्ट में तारीफ कर दी गई है। वह जंगल की जमीन है। वह कुछ इस किस्म की जमीन है जो किसी शख्स की जाती नहीं है बल्कि वह निर्माण के काम में आ सकती है। वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है। उन तकरीरों का निचोड़ यह था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुल्क का इस तरह से बटवारा कर दिया और उसका नतीजा यह है कि वहां से बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को उजड़ कर यहां आना पड़ा। वह लोग आकर वहां २० हजार एकड़ जमीन पर काबिज हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हैं बिला इजाजत के। हम यह तसलीम करते हैं कि उनका कब्जा नाजायज है तो उनको वहां से हटाया जाय। झारखंडेराय जी ने कहा कि कुछ ले देकर ५,५ और १०,१० एकड़ उनको दे दें और बाकी को लेकर तकसीम कर दिया जाय। मैं यह कहूंगा कि यहां पर किसी कम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। सवाल उसूल का है कि आया हम ट्रेसपासर को इजाजत दें या नहीं। लेकिन अगर हमने गासिब को इजाजत दी तो फिर बड़ा हवलनाक नतीजा बरामद होगा। तब किसी शख्स की निजी मालियत सबूत नहीं रह सकती है। उसके बाद हम लोग जो यहां पर बैठते हैं सभी को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप भी इस सदन में बैठते हैं तो यह आपकी उदारता आपको मजबूर करेगी कि २० हजार एकड़ जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर लिया गया है उसी तरह से आपके मकान पर भी कब्जा कर लिया जाय और जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाय। इस तरह का रास्ता उससे जो आपकी फैयाजी है, खुलेगा। रह गया इस कानून में उनकी सहूलियत का खयाल सो तो जितनी आसानी का खयाल किया जा सकता था वह किया गया और किया जा रहा है। जाहिर है कि सिविल कोर्ट के अफसर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज इंसाफ करने में बड़े मुस्तैद होते हैं और उनके ऊपर हमारी जनता को पूरा-पूरा भरोसा है। चुनांचे आज जो लड़ाई हो रही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपेरेशन के लिये वह इसी बुनियाद पर है कि सिविल जज के पास, मुंसिफ के पास यह मुकदमे पहुंच जायंगे तो उनके हाथ से हम इंसाफ पा सकेंगे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें भी आप देख लें। अगर कोई शख्स उज्रदारी करता है कि हमारा गसब नहीं है या यह पब्लिक लैण्ड नहीं है, और इस के लिये उसके पास एक मियाद है, तो वह खुद उसको सिविल जज को रेफर कर देंगे। सिविल जज उसका फैसला देगा और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट के लिये उन्होंने इजाजत क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के लिये इजाजत क्यों नहीं दी, तो यह जरा सी बात है और इस के लिये हम एक सिलसिला लगा दें सुप्रीम कोर्ट तक का, तो उसमें हम भी उलझ कर रह जायेंगे और वह गरीब भी और इतना लम्बा सिलसिला होने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो यह एक चीप और स्पीडी रेमिडी है जो उनको दी गयी है और वह इसको हर वक्त हासिल कर सकते हैं।

एक बात मेरे लायक दोस्त जरगाम हैदर साहब ने बड़ी इम्फैसिस के साथ पेश की जिस पर मैं प्वाइंट आफ आर्डर भी रेज करने वाला था, लेकिन रेज करते-करते रह गया। आर्डिनेंस के ऊपर एक्तिलाफ किया जा रहा है कि यह क्यों पास हुआ। उसमें यह दफात क्यों रखी गयीं। इस सिलसिले में तो मेरे भाई ने कम कहा लेकिन सारी तकरीर को उन्होंने इस बात में सर्फ कर दिया कि हमारा ला डिपार्टमेंट नाकारा है और आये दिन उसके बनाये कानून अल्ट्रा-वायरेस होते रहते हैं। मैं ज्यादा न कह कर अपने भाई को रेकमेंड करूंगा कि वह प्रीवी काउंसिल को देख लें। सही है कि वह एक अच्छे वकील हैं। हिन्दुस्तान तो एक पिछड़ा हुआ मुल्क है, जम्हूरियत यहां बकइयां चल रही है लेकिन वह मुमालिक जहां पर दो, तीन और ५ सौ साल से उसका तजुर्बा हो रहा है वहां की पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स की बात बतलाना चाहता हूं और इसीलिये प्रीवी काउंसिल का हवाला दे रहा हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाउस आफ कामंस और अमरीकन लेजिस्लेचर्स के बनाये हुए कानून भी खासी तादाद में वहां के सुप्रीम कोर्ट और प्रीवी काउंसिल द्वारा अल्ट्रावायरस करार दिये जाते हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उन लोगों के मिजाज की बनावट एक खास किस्म की हो जाती है और उसमें कोई दोष हमारे लीगल रिमेम्ब्रेंसर या ला डिपार्टमेंट का नहीं है। यह ठीक है कि आपने चेतावनी दी है, हमको सजग होना चाहिये और छानबीन से काम लेना चाहिये लेकिन जो एक होलसोल इल्जाम लगा दिया गया, यह मेरी गुजारिश है कि इर्रिलिवेंट भी था और इसकी चन्दाँ जरूरत नहीं थी। आर्डिनेंस की जरूरत तो ऐसे ही वक्त में पड़ा करती है। जाहिर है कि १९५३ में कानून लागू किया गया और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में मुकदमे

[श्री उबैदुर्रहमान]

किये गये, अपीलें कई स्टेजेज पर पड़ी हुई हैं और ऐसी सूरत में सिवाय इसके कि गवर्नर साहब अपनी आर्डिनेंस की पावर इक्सरसाइज करते और कोई चारा नहीं था। इसमें वही चीजें हैं कि जो पहले कानून में थीं। वह कानून इसी सदन ने पहले बनाया था। एक टेक्निकल गलती थी, उसे गलती कहिये या भूल कहिये, जो हो गयी थी, उसे इसके जरिये दुरुस्त कर दिया गया है, वरना और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। इसकी रूह वही है, ढांचा वही है, ताकत वही है। पहले कानून से इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बहरहाल, यह आर्डिनेंस गवर्नर महोदय की तरफ से हो गया है और उसका विरोध करना चाहिये इसलिये प्रस्ताव आ गया। कहा गया कि हम एख्तिलाफ करते हैं, यह सड़ा हुआ है, गला हुआ है। इसके अलावा एक बात और कही गयी कि माननीय सदस्य ऐसा मालूम होता है कुछ कोस रहे हैं कि वह ऐक्ट जो था वह अल्ट्रा वाइरस हुआ और खुदा करे यह आर्डिनेंस भी अल्ट्रावाइरस हो। मेरे ख्याल में ऐसा जज्बा नहीं होना चाहिये। क्यों हो? अगर हम सही कदम बढ़ाते हैं और यह आर्डिनेंस दुरुस्त है, जायज है, कानूनन नोक व पलक से ठीक है तो क्या जरूरत है कि यह नाजायज करार दिया जाय और ख्वाहमख्वाह हाईकोर्ट स्टेपिंग करे। मेरे खयाल से ऐसे कोसने की तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

दूसरी बात जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वह यह है कि मुकाबलतन मिसाल दी गयी जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की और एक माननीय सदस्य ने बहुत ही दिलचस्पी और बड़ी तैयारी के साथ मिसाल दी कि यह आप किस मुंह से कहते हैं कि यह गसब बुरी चीज है? जब जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बनाकर के उसमें अधिवासियों को महज कब्जे की बुनियाद पर हक देकर इतनी बड़ी चोट लगायी है, जरबेकारी लगायी है, उस उसूल की हिमायत में आप आज खड़े हुये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जमींदारी अबालीशन का एक इतिहास है कब्जे की बुनियाद पर हक देने का, १३५६ फसली के इंदराज की बिना पर हक देने का, मुख्तलिफ हकों को देने का। इसकी एक वजह थी, इसका भी एक इतिहास है जिसको हम आप सभी जानते हैं। वह एक मखसूस हालात में एक इनकलाबी लेजिस्लेशन किया गया था, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर यह मतालबा किया जा सकता है कि हम जो ऐक्ट भी बनायें, जो लेजिस्लेशन बनायें उसमें ट्रेसपास पर प्रिमियम छोड़ दें और गासिबों को हक दे दें। अगर ऐसा हो जायगा तो जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, हमारी जिन्दगी दुश्वार हो जायगी। कोई शख्स अपने मकान में नहीं रह सकता, खेती नहीं कर सकता, मिलकियत को बरकरार नहीं रख सकता, एक तवाइफुलमलूकी होगी। आज जिस बात की कोशिश हमारे विरोधी दल के भाई कर रहे हैं बींजसहू वही हालत वहां हुई। पहले तो उनको यहां बुलाया कि तुम हमारे भाई हो, यहां आकर रहो और उस भाई ने क्या काम किया कि बिला बताये हुए नाजायज तरीके पर नाजायज कब्जा वहां कर लिया और बेदखली करना दुश्वार कर दिया। तो क्या हम पाकिस्तान की मिसाल फालो करना चाहते हैं? हम ट्रेसपासर पर प्रिमियम नहीं दे सकते, हम उसकी हिम्मत अफजाई नहीं कर सकते हैं। हमें एक उसूल से चलना पड़ेगा, चाहे वह आपके खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, आपको उससे फायदा पहुंचे या हमको फायदा पहुंचे। तो बहैसियत मजमुई मैं अर्ज करूंगा ....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण---श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, यह अध्यादेश अननुमोदित करने का जो प्रस्ताव पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी सरकारी पक्ष के लायक दोस्त ने जो तजवीज फरमाई है मैं चाहता हूं कि उन्हीं के मुताबिक मैं अपने तरकों को प्रस्तुत करूं। उन्होंने कहा कि हमारे ला डिपार्टमेंट को गलत बनाने की कोशिश की गयी, हमारे ऊपर तरह-तरह के आक्षेप लगाये गये, यह नहीं बताया गया कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है। तो मैं आपके द्वारा वस्तुस्थिति को ही बताना चाहता हूं।

यह अब जाहिर हो चुका है कि सरकार का ला डिपार्टमेन्ट कैसा है। उस ओर विशेष कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। नित्यप्रति कानून रद्द होते चले जायं हाईकोर्ट के जरिये, नित्यप्रति मैजिस्ट्रेटों को हाईकोर्ट के सम्मानित जजों के द्वारा घुड़कियां मिलती चली जायं, नित्य प्रति जो विरोधी पक्ष के लोग गिरफ्तार किये जायं वह ऊंची अदालतों से छूटते चले जायं, यह सब बातें आ चुकी हैं बड़ी मात्रा में। उसको देखते हुए भी आज सरकार अपने कानून के बारे में, अपने प्रशासन के बारे में घमंड करती है कि अच्छा है। तो यही कहा जा सकता है कि इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। जब तक यह शासन बना रहेगा तब तक इस तरह की स्थिति कायम रहेगी और खराबी बढ़ती चली जायगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना है।

आब्जेक्ट का जो व्याख्यात्मक ज्ञापन है उसमें लिखा हुआ है: इस समय नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत तथा बिजनौर के जिलों में लगभग २०,००० एकड़ सरकारी भूमि (जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है) राय तथा अन्य सिखों के अनधिकृत कब्जे में है, जिनका वर्गीकरण भूतपूर्व पंजाब में आपराधिक जन-जातियों (क्रिमिनल ट्राइब्स) के रूप में किया गया था। सही है कि सरकार की ओर से इस सदन में कई बार जजबात के इजहार हुए हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स में भी संशोधन किया जाय और जो क्रिमिनल ट्रइब्स माने जाते रहे हैं उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में न माना जाय। लेकिन क्या इस सरकार की ओर से कोई भी आंकड़े प्रस्तुत हुये कि इसमें कितनी वन भूमि है, क्या इस सरकार की ओर से कोई भी आंकड़े प्रस्तुत हुये कि आज जिनके कब्जे में जितनी भूमि है उस पर वह कितने समय से खेती कर रहे हैं, उसमें कितना अन्न पैदा हो रहा है, उसमें उन्होंने अपनी कुछ पूंजी लगाई है या नहीं, वह जमीन जो उन्होंने ली है वह क्या पुराने किसी दूसरे के जरिये से जो जमीन हासिल की गई थी उनसे ली है या सीधे सीधे ली है? इस सदन में कई बार रुद्रपुर, नैनीताल और पीलीभीत के फार्मों को लेकर के चर्चा उठी है। एक बार यहां पर यह बात भी आई कि ऐसे बहुत से लोगों को सरकारी जमीन दे दी गई जो कि राजनीतिक पीड़ित नहीं थे, तब भी मैंने यह निवेदन किया था कि आखिर उनको राजनीतिक पीड़ित होने की सनद किसने दी, उनको सरकार की ओर से राजनीतिक पीड़ित किसने माना लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला और यह कहा गया कि जो फार्मिग हो रही थी वह बिल्कुल नष्ट हो गई है और उस रूप में सरकार की इच्छा पूरी नहीं हो रही है जिस बात को लेकर उनको जमीन दी गई थी। तो सामने बात आती है कि आखिर यह जमीन भी वहां की खेती के लायक है और सरकार खेती करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है। यदि अन्नोत्पादन की समस्या का हल हो रहा है तो सरकार क्यों आज छीनने की कोशिश कर रही है?

मुझे बड़ी खुशी है इस समय माननीय ठाकुर हुकुमसिंह जी के हाथ में यह विभाग है। आज से कुछ समय पूर्व भी यह विभाग उनके हाथ में ही था और बीच में किसी दूसरे मंत्री के पास चला गया था। जब वाराणसी के अन्तर्गत काशी नरेश की स्टेट मिली थी तो वहां चकिया का एक जंगल है, चकिया के जंगल में भी यही मामला उठा था और सरकार की ओर से हुकुम-नामा, फर्मान निकाला गया कि जिन लोगों की जमीन है, जो अभी-प्रभी पट्टे करा लिये हैं या जमीन पर काबिज हैं उनसे सरकार जमीन छीने ले रही है। बाद में बड़ी कोशिश हुई, मंत्री जी जो इस वक्त विद्यमान हैं उनको समझाया गया तो यह नियम बना कि १० एकड़ तक के जो किसान हैं उनको वह जमीन फिर पट्टा कर दी जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो पुरानी गल्तियां की थीं, उन गल्तियों का परिमार्जन जिस तरीके से हुआ था उसी तरफ सरकार का ध्यान क्यों न जाय। क्यों न सरकार सोचे कि इन लोगों ने जो जमीन हासिल की है वह कैसे हासिल की है, केवल एक गासिबाना कब्जा कह दिया जाता है। केवल इस शब्द के प्रयोग से ही कब्जा नहीं ले लिया जाना चाहिये बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिये, गुण दोष में जाना चाहिये। सरकार बराबर एक एलान करती रही है कि हम ग्रो मोर फूड कम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) चला रहे हैं, जिनके

[श्री राजनारायण]

पास जमीन नहीं है उनको ज़मीन दे रहे हैं। भूमि विहीनों को जमीन दे रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जमीन है या नहीं और उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। अभी-अभी हमारे पास नैनीताल जिले के बहुत से व्यक्ति प्रतिनिधि मण्डल के रूप में आये थे। शायद वे माननीय मंत्री जी से भी मिले होंगे और अपनी दिक्कतें उनके सामने रखी होंगी। नैनीताल तराई के किसानों की समस्या है कि जब से यह कानून आया तब से और आज तक उनके ऊपर किस तरह की मुसीबतें सरकारी कर्मचारियों द्वारा बरपा की जाती रही हैं, छोटे-छोटे किसान जो ४,६ वर्ष से खेती कर रहे हैं, जो १ या २ वर्षों से खेती वहां कर रहे हैं, और जिन्होंने हजारों रुपया जमीन का विकास करने में लगा दिया है, उनको कैसे उनकी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। बरुआ गांव के किसानों के छप्परों को सरकारी कर्मचारियों ने जाकर उजाड़ दिया। दूसरे लोगों को जो खेती नहीं करते थे और सही मानों में क्रिमिनल नेचर के थे, उनको सरकारी कर्मचारी उभारते हैं कि तुम जाकर फलां जमीन पर कब्जा करो और हम किसी तरीके से तुम्हारा कब्जा उस जमीन पर करा देंगे। फिर, ९ किसानों को जो कि खेती करते हैं १०७/११७ में दर्ज करा दिया। ग्राम चिकाघाट, तहसील सितारगंज में करतारसिंह व सुच्चासिंह के ५ बच्चे थे उनके घर व छप्पर जलाये गये और उनके दो आदमी जिनके नाम बग्गासिंह और सिंगारासिंह हैं धारा १०७/११७ में बन्द किये गये। ग्राम चंदेली तहसील खटीमा में दारासिंह व गुलजारसिंह के तीन छप्पर व सामान १० जुलाई को खटीमा के अधिकारियों ने जला दिया। ग्राम पचकड़िया, तहसील खटीमा के हरिराम हरिजन की जमीन जबरदस्ती छीन ली गई और उसका चालान १०७/११७ में किया गया। ग्राम नरई, तहसील सितारगंज में थारू किसानों की आबाद भूमि भूमिहीन किसानों को दे दी गई। ग्राम किसनपुर के थारुओं की भूमि लेकर धारा १०७/११७ में कार्यवाही उनके विरुद्ध की गई। ग्राम ऊंची मुहावट तहसील खटीमा के पंडित लक्ष्मीचन्द्र की जमीन जबरदस्ती लेली गई। ग्राम पिपलिया, तहसील सितारगंज में गुरुदत्तसिंह, नादरसिंह, किसुनसिंह, बग्गासिंह, गंगासिंह आदि के तीन छप्पर व एक गुरुद्वारे के छप्पर को जला दिया गया। आठ घरों को २००, २५० आदमियों के साथ ठाकुर रामनारायण सिंह वकील ने लूटा और करीब ४०० मन गल्ला ले गये तथा एक बैल को गोली से डंडे से मार दिया, ऐसा ही कुछ लिखा है। यह सब सरकारी कर्मचारी करा रहे हैं, यह उनका आरोप है, और वे अपनी शाबाशी और वाहवाही लेने के लिये करा रहे हैं।

सरकार ने जब से यह कानून पास किया वहां के सरकारी कर्मचारी तत्पर हो गये खुराफात बरपा करने में। यह सरकार जनतंत्र का नाम लेती है, तरक्की का नाम लेती है, मैं उसे यह चरितार्थ करने का सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मामला आगे को और ज्यादा खराब न हो नहीं तो यह आगे और बढ़ेगा, ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, निर्बलों को सताया जायगा, सबल लोगों को जमीन दे दी जायगी। इसलिये सरकार को एक निष्पक्ष समिति का निर्माण करना चाहिये। उस निष्पक्ष समिति में, यदि सरकार चाहे तो कुछ विरोधीदल के लोग भी जा सकते हैं, जाकर उसमें बैठ सकते हैं और किन के पास अब तक जमीन थी, कितनी जमीन है, उन्होंने अथोराइज्ड व्यक्तियों के जरिये से वह ली है या नहीं, यह देखेंगे। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास २५० एकड़ जमीन थी और १००–१५० एकड़ तक ही जोत सके और बाकी को उन्होंने उठा दिया। हम कह सकते हैं कि वह जमीन उनके कब्जे में कैसे आ गयी। क्या ऐसे लोगों के पास से वह जमीन तो नहीं आयी जो खेती करने के काबिल नहीं थे और जिसको दूसरे लोगों ने रुपया देकर उस जमीन को ले लिया, या उन्होंने दूसरों को उठा दिया? ऐसे कितने लोग हैं, इसकी जांच हो जानी चाहिये। उस समिति में सरकारी पक्ष के लोग भी हों और विरोधी पक्ष के लोग भी हों। खाली यह कह देने से समस्या का हल नहीं हो सकता कि उनका कब्जा गासिबाना है। ऐसा कहना इस शब्द के ऊपर बलात्कार है। तो ऐसी जो कमेटी बने, वह घटना स्थल पर जाय, जाकर ऐसे लोगों के बारे में जांच-पड़ताल करे कि किस हालत में, किस से वह जमीन ली गयी है, उसमें कोई रकम भी लगायी गयी है या नहीं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह नियम बन जाना चाहिये कि सही माने में जो खेती करते हैं, जमीन से अन्न

उत्पादन करते हैं, उनके पास यदि ज्यादा जमीन न रहे तो भी उनके जीवन निर्वाह के लिये १०, १२ या १५ एकड़ दे दी जाय। एक आधार भूत सिद्धान्त बना लिया जाय कि अधिक से अधिक इतनी जमीन हो। ऐसा भी हो सकता है, कि कुछ पूर्वी जिलों के लोग जिनके पास सैकड़ों एकड़ घर पर जमीन हो लेकिन वहां पर जाकर जमीन को लिये बैठे हों, ऐसे लोगों से जमीन बेदखल करा ली जाय।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के जारी होने से पहले जो इस तरह की कार्यवाहियां हुई हैं, जो जो बेदखल कराये गये हैं, उनको उसी तरह रखा जाय जिस रूप में वे लोग पहले थे ताकि पूरी इंक्वायरी हो सके। अधिष्ठात्री महोदया, सदन में बड़ा शोर हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता---सदन में शांति रखने की कृपा करें।

श्री राजनारायण---इनको कृपा करके यह भी बता दिया जाय कि सदन में किस तरह से चला जाता है यह नहीं कि जैसे अब सीना उभाड़ कर चल रहे हैं। अधिष्ठात्री महोदया के सामने नतमस्तक होकर आना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि वहां पर जो हरिजन हैं उनके लिये एक आधार बना दिया जाय कि उनके पास १५ या २० एकड़ जमीन रहेगी। उस आधार को अभी मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता हूं क्योंकि सीमा के निर्धारण से पहले यहां की हालत को देखना होगा और यह भी देखना होगा कि वहां प्रति एकड़ कितना गल्ला पैदा होता है। फिलहाल १५-२० एकड़ की सीमा बंध जानी चाहिये। जिनके पास इससे कम जमीन हो उनसे तो बोलना नहीं चाहिये लेकिन अगर उससे ज्यादा हो उसे ले लेना चाहिये। मगर उस जमीन को वहां के जो भूमिहीन या मजदूर हों उनमें बांट देना चाहिये। सरकार हरिजन उत्थान की बात तो करती है लेकिन उसके लिये मैं उसको सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार जो अधिक जमीन हो उसको हरिजनों को दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इसमें जल्दी में ऐसा न करे कि इस अध्यादेश को जारी रख कर, जो सही माने में अन्न की समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं, उनको जमीन से बेदखल न करा दिया जाय। लेकिन अगर ये सारी बातें इसमें न हुईं, इसका निबटारा न हुआ और सरकार ने अपना अध्यादेश जारी कर दिया, पुलिस के बल पर, डंडे के बल आपने शासन करने का प्रयत्न किया तो यह लड़ाई समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें और यह अननुमोदन करने का जो प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में माननीय मंत्री जी स्वयं खड़े होकर उसका अनुमोदन करें, जिससे ट्रेजरी बेंचेज के लोग भी वैसा ही करें और वे लोग भी इसको सहर्ष स्वीकार करें।

***श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, जो बिल बेदखली के लिये इस सदन में पेश हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैंने अपने जिले में प्रत्येक दिन के दौरे में या और पड़ोसी जिलों में भी देखा है कि जमीन गरीबों के पास नहीं है। आज सरकार की जमीन उन आदमियों के हाथ में चली जा रही है जिनके पास ताकत है, जिनके पास रुपया है, और जिनके पास लाठी और भाले की शक्ति है। सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार कहा कि इस जमीन से उन गरीबों को बेदखल किया जा रहा है जिनके पास कि यह जमीन है। मैं कहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने बहुत सोच-समझ कर इस बिल को सदन के सामने पेश किया है। हमारे इस विधान सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अपने गांव में भी गये होंगे, या सरकारी नजूल की जमीन में गये होंगे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

तहसीलों की जमीन में गये होंगे और उन्होंने देखा होगा कि उन जमीनों पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जिनके पास शक्ति है या धन है या बुद्धि है या लाठी का जोर है। ऐसे लोग इस बिल को फेल करने में सहायता करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। गवर्नमेन्ट की स्कीम को फेल करना दूसरी चीज है लेकिन इस बिल को फेल करके उन गरीबों के हाथ से जमीन को छीन कर इधर-उधर मिला लेना चाहते हैं। यह कहा गया कि गरीबों के पास भी यह जमीन है, हो सकता है कि कुछ गरीबों के पास भी यह जमीन हो, मैं भी जानता हूं कि कहीं-कहीं पर कुछ गरीबों ने भी ऐसी जमीनों पर कब्जा कर रखा है लेकिन थोड़े से गरीबों का नाम लेकर हम सारी सरकारी जमीन को उनके हाथ में छोड़ दें जो न तो कभी बेदखल हो सकते हैं, न कोई लाठी हथियार लेकर उन पर वार ही कर सकता है और न कहीं मुकदमा ही दायर हो सकता है, यह उचित नहीं होगा। अगर मान लिया जाय कि कहीं सरकारी कर्मचारी जायगा उसे रोकने के लिये तो बाद में सरकार सहायता करेगी लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह से वह बेदखल हो सकेगा? मैं उदाहरण के लिये आपको बतलाऊं कि क्या गांव सभा की जमीनें गांव सभाओं के कब्जे में हैं? वहां तो ऐसे आदमियों के हाथ में वे जमीनें हैं जिनके हाथ में लाठी की ताकत है। वहां पर लोगों ने अपने-अपने गिरोह या गुट बना लिये हैं और गांव सभाओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। लोगों ने झूठमूठ यह कह कर कि इस शख्स के पास तीन चार साल से जमीन है, उस पर कब्जा कर लिया है और इस तरह से ऐसी बहुत-सी जमीनें झगड़े में हैं। वहां पर सीरदारी और भूमिधरी का उतना झगड़ा नहीं है जितना कि इस तरह की जमीनों का झगड़ा है। एक गुट कहता है कि गांव की जमीन पूरे गांव को न मिल कर हमको मिले और इस तरह के विशेष व्यक्ति अपनी ताकत क बल पर ऐसी जमीनों पर कब्जा करते चले जाते हैं। इसलिये मैं सदन के प्रत्येक सदस्य से चाहे वे इधर के हों, चाहे उधर के हों, अपील करता हूं कि वे देश के हित में, समाज के हित में और किसानों के हित में इस बिल का विरोध न करें। आखिर उन्होंने यह क्या धारणा बना रखी है कि सरकार चाहे कोई भी बिल अच्छी नीयत से भी लावे फिर भी विरोधी पार्टी वाले उसका बराबर विरोध ही करें। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में या जहां कहीं भी जायं, वहां ऐसी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनकी बेदखली का समर्थन करें। एक बार मैं फिर माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी छोटी चीज जिस पर हम लोगों की निगाह भी नहीं जाती थी, ४ दिन के ही सदन में इतना छोटा-सा बिल लाकर अराजकतावादियों के हाथों से जमीन छीन कर प्रान्त में शांति स्थापित करना चाहते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--यह बिल नहीं है, आर्डिनेन्स है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--सरकार ने सोचा कि बिल के बनाने में तो महीनों और सालों लग जायेंगे और तरह-तरह की विचारधारा बीच में पैदा हो सकती हैं इसलिये सरकार की तरफ से यह आर्डिनेंन्स जारी हुआ है वह पास कराने के लिये जल्दी के ख्याल से लाया गया है। यह भी अब तो एक तरह से एक विधेयक ही है और आप सब की इस पर अब सदन में राय ली जा रही है, आर्डिनेंन्स का मतलब दूसरा नहीं लगाया जाना चाहिये, यह तो जल्दी करने के लिये एक तरीका मात्र है। यह देश के और समाज के हित के लिये एक तरीका है कि अगर जल्दी किसी चीज को लाना है तो अध्यादेश की शकल में लाया जाता है और समझ लिया जाता है कि इस से जनकल्याण होगा। उधर के लोगों को हर बिल की तरह इस पर बोलने का हक है, वह कह सकते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भिजवा दिया जाय लेकिन उधर से तो सीधे ही कह दिया गया है कि इस को रद्द कर दिया जाय और इस तरह से कोई कानून न बनाया जाय। वह कहते हैं कि बेदखली रोक दी जाय नहीं तो किसान मर जायेंगे। मेरा कहना है कि इस बेदखली को रोकने से किसान और गरीब परेशान नहीं होंगे बल्कि उस विचार के और उस दल के लोग परेशान होंगे जो आज गरीबों पर हावी हैं और हावी हुआ करते हैं और हमेशा हावी होने की कोशिश किया करते हैं। कभी तो वह कहते हैं कि हमारी विचारधारा साम्यवादी है, कभी कहते हैं कि हम समाजवादी

हैं, आप चाहते हैं कि समाज में सब को बराबर बल मिले लेकिन जब सरकार जमीन को जरा भी इधर से उधर करना चाहती है तो उधर से उसका विरोध होने लगता है। कभी-कभी तो हम भी आप के विचारों के लिये हृदय से धन्यवाद देते हैं लेकिन कभी-कभी बहाव में वह ऐसे उलझ जाते हैं कि समाज के कल्याण के कानून में भी रुकावट डालने लग जाते हैं। मैं अधिक न कह कर माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आप सब को धन्यवाद दे रहा हूं कि यह जो आर्डिनेंस द्वारा बेदखली का कानून आया है उसको पास करें और अपने-अपने क्षेत्र में किसानों में हर जगह यह कहें, जहां आप कह रहे हैं कि पुलिस और फौज पहुंचेगी और दूसरे लोग पहुंचेंगे वहां आप जाकर जनता को समझा दें कि कोई न पहुंचने पाये और वैसे ही आप लोग इन जमीनों को छोड़ दें ताकि शांति रहे और एक अच्छे राज्य की व्यवस्था यहां कायम रहे।

*श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत आर्डिनेन्स का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं इस का समर्थन करूं मुझे श्री राजनारायण जी की यह बात सुनकर, जो कि मैं करीब-करीब रोज सुनता हूं कि सरकार लाठी डंडे से, बल से राज्य चलाती है, अत्यन्त दुःख हुआ। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वह इस कोटेशन को जरा रिजर्व कर के इस्तेमाल किया करें तो जनता की, सदन की और हमारी निगाह में उनकी कुछ इम्पार्टेन्स हो सकती है वर्ना जो कुछ वह रोज कहते हैं मैं समझता हूं उस का किसी पर भी कोई असर नहीं होता। इसके साथ-साथ अगर वह अपनी स्पीच में कोई तत्व भी रखना चाहते हैं तो वह भी हवा में उड़ जाता है। आज प्रदेश की जनता का उन के भाषण के बारे में यह विचार बनता जा रहा है कि वह तो ....

*श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के भाषण के बारे में, जो आज नहीं दिया गया है और आज से पूर्व दिया गया हो, इस तरह से इस सदन में कह सकते हैं कि सदन के बाहर लोग उनके भाषण के बारे में क्या विचार रखते हैं?

श्री अधिष्ठाता---उसका जिक्र तो कर ही सकते हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---सदन के बाहर जो कहा गया हो. . . .

श्री अधिष्ठाता---उसमें कोई हानि नहीं होती।

श्री रामेश्वरप्रसाद---तो मैं यह कह रहा था कि जो चीजें सामने नहीं हैं, जो आर्डिनेंन्स के ड्राफ्ट में नहीं थीं उनको भी खींचकर इस आर्डिनेंन्स के साथ जोड़ा गया। मैं समझता हूं कि सरकार के साथ, इस आर्डिनेन्स के साथ और तथ्य के साथ यह ज्यादती करना होगा। माननीय सदस्य इस आर्डिनेन्स को देखें तो साफ जाहिर हो जायगा कि ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण सरकार को विवश होकर यह आर्डिनेंस लाना पड़ा। सरकार को इस तरह से जल्दी के काम करने का कोई शौक नहीं है। वह तो हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से बिल लाकर और कानून पास कराके शासन चलाना चाहती है। मेरा ख्याल है कि जिन भाइयों ने इसकी आलोचना कर डाली उन्होंने इस आर्डिनेन्स के आखिरी पन्ने में जो वजूहात दी हुई हैं उनको देखने की तकलीफ नहीं की। इसमें कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगी आ गई थी जिसके कारण इसे लागू करना पड़ा। कुछ फैसले होते हैं हाईकोर्ट से और यह जो मौजूदा कानून था सरकार का उस पर उसका असर पड़ता है। उसके बाद सरकार उस आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। कोई कोर्ट हमारे सदन के या हमारी सरकार के मातहत नहीं है, बल्कि उनका काम स्वतंत्र है और वह अपने तरीके पर अपने समय के अन्दर फैसला देंगे। इन परिस्थितियों में आप स्वयं सोचें कि अगर यह नियम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामश्वरप्रसाद]

न एग्जिस्ट करता हो तो प्रदेश की उन जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, जिन पर कि लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, उनको उन पर से कैसे हटाया जाय और कैसे उस जमीन की क्षति पूर्ति की जाय। यह ऐसा विषय है जिसमें हर एक समझदार व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि जिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर सरकार ने यह आर्डिनेन्स निकाला वह बिलकुल उचित है। इसमें किसी भी तरह की आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं है ।

मैं समझता हूं कि इस आर्डिनेन्स के भीतर उन सारी बातों का जिक्र है जो कि डेमोक्रेटिक पद्धति में होनी चाहिये। कुछ जमीनें तो ऐसी हैं जिनकी परिभाषा दी हुई है। तीन-चार तरह की है, गांव समाज की, पट्टे पर आदि आदि। उन जमीनों से सरकार का कोई मतलब नहीं है। यह तो आर्डिनेन्स लागू होगा ऐसी जमीनों पर जो सार्वजनिक हैं और बिना किसी हक के लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। उन जमीनों के लिये जब सरकार इस आर्डिनेन्स के तहत में बेदखल करने चलेगी तो जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको देखने से मालूम होता है कि कितनी गणतांत्रिक पद्धति का प्रयोग इस आर्डिनेन्स के अन्दर किया गया है। पहले एक नोटिस दिया जायगा जो जबर्दस्ती कब्जा करने वाला है उसको। डाकखाने के जरिये से नोटिस दिया जायगा। नोटिस पाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है किसी नियुक्त अधिकारी के पास अपनी बात सुनाने के लिये जिसका कि पूरा मौका उसे होगा, तो वह अधिकारी एक तरफा फैसला कर देगा, सारे कागज देखकर। फिर भी एकतरफा फैसला किसी कचहरी या अदालत का हो जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके बाद वही कोर्ट गौर करे। इसमें है कि आदमी नोटिस सर्व होने के बाद भी हाजिर नहीं होता है और उज्रदारी नहीं है और वह काज उसी कोर्ट को शो करता है कि इस कारण से हाजिर नहीं हो सका तो उसके सुनने के बाद वही कोर्ट फिर अपने फैसले को उलट भी सकता है ।

साथ ही साथ आगे इस आर्डिनेन्स में यहां तक छूट दे रखी है कि अगर कोई उस अधिकारी के फैसले से त्रस्त हुआ है तो गुंजायश है कि वह दूसरे कोर्ट में जा सकता है और किसी दूसरे जज को निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह तमाम बातें यह साबित करती हैं कि कितने न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर, कितने डेमोक्रेटिक तरीके से इस आर्डिनेन्स की ड्राफ्टिंग की गयी है और सरकार ने जिस तरीके से लागू किया है उससे भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ने वाला है प्रदेश पर कि जिससे कोई हायतोबा मच जायगा। कोई हायतोबा मचने वाला नहीं है, यह मैं माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसकी आलोचना की है विश्वास दिलाता हूं। मैं समझता हूं कि चाहे विपक्ष के लोग हों और चाहे इस पक्ष के सभी इस इश्यू पर तो सहमत होंगे ही कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर ले तो उसको बेदखल होना चाहिये। इसके साथ ही साथ अगर कहीं पर कोई फसल खड़ी हो सार्वजनिक भूमि पर या कोई इमारत है तो तानाशाही तरीके से फैसले के बाद उसको गिरा दिया जायगा या जब्त कर लिया जायगा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यह भ्रम, शक या सुबहा किसी के दिमाग में हो तो मैं कहता हूं कि इसको पढ़ लें। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। किसी जमीन को अगर कोई प्राधिकारी यह ठहरा दगा कि उसका कब्जा जबर्दस्ती है और उसको बेदखल होना चाहिये तो फिर उसके बाद अगर कोई इमारत उस पर खड़ी है या फसल उस पर है तो उसके लिये एक निर्धारित अवधि के भीतर उसको हटाने के लिये नोटिस दी जायगी। तो इन बातों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि यह आर्डिनेन्स किसी तरह से भी गलत लाया गया है। इससे किसी को परेशान करने की बात नहीं हो सकती। इसका तो सिर्फ इतना मतलब है कि जनता के हित में, सार्वजनिक हित में इसको करने की जरूरत है और हमारे माननीय माल मंत्री जी ने यह आर्डिनेंस राज्यपाल जी के जरिये से निकाला है वह बहुत ही काफी प्रगतिशील है और काफी विचारशील है।

श्री राजनारायण—काफी क्रांतिकारी आर्डिनेन्स है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्रांतिकारी तो मैंने इसे नहीं कहा। यह प्रगतिशील है। हम यह भी समझते हैं कि थोड़े समय के बाद यह बिल की शकल में सदन के सामने पुनः आयेगा और उस समय सारे सदस्य इस पर विचार करके इसको पास करेंगे। मैं माननीय राजनारायण जी से इसीलिये विशेषकर आग्रह करूंगा कि आज नाजायज कब्जा लोग कर लेते हैं यह आम टेंडेंसी हमारे प्रदेश में है। एक साहब ने गांव समाज की मिसाल दी और एक साहब ने दूसरी मिसाल भी दी। मैं समझता हूं कि जहां पर जबर्दस्ती का सवाल आता है जिसमें कुछ बल होगा, जो शक्तिशाली होगा दूसरों से वही कब्जा कर सकेगा, उस शक्तिशाली के खिलाफ जो जबरदस्ती करने वाला शख्श होगा उसके खिलाफ सरकार यह कार्यवाही करने जा रही है। सबकी इसमें शिरकत होना चाहिये। बिल की सूरत में यह बहुत जल्दी आने वाला है। ज्यादा डिस्कशन न हो तो अच्छा है। बहुत सीधा सादा और हार्मलेस आर्डिनेन्स यह है और इसे पास कर लिया जाय। माननीय सदन से और विशेष कर माननीय राजनारायण जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह उन्हीं गरीबों के हित में है जिनकी हम और वे सदैव दुहाई दिया करते हैं। इन शब्दों के साथ जो विरोधी पक्ष के द्वारा इसको उलटने का प्रस्ताव आया है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और इस प्रस्तुत आर्डिनेन्स का मैं समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपने उधर के बैठने वाले माननीय कांग्रेसी सदस्यों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था लेकिन उन्हें सुनकर मुझे मायूसी हुई और ऐसा लगा कि शासन में जो लोग रहते हैं उनको शायद न तो पढ़ने की जरूरत होती है, न रेलेवेंसी से उनका कोई संबंध होता है। जिस चीज का वे हम पर आरोप लगाते हैं कि हम आर्डिनेन्स से संबंधित कोई चीज बोलते नहीं तो मैं समझता हूं कि यह बात उन पर ज्यादा आयद होती है। बहुत से भाइयों को यह पता नहीं है कि यह आर्डिनेन्स है या बिल है ?

इन बातों में ज्यादा न पड़ कर मैं मंत्री जी से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि अगर सरकार की जमीन पर कोई कब्जा करे तो उसके साथ बहुत ज्यादा रियायत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी साथ ही साथ मैं मानता हूं कि सरकार उनको उन्हीं साधनों से बेदखल करे जो कि उसने जनता के लिये सुलभ किये हैं। स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट नाम का एक केन्द्रीय सरकार का कानून है। उसकी दफा ८ और ९ के मुताबिक किसी शख्स को नाजायज कब्जे से बेदखल किया जा सकता है और कई दफायें हैं उनके मुताबिक बेदखल किया जा सकता है और सरकार कब्जा ले सकती है। जब ये सुविधायें सार्वजनिक जनता को भी प्राप्त हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार विशेष अधिकारों का प्रयोग क्यों करना चाहती है ? जिस अधिकार को वह जनता को नहीं दे सकती और जिस जनता को वह राजा कहती है उस चीज को वह अपने हाथ में भी न ले और जो कानून है उसका ही प्रयोग करे। असल बात यह है कि अधिकारियों द्वारा उसका ठीक एक्जिक्यूशन नहीं हो पाता।

ला डिपार्टमेंट की बहुत सी बातें कही गयीं। माननीय उबैदुर्रहमान ने ला डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। मुझे अफसोस है कि जो बातें इधर से कही गयीं उनकी गहराई में उधर वाले नहीं जा सके। यह बात निर्विवाद है कि ला डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ नुक्स अवश्य है। यहां पर सदन में एक नेम प्लेट लगी है---कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल। तीन साल होने को आये हमें कभी उनके दर्शन होने को नहीं आये। एक सीट खाली उनके लिये रख दी गयी है इसलिए कि वे आयें और जब कानून की पेचीदगियां हों, कोई ग़लती कानूनी राय की बाबत हम करें या कानून का इंटरप्रिटेशन ठीक न हो सके, कोई कानून हम लोग बना रहे हों और गलती कर रहे हों तो वे हमको सलाह दें। राजनारायण जी ने कौन सी गलत बात कही कि कन्हैयालाल जी का जिक्र मिनिस्टरों के इलेक्शन पेटीशन लड़ने की बाबत अखबारों में पढ़ा था वैसे वे आज तक यहां आये नहीं। एक सीट खराब की जा रही है। ये गलतियां इसीलिये हुआ करती हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जो मौजूदा अर्डिनेन्स है इसकी भाषा को देख कर घबराहट होती है। इसके मेमोरेंडम को अगर आप देखेंगी तो इसके सेकेंड पैरा में यह लिखा हुआ है :—

"The competent authorities also were bound to follow the ruling and it was apprehended that all pending proceedings against tresspassers would be dropped."

हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है। natural बात है कि मातहत अदालत उसे माने। लेकिन सरकार को यह डर लग गया कि मातहत अदालतें हाईकोर्ट की रूलिंग को मानेंगी और मुकदमें सब खत्म हो जायेंगे। यानी सरकार यह चाहती है कि हाईकोर्ट की कुछ भी रूलिंग हो लेकिन मातहत अदालतें और कम्पीटेंट अथारिटी मनमानी किये जायं, आर्डिनेन्स के बल पर। आखिर यह रूलिंग हाईकोर्ट की बेंच की है जिसमें दो जज थे, एक जस्टिस गुरटू और दूसरे जस्टिस राय। उन्होंने बहुत सोच समझ कर रूलिंग दी। अब उस रूलिंग के ऊपर एक आर्डिनेन्स लाने के माने यह हुए कि सरकार उस फैसले को अन्डरमाइन करना चाहती है। आज हाईकोर्ट के जजेज एक फैसला करते हैं तो कल को एक्सट्रा-आर्डिनरी मेजर्स से गवर्नमेंट उस फैसले को रद्द करने की कोशिश करती है। इससे हमारे Judges की प्रतिष्ठा दिन पर दिन गिरती जा रही है। यह कोई शोभा की बात नहीं है। इस फैसले में लिखा है:—

"Their lordships observed. Even if we are of the view that a quasi-judicial procedure is provided under the impugned section of the Act, we must hold the Act to be unconstitutional because it provides no reasonable basis for classification under Article 14 of the Constitution."

यानी संविधान की धारा १४ के खिलाफ़ यह बात है। धारा १४ कहती है कि सभी को न्याय के मामले में बराबरी का हक है। उनके बीच में पक्षपात नहीं होगा। आगे चल कर माननीय न्यायाधीशों ने रूलिंग में जिक्र किया है एक तो गवर्नमेंट प्रेमिसेज ऐक्ट, १९५२ का है और एक १९५३ का है लैंड के सिलसिल में। अब इन ऐक्ट्स में जो लैक्यूना मेरी नाकिस राय में हाई कोर्ट ने पाया वह यह था कि अगर कोई आदमी अनधिकृत प्रवेश किये हैं, ट्रेसपासर जिसे कहते हैं, ऐसे वह रहता आया है, जमीन या मकान में, और उसको कंपीटेंट अथारिटी ने नोटिस दिया और उसके जवाब में उसने हक का कोई सवाल उठाया तो कम्पीटेंट अथारिटी को वह मामला जुडिशियरी को रेफ़र करना पड़ेगा और अगर कोई दूसरा नुक्स रहा तो उसे वही कम्पीटेंट अथारिटी स्वयं करेंगी। तो एक ही प्रापर्टी पर दो अलग-अलग अथारिटीज उसका फैसला करें यही इन-इक्वेलिटी बिफ़ोर दि ला है और इसीलिये उन्होंने इसको अल्ट्रावायरस करार दिया। इतना ही नहीं, सन् १९५३ का ऐक्ट जो कि हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दिया उसको अगर आप देखें तो उसमें एक जिक्र यह आया है—

"Whereas it is expedient to provide for speedier process for eviction from Government land of persons occupying the same without authority and for recovery of arrears of rent in respect of such land."

तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि किसी खास पब्लिक पर्पज के लिये नहीं बल्कि जितनी भी सरकार की भूमि है सभी पर से ट्रेसपासर्स को जल्दी से जल्दी बेदखल करने के लिये इस ऐक्ट में जो व्यवस्था की गयी है वह वाइड स्कोप न बना कर उसे लिमिट करने की बात इसमें न हीं है, करे जैसा कि शुरुआत में कहा गया। मगर शायद आज इस मुश्किल को दूर करने के लिए कुछ चीजों का वर्णन किया गया है, जैसे :

"Whereas public land capable of being used for agricultural purposes is immediately required for planned use, rehabilitation of displaced persons, distribution amongst landless agricultural labourers, co-operative farming and other public purposes, with a view to ensure greater food production and more equitable distribution of the land".

शायद सरकार का मंशा यह है कि इन बातों को उस परिभाषा में जोड़ कर सरकार थोड़ी सी चीजों के लिए ही नया बिल लाना चाहती है, जिसका हाईकोर्ट के डिसीजन में जिक्र है, ताकि हमारा कानून बैठ जाय लेकिन इसके अन्दर सब कुछ आ जाता है जैसा कि बस्ती के माननीय सदस्य ने फरमाया, "मैंने इसको पढ़ा तो ऐसा लगा कि इस परिभाषा के अन्दर सब कुछ आ जाता है"। उधर के एक माननीय सदस्य ने कुछ इशारे में एक बात कही थी ठीक है सरकार का मंशा कुछ और है। वह यह है कि इस कानून के बहाने से यह सारी जमीन लोगों को बेदखल करके ले ली जाय और इस जमीन को कुछ लोगों को लालच के रूप में कोआपरेटिव फार्म बनाने के लिये दिया जाय। एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में हम लोग कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं करेंगे दूसरी तरफ एक टेढ़े-मेढे तरीके से, छिपे तौर से, लोगों को बेदखल करके, यह भूमि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए जो लोग राजी हों उनको देना कहां तक उचित है? प्रदेश में जब कि ९० प्रतिशत जनता सहकारी खेती के खिलाफ है तो इस तरह से कानून के शिकंजे में डाल कर, जेल का दरवाजा दिखा कर, सहकारी खेती को सफल बनाना गलत बात है। इससे नागपुर का सिद्धांत और सरकार की घोषणा थोथी हो जाती है कि हम जबर्दस्ती नहीं करेंगे। जबर्दस्ती का श्रीगणेश इससे हो गया है। आर्डिनेन्स में कहा गया है कि जगह छोड़ने का दस दिन का नोटिस दिया जायगा। लेकिन नोटिस किस तरह से तामील होगा? बाई-पोस्ट। चाहे दफ्तर के क्लर्क ने भेजा हो या न भेजा हो, नोटिस की तामील समझी जायगी। सहकारी कृषि के ज्वलंत उदाहरण स्वरूप शान्तिपुरी का गांव है। वहां पर कुछ लोगों को जमीनें अलाट हुई थीं। उसमें लोगों ने सहकारी खेती करने से इन्कार कर दिया। उनसे गुस्सा हो कर सरकार ने उनके खड़े घरों को जला दिया। हलद्वानी तहसील के अन्दर यह बातें हुई हैं। उनको अपनी प्रापर्टी हटाने की इजाजत नहीं दी गई। यह हालत है। इस तरह से सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग लोगों पर लादना चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फैसले में उन्होंने यह कहा है कि :—

"It cannot be said that there is any indication in the Act to suggest that the procedure laid down in the Act is to be availed of only in the case where expeditious recovery is desired with a view to the planned use of the land or because of public interest."

मैंने पहले अपने इस प्वाइन्ट के सपोर्ट में यह बात कही और यह फैसला पढ़ कर सुनाया।

इसके अलावा कुछ बातें उधर से कही गईं। उधर वालों का ख्याल है कि इस बिल के अन्दर इशारा किया गया है कि पहले कुछ ऐसी ताकत नहीं थी कि कम्पिटेन्ट अथारिटी के अलावा कोई जुडिशियल आदमी इसके मुताल्लिक फैसला दे सके। इसमें अगर आप देखें तो पहले ऐक्ट में यह दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा न हो पहले के ४ के प्राविजो (२) में यह दिया हुआ है कि :—

"If any person refuses or fails to comply with any requisition under sub-section (1) the competent Authority may in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 7 of the U. P. Government Premises Rent Recovery and Eviction Act, 1952, order his eviction from the Government land and if the order is not complied with.....the words Government land had been substituted."

अब सन् १९५२ के ऐक्ट के मुताबिक क्या हो रहा है? गवर्नमेंट प्रेमिसेस रेन्ट रिकवरी ऐक्ट में जो बात दी हुई है उससे यह जाहिर है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाय तो क्या किया जायगा। इसमें यह है कि :—

"Where an objection is made on the ground that the premises in question are not Government premises the competent Authority shall make a reference to the District Judge stating the facts of the case including facts showing that the premises are Government premises."

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

यानी हक (title) का प्रश्न उठने पर डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में वह बात चली जायगी और वहां पर जिस तरह से वे जजेज मामूली मुकदमा सुनते हैं उसी तरह से इसका फैसला होगा। अब यह देखना है कि यह पुराना ऐक्ट अल्ट्रावायरस क्यों हुआ ? तो उसके लिये यह बात है कि इसमें दो किस्म की कम्पीटेन्ट अथारिटी की बात कही गयी है। कम्पीटेन्ट अथारिटी डिप्टी कमिश्नर है। जब एक केस प्राइमा फेसी निश्चित हो जाता है तो उस आदमी को नोटिस उसकी तरफ से दिया जाता है। अब यह बात मानने की है कि जो भी कम्पीटेन्ट अथारिटी होगा वह सरकार का नौकर ही होगा। सरकार एक चीज लेना चाहती है तो उसने घोषणा कर दी और सरकार के मुताबिक वह हाकिम काम कर देता है। पहला (preliminary) आर्डर करने के पश्चात् वह सरकार के मुताबिक दूसरा आर्डर भी बेदखली का कर देता है, क्योंकि वह दबा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बस मैं खत्म करता हूं। यदि इस तरह से बात होगी तो फिर नए कानून के भी रद्द होने का डर रहेगा।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस अध्यादेश की इस बहस में तो जाना नहीं चाहता कि आया अध्यादेश लाना डेमोक्रेसी में ठीक है या गलत। अगर किसी सरकार को अध्यादेश लाने की जरूरत होती है तो हमें कानून को पास करने में जिस ताकत की जरूरत है उसी ताकत से अध्यादेश द्वारा ही पास कराया जाता है। बहरहाल मुझे सिर्फ इसमें बोलने की एक ही वजह से प्रेरणा हुई और वह यह है कि मैं यह मानता हूं कि जब लोग कानून तोड़ा करते हैं तो उसे आंकने के दो एटीट्यूड होते हैं। एक तो पुलिस स्टेट का एटीट्यूड होता है जिसमें सिर्फ यह देखा जाता है कि चूंकि इन लोगों ने हमारे कानून को तोड़ा और इसलिये इनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन इसके अलावा, जब एक वेलफेयर स्टेट का कानून टूटता है तो उसका एक दूसरा नजरिया भी होता है। वह उसी चीज को एक लचीली नजर से देखती है कि कानून तोड़ने के पहले कानून तोड़ने की पृष्ठ भूमि क्या थी और इस कानून तोड़ने से कानून तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है या नहीं और उनके काम से समाज का नफा हो रहा है या नुकसान। मुझे थोड़ा सा जाती तजुर्बा है कि किन हालात में लोग इन जमीनों पर गये और अगर आप एक कानून से इन सब को नापेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुतों के साथ इंसाफ नहीं हो पायेगा। बहुतों के साथ इंसाफ होगा भी। लेकिन बहुत से ऐसे केसेज हो सकते हैं कि जिनमें आप इंसाफ न दे पायें।

अभी मैंने कांग्रेस बेंचेज की तरफ के एक मित्र के विचार सुने। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इस से फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, छोटे तबके के लोगों को फायदा होगा और उनकी हिफाजत के लिये यह अध्यादेश लाया गया है। मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है। बिजनौर जिले में ५०० केसेज फारेस्ट के दायर हुए। जिन लोगों ने जमीनें तोड़ीं उनमें से किसी के पास ७,८ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। जब प्राइवेट फारेस्ट खत्म हुए तो जमीन की तलाश में आम लोगों ने इस जमीन को तोड़ा। हमारी तरफ से प्रेरणा थी कि जो टिलर आफ दि स्वायल होगा वह जमीन का मालिक बन जायगा और अन्न का पैदा करना एक बड़ा पैट्रियाटिक काम है। तो उन गरीब लोगों ने जमीनें तोड़ लीं और टेक्निकली आपका कानून तोड़ कर उन्होंने आपके दो प्राब्लम हल किये। जमीनें तोड़ लीं और पैदावार बढ़ाई और अब उन ५०० आदमियों पर मुकदमें चल रहे हैं। अगर मेरा निजी मामला न होता तो शायद मुझे पता ही न चलता लेकिन मुझे निजी जानकारी है इसलिये फैक्ट्स सामने ला रहा हूं। मिनिस्टर साहब को चाहिये कि जब अध्यादेश पास होने के बाद आपरेशन में आये तो उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन करें। जब फारेस्ट विभाग ने उन पर मुकदमे चलाये तो २० रुपया फी आदमी के हिसाब से वकील को दिया गया, सरकारी वकील

को और दो साल से बराबर मुकदमे चल रहे हैं और आज तक फैसला नहीं हुआ । वहां दो साल से इन ५०० आदमियों का हैरेसमेंट हो रहा है और आप ताज्जुब करेंगे, मैं मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहता हूं कि जिन आदमियों पर मुकदमें चल रहे हैं उनमें से एक मैं भी हूं। एक बीघे से कम, .१३ बीघे जमीन के मामले में १५०-२०० रुपये मेरे मुकदमे में खर्च हो गये तो आप समझिये कि कितना इरिटेशन होता है लोगों को। मैंने मिनिस्टर साहब को कहा कि हमको जमीन नहीं चाहिये, लेकिन कानून यह कहता है, हम क्या करें वाली बात है और लोगों को राहत नहीं मिली। मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी माकूल बात है, सेक्रेटरी ने कहा कि माकूल बात है, कंजरवेटर आफ फारेस्ट कहते हैं कि माकूल बात है, लेकिन सारे लोगों को माकूल बात समझ में आते हुए भी मुझे राहत नहीं मिली जब तक कि हाई कोर्ट ने इसको रद्द न कर दिया। समाज मेरा कुछ ख्याल करता है, सरकारी मुलाजिम भी कुछ ख्याल करते हैं, लेकिन अगर मुझे कानून के जरा से नुक्ते में इतना हैरेसमेंट हो सकता है तो आप समझिये कि लोगों को कितना हेरेसमेंट हो सकता है। अगर आप यह दलील दें। (व्यवधान) खैर, असल में समझने की बात तो दोनों ही तरह है। जब यह पास हो जाय तो मैं चाहूंगा कि कानून का ऐप्लीकेशन ऐसा होना चाहिये कि समझ बूझकर कदम उठाना चाहिये। एक स्ट्रेट लाइन में कोई कानून नहीं रखा जा सकता। कोई लकीर खींच कर कानून का हल नहीं कर सकते, उसमें कम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, लचीला ढंग भी रखना पड़ता है। केरल के अन्दर मास स्केल पर लोगों ने कानून तोड़ा, वह नामुनासिब बात थी, लेकिन एक पब्लिक प्रेशर था। जो गवर्नमेंट कानून से रहना चाहती थी उसको उस प्रेशर की वजह से हटना पड़ा। तो इसमें प्रेस्टिज की कोई बात नहीं है।

इस अध्यादेश के आधार पर लोगों ने जो कब्जा किया है, यह टेंडेंसी बुरी है, लेकिन ऐसे जेनुइन केसेज में जहां आपकी पालिसी है कि आप भूमिहीन किसानों को जमीन देना चाहते हैं और उन्होंने जमीन ले ली है और एक खास सर्कमस्टैंसेज में ले ली है, जमींदारियां खत्म हुई, दूसरी कोई शक्ति नहीं बनी तो उस वैकुअम के जमाने में कानून तोड़ा गया। इसी तरह से हिन्दुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद लाखों आदमियों ने कानून तोड़ा है और उनसे उस बैकग्राउंड को देखकर कम्प्रोमाइज किया गया है। तो यह प्रेस्टिज की बात नहीं है।

चूंकि इसमें बिजनौर जिले का जिक्र है और वहां भी यह हो रहा है--और जगह का नहीं मालूम--लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि बिजनौर में जो वाइलेशन हुआ है उससे न कोई समाज का नुकसान हुआ है और पब्लिक इंटेरेस्ट में उन्होंने कोई नाजायज काम नहीं किया है। आप लोगों को जमीन देना चाहते हैं और फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अगर बेसिक आब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो इतना टची होने की जरूरत नहीं है। मैं आनरेबिल मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि बड़ा सहल इलाज हो सकता है। एक नुमाइंदा किसानों का, एक फारेस्ट डिपार्टमेंट का और एक सरकार का तीनों जाकर खुद आन दि स्पाट फैसला करें तो अदालत में जाने की जहमत और हैरेसमेंट भी बच जाता है और लोगों का पैसा खर्च न होता। तो अध्यादेश के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त अगर इसका जरूर ख्याल रखेंगे तो कानून के प्रति लोगों में आस्था आयेगी।

अब रही हाईकोर्ट की बात, यह तो छिपाने की बात नहीं है। मेरा विचार क्लियर है कि अगर हाईकोर्ट ने इनवैलिड किया है तो उसका ऐटीट्यूड बिलकुल टेक्निकल है। फिर उनका प्रापर्टी के बारे में जो कनसेप्ट है इंडिविजुअल की प्रापर्टी का वह अलग चीज है। उनका जो कानूनों को अल्ट्रावायरिस करने का दायरा बढ़ता जा रहा है उससे मैं डिस्एग्री करता हूं, लेकिन यहां उसका मौका बहुत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इम्प्लीमेंटेशन के वक्त इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की कानूनों के प्रति आस्था बढे। वहां खेती हो रही है,

[श्री गोविन्दसहाय]

फूड प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप उनको हटा देंगे तो कैआस पैदा होगा। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल रास्ता निकालिये जिसमें लोगों को राहत मिले न कि कानून के फेर में आकर उनकी दुश्वारियां बढ जायं। मेरा क्षेत्र तो था नहीं मगर निजी तरीके से वाकिफयत होने की वजह से मैं यह चीज आनरेबिल मिनिस्टर के सामने लाना जरूरी समझता था, इसी ख्याल से मैंने अपने ख्याल व्यक्त किये।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—महोदया, मैं प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने उधर की तकरीरें सुनीं और जहां तक सुनने में आया, कब्जा गासिबाना का बहुत जिक्र आया कि उन्होंने कब्जा गासिबाना कर लिया है, इसलिये इस अध्यादेश को ला रहे हैं जिससे उस जमीन को लें। कब्जा गासिबाना का कानून गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर कोई कब्जा गासिबाना करता है तो उस कब्जे की अदालत दीवानी फैसला देती है, अदालत माल कभी फैसला नहीं करती है। तो यह सरकार कब्जे गासिबाना को साबित भी तो करे, जब तक साबित नहीं करती है तो फिर कैसे कह देती है? एक तरफ तो कहती है कि पंजाब से सिख आये, शरणार्थी बसाये गये पंजाब के तो फिर उनको किसने बसाया, आपने बसाया। जब आपने बसाया तो गासिब कौन है। इसलिये यह कह देना कि कब्जा गासिबाना कर लिया इस वजह से जमीन छीनना चाहते हैं और ऐसा कानून बना रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे यह कर रहे हैं।

एक बात मेरी समझ में और नहीं आई कि जब सन् १९५४ में ग्राम पंचायतें बनीं थीं उससे पहले वह लोग आबाद हैं, उनकी ग्राम पंचायतें भी बनी हैं, प्रधान भी बने हैं, इतने दिनों से वह लोग वहां काबिज हैं, काम कर रहे हैं, जमीन जोत रहे हैं और लगान दे रहे हैं। आपने जमींदारी एबालिशन के बाद १९५९ में जो काबिज थे उनको अधिवासी करार दिया तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह इतने दिनों से काबिज होते हुए अधिवासी नहीं बन सके। उन्हें अधिवासी बन जाना चाहिए।

तीसरी बात यह कि आप कहते हैं कि वह जमीन गांव समाज की थी, सरकार की थी और वह जमीन इस वजह से चाहते हैं कि सार्वजनिक भूमि है इसलिये हम उसके अधिकार रखते हैं। सार्वजनिक भूमि अगर कोई गांव समाज या गांव समाज वाले किसी को दे दें तो उसको बेदखल करने का अधिकार गांव समाज को है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है गांव समाज की जमीन से बेदखल करने का या पट्टा छीनने का। आपने पंचायतों का कानून बनाया कि गांव समाज का प्रधान या भूमि व्यवस्था कमेटी उन्हें अलग कर सकती है या ले सकती है या पट्टा दे सकती है, लगान ले सकती है लेकिन सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। सरकार का कोई दखल इसलिये नहीं है क्योंकि वह तो गांव समाज की जमीन है। जब आप विधान में कहते हैं कि कोई इमारत बनी हो, ऐसी चीजें हों तो जब वह कहते हैं कि बस रहे हैं और सन् १९४७ से आये हुए हैं और आज ११ साल हो रहे हैं लेकिन आजतक वह अपनी जमीन में मौरूसी हकदार नहीं बने न मालूम आपका कैसा कानून है अपने लिये-और कानून और असामियों के लिये और कानून। कैसा अन्याय है कि आपका अपने लिये अलग कानून और पब्लिक के लिये अलग। कानून एक चीज है, न्याय एक है चाहे आपके लिये हो या पब्लिक के लिये। आप जहां हारे हाईकोर्ट में, फौरन अध्यादेश ले आये। किस लिये ले आये चूंकि आगे तो गुंजायश है नहीं। अध्यादेश लाकर कुल अख्तियार अपने हाथ में ले लिये रोने की गुंजायश भी नहीं रह गई है। जो सर्वे सर्वा जमीन का मालिक वह खुद जाकर अपील करे और मुकदमा लड़े। यानी काबिज हम, मालिक हम और हम ही मुकदमा जाकर लड़ें। जैसा कि अभी बाबू जी ने कहा कि उन्होंने एक बीघे के पीछे २०० रु० खर्च कर दिये तो खर्चा भी हमारे जिम्मे डाल दिया। यह हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। सरकार ने यह भी नहीं जाकर दर्याफ्त किया कि २० हजार एकड़ में कितने ऐसे काश्तकार हैं जो ५ एकड़, १० एकड़ या २० एकड़ के हैं और कितने काश्तकार ऐसे हैं

जिनके पास बड़ी-बड़ी जोतें हैं जो आप छीन सकते हैं। आप यह भी कहते हैं कि हम गरीबों के लिये, सहकारिता के लिये और भूमिहीनों को भूमि देने के लिये यह चीज कर रहे हैं। तो जिनके पास ५, १० या २० एकड़ है वह भूमिहीन ही हैं और उनको अलग छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो भूमिहीन हैं उनके घर न उजाड़े जायं, उनको न हटाया जाय और ऐसे लोगों की फेहरिस्त अलग कर देनी चाहिए। ऐसी सूरत में आप उसकी भी जांच करें। जैसा कि अभी कहा गया है, एक कमेटी होनी चाहिये। मैं भी समर्थन करता हूं कि वह कमेटी उसकी तहकीकात करे और देखे कि कितने आदमी ऐसे हैं जिन पर ज्यादा जोते हैं, दो जगह जोत रहे हैं, उनसे निकाले। आपके पास उद्यम है नहीं तो इनको बेरोजगार मत करो। एक बात और नोट कर लो। जो आप सहकारिता करने जा रहे हैं और इन भूमिहीनों की भूमि छीन रहे हैं, तो सहकारिता वालों को भी खयाल हो जायगा कि हमसे भी जमीन ऐसे ही छीनी जावेगी। पब्लिक में यह बात फैल जावेगी कि जब १२ साल के बसे हुए लोगों को ही सरकार ने निकाल दिया है तो सहकारिता वालों को भी निकाल सकती है। गांवों में लोगों का ऐसा खयाल हो गया है कि जमींदारी तो छीनी लेकिन अब धरती भी छीनने को फिरते हैं। मैंने जिला कमेटी के सामने रखा कि हम तीन भाई हैं, एक के १० बच्चे दूसरे के ५ और तीसरे के २ हैं। इनकी सहकारिता बना दो। तो हमारे डेवलपमेंट अफसर ने बताया कि हमारे भतीजे के १० बच्चों को वह मजदूर लगा देंगे और मजदूरी देंगे। तो मैंने कहा कि इन लड़कों से पूछो कि ये मेरी मजदूरी करेंगे। ये लाठी मारेंगे और कहेंगे कि नहीं। जब तक मैं इनको मालिक नहीं बनाऊंगा कि तुम्हारा १७ वां हिस्सा है तब तक वे सहकारिता के लिये राजी नहीं होंगे। सरकार योजना के साथ कोई रूप रेखा नहीं रखती है। सहकारिता का राग गा रही है और भूमि छीन रही है लेकिन सहकारिता की रूप रेखा कोई नहीं है। पहले बड़े-बड़े आदमियों की अपनी सहकारिता करो, छोटों की सहकारिता बनाने चले हो।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीया अधिष्ठात्री महोदय, इस अध्यादेश का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि हम समर्थ हों तो भूमिहीनों और बेकारों की समस्या हल करने के लिये सारी सरकारी जमीन उनमें वितरित कर दी और दूसरे भी जो उपाय आवश्यक हों उन्हें करने के लिये भी हमें एक भी कदम पीछे नहीं हटना चाहिये। कई माननीय सदस्यो ने उनकी आड़ में इस अध्यादेश का विरोध करके एक सेंटीमेंटल अपील की है। यदि हमें समाज का निर्माण करना है और आधार भूत सिद्धांतों की रक्षा करना है तो आवश्यक है कि हम अनियमित और ऐसी छीनाझपटी को जिससे लालेसनेस पैदा हो, रोकें। आखिर, अध्यादेश के कारणों में ही कहा गया है कि विशेष तौर से चार-पांच जगह ही २०,००० एकड़ जमीन इस तरह से सरकार की कुछ लोगों ने तोड़ ली और उसको दबा लिया। मैं मानता हूं इस अन्न के संकट के समय में अन्न के अधिक उत्पादन को देखना एक बहुत आवश्यक कार्य है लेकिन उस अन्न के उत्पादन के लिये हमें और दूसरे नियमित साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। १९५३ में एक ऐक्ट बना था। उसका केवल यह लक्ष्य था कि हम ऐसी अनधिकृति भूमि को उनसे निकाल कर बेदखल करें और इस कार्यवाही के लिये एक लम्बी परिधि, जिसका कि उल्लेख माननीय गोविन्द सहाय जी ने किया कि अधिक व्यय न हो इसलिये एक समरी ट्रायल रखा जाय लेकिन हाईकोर्ट ने उसको अवैधानिक करार दे दिया। अनेक केसेज जो अनधिकृत भूमि को छुड़ाने के लिये किये जा रहे थे उनको सरकार को वापस लेना पड़ा। यह मैं मानता हूं कि, ह्यूमेनीटेरियन बातों पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये और कभी कभी तो मैं कहा करता हूं और मेरा निजी विचार तो ऐसा है कि जितने भी सरकारी फार्म हैं, जो अनप्रोडक्टिव आधार पर चल रहे हैं, उनकी जमीन को हमें भूमिहीनों को दे देना चाहिये तथा कोआपरेटिव बेसिस पर उनको चलाने का

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार के अनेक साधन हैं जिनसे हम उस समस्या का हल कर सकते हैं । मैं समझता हूं यह अध्यादेश उन सब बातों से संबंध नहीं रखता है जिसके संबंध में बहुत से इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा है । हां, एक बात अवश्य है । माननीय मंत्री जी से हम यह कह सकते हैं कि वह इस अध्यादेश का उपयोग करते समय सब मानवीय प्रवृत्तियों को ध्यान रखें । उनके बारे में ऐसी हिदायतें भेंजें जिससे उन लोगों को ज्यादा हार्डशिप न हो और जो निरपराध लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो । मैं समझता हूं, हमारे माननीय मंत्री जी का इधर बहुत ध्यान रहता है, वे अवश्य इस ओर ध्यान देंगे इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता, महोदया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विधान सभा के सचिव के द्वारा सरकार के पास हमने एक चिट्ठी भेजी थी कि सरकार बताये कि इस अध्यादेश को जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी और उसके पीछे कौन-कौन आधार थे कि १५ जुलाई को उसे यह अध्यादेश जारी करना पड़ा जब कि २७ जुलाई को यह सदन बैठने वाला था । उत्तर सरकार से नहीं मिला । इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि की बेदखली और लगान की वसूली अधिनियम, १९५३, २४ अप्रैल को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया ।

मैं जानना चाहूंगा कि २४ अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, करीब ढाई महीने का वक्त गुजर गया । इस ढाई महीने में सरकार को कोई परेशानी नजर नहीं आयी और ढाई महीने के बाद जब कि १२ दिन में ही सदन बैठने वाला था उतने ही दिनों में सरकार को इतनी परेशानी महसूस हुई कि अगर यह आर्डिनेन्स जारी नहीं करती तो शायद उसका दीवाला पिट जायगा । महोदया , मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आर्डिनेन्स बहुत नाजुक वक्त में बहुत बड़े काम के लिये लाना चाहिये । क्या नाजुक वक्त था, क्या बहुत बड़ा काम था ? मैं जानना चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री इस पर कुछ अपनी रोशनी दें ।

जो व्याख्यात्मक ज्ञापन है उसमें इसका आधार बतलाया गया है कि कुछ व्यक्ति जिनकी तादाद भी ज्ञापन में नहीं है, २० हजार एकड़ जमीन जो गांव समाज की है, कुछ खातेदारों की है, कुछ वन विभाग की है, उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिये हैं । मैं माननीय माल मंत्री के मुकाबले में कानून ज्यादा तो नहीं जानता हूं लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा ११५-सी है जिसमें गांव समाज को अधिकार है ऐसे किसानों को बेदखल करने का, खातेदारों को पूरा अधिकार है बेदखल करने का । धारा २१२ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी गयी है कि गांव समाज की ऐसी जमींनों पर किसी ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया हो तो उसे इस धारा के अनुसार बेदखल कर दिया जाय प्रतिकर दे कर । जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में इस तरह की धारायें हैं तो फिर यह आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं थी और फिर १२ दिन के लिये आवश्यकता नहीं थी । महोदया, १२ दिन में जब कि सदन बैठने वाला था और यह बात भी सही है कि सरकार को उतनी परेशानी नहीं महसूस करनी चाहिये जब कि उसका विशाल बहुमत है । विशाल बहुमत के साथ-साथ जब कि श्री रामप्रसाद जी, श्री रमेशचन्द्र जी और श्री गोविन्दसहाय ऐसे लोग उसकी संस्तुति करने वाले सदन में मौजूद हैं तो फिर काहे की घबराहट थी ? ऐसे आर्डिनेन्स और कानून जो सदन में आयेंगे क्या सरकार उनको अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं पास करा सकती है ? सरकार जिस चीज को चाहती है उसको पास कराती है ।

माननीय माल मंत्री जी को याद होगा कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५३ में जब आया था, यदि उस समय की कार्यवाही को देखी जाय तो ज्ञात होगा कि उस समय भी इधर के बैठने वालों ने इस बिल का विरोध किया था । लेकिन सरकार तो अपने पावर के मद में दूसरे की राय का कोई खयाल ही नहीं करती । इसीलिये

उसका परिणाम है कि ऐसे मामले में भी सरकार को हीनावस्था का समय देखना पड़ता है। मैं माननीय मालमंत्री जी से कहूंगा कि जब उच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनियम रद्द कर दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दाखिल हो चुकी है जिसका फैसला दो-चार महीने या साल भर में होने वाला ही है तो फिर इस अध्यादेश के लाने की घबड़ाहट ही क्या थी? यदि कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया तो फिर सारे बेदखल हो जायेंगे। यदि उसने कानून को रद्द करार दिया तो सारे के सारे किसान बेदखल हो जाते और आपको यह आर्डिनेन्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती और सदन के ऊपर जो इतना रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है उससे भी सरकार की बचत होती।

इस आर्डिनेन्स के लाने पर पर कहा गया है कि जो जमीन छीनी जायगी उसका समुचित तरीके से वितरण होगा, और उसको सार्वजनिक कामों में लाया जायगा। यही नहीं उसको विस्थापित लोगों में फिर से बांटा जायगा, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटा जायगा, सरकारी खेती की जायगी और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये इसकी तुरन्त आवश्यकता है। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा और वह बतायें कि यह जो २०,००० एकड़ जमीन है वह कितने लोगों के कब्जे में है और कितने वर्षों से है और उनके परिवार में इस समय कितने व्यक्ति हैं? और यदि यह बात सही है कि इन जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग शरणार्थी हैं और यह बात सही है कि वह उसी वक्त से हैं। यह भी सही है कि सारी भूमि गांव समाज और खातेदारों की है तो फिर सरकार को परेशान होने की क्या जरूरत थी? अगर छोटे-छोटे किसान हैं और दस-पांच एकड़ जमीन है तो उनको बेदखल कर के फिर भूमिहीनों को सहकारिता खेती के लिये जमीन उन्हीं से निकालकर उन्हीं को देने की क्या जरूरत थी। हमें तो सन्देह होता है कि ऐसा तो नहीं है कि यह लोग सरकार के विरोधी हैं, ऐसा मालूम होता है कि सरकार के जो यह कारनामे हैं वह इसीलिये हैं और जो यह ४-५ आर्डिनेन्स जारी किये गये हैं वह इसी उद्देश्य को लेकर जारी किये गये हैं। उद्देश्य यही मालूम होता है कि जो विरोधी हैं या जो संस्थायें सरकार की विरोधी हैं उनके कब्जे से जमीन निकाल कर अपने समर्थकों को दी जाय।

माननीय विभव जी ने कहा कि ऐसे अध्यादेश का विरोध नहीं करना चाहिये। बड़ा अच्छा होता, सरकार को धन्यवाद मिलता और हम नहीं बल्कि प्रदेश के करोड़ों नर-नारी जिन के पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है, बैठने को घर भी नहीं है। वह सरकार को आशीर्वाद देते अगर इस प्रकार का कोई अध्यादेश सरकार द्वारा जारी किया जाता कि जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है उनसे लेकर वह उन लोगों को दी जायगी जो भूमिहीन हैं। परन्तु ऐसी चीज के लिये सरकार की हिम्मत नहीं है और न नियत ही है। उनकी नियत तो यह है कि कुछ लोगों के हाथ से जमीन छीन कर अपने लोगों को दी जाय। सरकार के लिये यह शोभा की बात नहीं है। माननीय गोविन्द सहाय जी चले गये, मुझे उनकी दलील को सुनकर बड़ी हंसी आई। अध्यादेश लागू हो गया, सदन में उस पर विचार भी हो रहा है और वह माल मंत्री जी से पंचायत करने को कहते हैं, अब क्या मंत्रिमंडल के सदस्य पंचायत करेंगे, अब न्यायाधीश का फैसला होगा या पंचायत होगी? उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आर्डिनेन्स लागू हो गया और अब वह सदन में विचारार्थ पेश है तो अब वह पंचायत कैसे करेंगे? ऐक्ट बन जाने के बाद में मंत्री जी को या सदन को अधिकार नहीं होता फिर तो न्यायाधीश के द्वारा ही उसका फैसला होता है। मैं बहुत अदब के साथ माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और सब से बड़ा नाम या यश यदि वह कमाना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी एक ऐसा कानून लायें कि जिन के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है वह उनसे लेकर भूमिहीनों को दी जाय और उनके द्वारा सहकारी खेती कराई जाय, विस्थापित लोगों को जमीन दी जाय इस प्रकार के कानून का हम हमेशा समर्थन करने को तैयार हैं।

माननीय रामलखन मिश्र ने तो कहा कि इस अध्यादेश का समर्थन न करना तो नागरिकता का विरोध करना है और अराजकता फैलाना है। शायद वह नहीं जानते कि नागरिकता या

[श्री रामसुन्दर पांड़ेय]

अराजकता शब्द का प्रयोग कहां करना चाहिये। २०,००० एकड़ जमीन किन लोगों के हाथ में है इस की कोई चर्चा अध्यादेश में नहीं है, अगर वह मालूम हो जाता तो हम लोग अंधेरे में नहीं रहते। अगर बताया जाता कि यह २० व्यक्ति या ४ व्यक्तियों के पास है जो बड़े-बड़े किसान हैं उनसे छीनी जा रही है तो कोई हर्ज नहीं था, अगर हम अंधेरे में न रखे जाते तो शायद हम भी उनका समर्थन ही करते, लेकिन वह चीज नहीं है। सही बात तो यह है कि बहुत से किसानों के पास सैकड़ों हजारों एकड़, २०-२० हजार बीघा तक जमीन है जब कि इस प्रदेश में लाखों और हजारों किसान ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। ऐसे किसान जो विस्थापित हैं जो छोटे-छोटे हैं उनके हाथों से सरकार जमीन छीनकर अपने मनोनुकूल तरीके से वितरण करना चाहती है यह ठीक नहीं है।

मैं कहूंगा कि यह आर्डिनेन्स जारी करना ही अराजकता है और नागरिकता के खिलाफ है। आर्डिनेन्स जारी वहां होना चाहिये जहां के लोग नागरिक न हों और कानून कायदे को न मानते हों। इस प्रदेश के लोगों में तो कायदे कानून की पाबंदी इतनी होती है और सरकार इतना उनसे कराना चाहती है जितना वह खुद नहीं करती है। जो सरकार खुद कायदे कानून की पाबन्दी न करे, जो खुद स्वार्थान्ध हो और ऐसे कानून बनाती हो जो सर्वहितकारी न हों और जिसके साथ के सत्ताधारी लोगों के हाथ में २०-२० हजार एकड़ तक जमीन हो वह अराजकता स्वयं नहीं फैला रही है तो क्या है? मैं निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाय और माननीय प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन किया जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लैंड एविक्शन आर्डिनेन्स, १९५९ के सम्बन्ध में जो विवाद चल रहा था वह मैंने सुना। इसको सुनने से ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत कुछ जो बातें हैं वह मनोवैज्ञानिक हैं। आर्डिनेन्स क्यों जारी हो गया। सदन २७ जुलाई से बैठ रहा था तो १६ जुलाई को क्यों आर्डिनेन्स जारी हो गया इस प्रश्न को माननीय पांडेय जी ने और दूसरे साथियों ने उठाया। आर्डिनेन्स क्यों जारी होता है इसके पीछे थोड़ा अंग्रेजों के समय का इतिहास है जब कि अपने यहां प्रजातांत्रिक शासन न था और जब विदेशी सरकार थी तब आर्डिनेन्स बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। इसके पीछे एक मनोभावना होती है। बहुत इमर्जेंसी हो तो वह निकल सकता है। मैं समझता हूं कि आर्डिनेन्स किसी भी स्थिति में कितने ही निकल सकते हैं अगर आवश्यकता उनकी हो। इस अध्यादेश में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर उस पक्ष के लोग महसूस करते हों कि आवश्यकता आ गई थी तो असेम्बली दो तीन दिन पीछे बैठी या पहले बैठी यह कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं रह जाता। मेरे पास अंग्रेजी की प्रतिलिपि है मैं उसमें से पढ़ता हूं। १९५३ का जो ऐक्ट था हाईकोर्ट ने उसको अवैधानिक करार दिया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है:

"The object of this enactment was to provide for a summary procedure for the ejectment of and realization of dues from persons who occupy Government land without authority. At present about 20,000 acres of Government land (including forest land) in the districts of Naini Tal, Rampur, Pilibhit and Bijnor is in unauthorized occupation of Rai and other Sikhs who were classified as criminal tribes in the erstwhile Punjab."

तो इस तरह से अनअथराइज्ड लैंड जो २० हजार एकड़ इन जिलों में है जिनका जिक्र इसमें किया गया है। तो ऐसी भूमि है और साथ ही साथ ऐसी भी भूमि है गांवों में---जैसे मैं अपनी कांस्टीटुयेंसी की ही बात कहता हूं कि जहां ८०, ८० एकड़ भूमि दो-तीन गांव सभाओं में है।

श्री प्रतापसिंह---यह आपके जिले में आपकी कांस्टीटुयेंसी की बात तो नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं तो उसी प्रसंग में कह रहा हूं। आप तो चाहते हैं कि Advocate General आयें और आपको कानून पढ़ायें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रमपूर्ण विचारधारणायें ही हैं जिनके कारण ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं। तो यह सही है कि कुछ कारणवश सार्वजनिक भूमि किसी और के कब्जे में पड़ी हुई है और कानूनी दिक्कतें हैं जिसके कारण सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पहले का जो १९५३ का कानून था वह अवैधानिक कहा गया है। जो खामियां उसमें थीं उनको दूर करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया। सार्वजनिक भूमि को अधिकृत करने के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिये यह अध्यादेश लाया गया। यह मान लिया गया है कि सहकारी कृषि करके उत्पादन बढ़ेगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक हो गया है कि उस भूमि पर कब्जा न कर के उसका हम वितरण करें। सरकार कोई फार्म्स अपनी तरफ से खोलने नहीं जा रही है। सार्वजनिक हित के लिये यह कानून बनाया गया है। लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था थी जब हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक करार दिया तो उसके बाद ही यह आवश्यकता थी कि इसको लाया जाता लेकिन विधि विधान बनाने में देर लगती है।

अब यह कहा जाता है कि क्यों कानून गलत बना तो हर कानून का विकास होता रहेगा, बुद्धि का विकास होता रहेगा। ज्यों-ज्यों मनुष्य के विचार परिपक्व होंगे तो कानून में भी विकास होता रहेगा। गोविन्दसिंह विष्ट जी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का हम अनादर करते हैं, लेकिन हमने तो इसका आदर किया है, हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसका हमने आदर किया लेकिन साथ ही साथ प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए हमने अध्यादेश जारी किया क्योंकि कानून उसी वक्त बनाना कठिन था, ४–५ महीने बनाने में लग जाते हैं—इस बीच में क्या परिस्थिति पैदा होती— उस परिस्थिति का सामना करने के लिये, सार्वजनिक हित के लिये एक दिन की भी देरी करना उचित नहीं था। लिहाजा जो तर्क दिया गया वह ठीक नहीं है। फिर ५–६ हफ्ते में बिल आ जायगा सदन के सामने उस समय इस पर विचार किया जा सकता है। इसलिये आर्डिनेन्स और १६ तारीख के बारे में जो एतराज हैं वे ठीक नहीं हैं। ये तर्क मेरी समझ में नहीं आते। इनका क्या आधार है?

अध्यादेश में पेज ३ पर क्लाज ३ ए है उसको मैं पढ़े देता हूं :—

"Where public land is in unauthorized occupation of any person and the public authority is of the opinion that the same is required for one or more public purposes of this Ordinance, it may by notice in writing call upon him to show cause, within the period specified therein, not being less than 10 days from the date of service thereof, why an order of his eviction therefrom in accordance with the provisions of this Ordinance be not passed."

इसमें कहा गया है कि जो पब्लिक लैंड हो जो अनधिकृत अधिकार में हो तो उसको नोटिस दी जायगी और १० दिन के अन्दर उससे जवाब मांगा जायगा कि उसको पब्लिक लैंड से बेदखल क्यों न कर दिया जाय। जहां पब्लिक लैंड को उसमें व्यवस्था की है वहां डिस्ट्रिक्ट जज के सामने या जो काम्पीटेंट अथारिटी हो उसके सामने दोनों पक्ष अपने तर्क भी भेजेंगे। किसी कानून की क्षमता और उसकी उपयोगिता इसी आधार पर आंकी जा सकती है कि उसमें समानता का व्यवहार हो, उस कानून को उत्तम मानते हैं। जब किसी जमीन पर कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में हो सकेगा कि वह सार्वजनिक हित के लिये है या नहीं। इस अध्यादेश में इस प्रकार की व्यवस्था है तो फिर कहां किसी का हित हनन हो रहा है? किस के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है? सम्पत्ति रखने में कहां किसको रुकावट है? अगर कोई न्यायालय में जा सकता है निर्णय लेने के लिये तो फिर इसके मानी यह हैं कि हमने कानून की सत्ता मानी है और कानून के सामने सभी विधान विधियां उसके अन्तर्गत आती हैं। इसलिये जब हाई कोर्ट के जज को अधिकार दे दिये तो फिर इसमें गैर इन्साफी का प्रश्न कहां आता है?

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

एक धारा और है जिसकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज ४ पर धारा ५ है। उसमें यह है कि अगर कोई ऐसी भूमि है जिसके बारे में यह झगड़ा है कि सार्वजनिक है या नहीं, तो वह मामला भी जज के सामने जायेगा और वही निर्णय करेगा। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकार और सम्पत्ति की सुरक्षा है। इसके बाद धारा ७ है। मैं समझ नहीं पाया कि आर्डिनेन्स जारी करने में क्या आपत्ति है। अध्यादेश है इसलिये बुरा है, १६ तारीख को जारी हुआ इसलिये बुरा है, लेकिन इसकी मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता थी या नहीं। क्या सार्वजनिक भूमि को ऐसी ही अनाधिकृत लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाय? एक कानून जो इस सदन ने अपनी शक्ति के अनुसार बनाया था उसकी क्षमता समाप्त हो गयी। अब ऐसी स्थिति में क्या चुपचाप बैठा रहा जाय, अप्रैल से अब तक कोई कार्यवाही न हो और आगे भी कुछ न हो? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह के तर्कों से अध्यादेश के अनुपयुक्त होने की बात सिद्ध नहीं होती। उसकी अनावश्यकता दिखायी जाती तो मैं समझता। अगर कोई उपयोगी काम है और आर्डिनेंन्स से हमने जल्दी कर लिया और सदन के सामने स्वीकृति के लिये रख दिया तो कौन-सा गलत काम किया? इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---आज हम इस अध्यादेश के औचित्य पर विचार कर रहे हैं। हमारे सामने दोनों ओर से बहस होती रही और मैंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। यह अध्यादेश १५ जुलाई को लागू हुआ। इन १२ दिन के बीच में क्या ऐसी मियाद निकल रही थी कि जो ट्रेसपासर्स हैं जिन्होंने अनधिकार चेष्टा से कब्जा कर लिया है उनको कानून के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त हो रहा था? अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो इस अध्यादेश का कोई सेन्स नहीं रह जाता कि १५ जुलाई को यह जारी हो जब कि २७ जुलाई को हमारे सदन की बैठक होने जा रही है।

अब इस अध्यादेश के अन्दर हमको कुछ कारण दिये गये हैं जिनके कारण इसे जारी किया गया है। उन कारणों को देखने से पता चलता है कि उनमें एक दूसरे से विरोधाभास है। इसमें लिखा है :---

> "इस समय नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत तथा बिजनौर के जिलों में लगभग २० हजार एकड़ सरकारी भूमि, जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है, राय तथा अन्य सिखों के अनधिकृत कब्जे में है जिनका वर्गीकरण भूतपूर्व पंजाब की आपराधिक जन-जातियों, क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में किया गया था।"

ये जातियां क्रिमिनल ट्राइब्स में हैं और इनके पास कोई खेती के साधन नहीं है। फिर अध्यादेश के दूसरे पृष्ठ पर यह दिया जाता है-- कि भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों में यह बांटी जायगी। इन दोनों बातों में एक विरोधाभास टपकता है। इस अध्यादेश का जो मतलब है उससे प्रत्यक्ष है जो क्रिमिनल जातियां हैं उनके पास जमीन रहना आवश्यक मालूम पड़ता है। दूसरे नीचे कहा गया है कि व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति संकट में पड़ जायगी। जब हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिला बुलन्दशहर में एक जहान डाकू है उसको पकड़ने के लिए पांच-छः साल तक हमारी पुलिस को भागना पड़ा तब जाकर जहान डाकू मारा गया। तो अगर क्रिमिनल ट्राइब्स के सैकड़ों आदमियों को बेकार बना देंगे, तो हम कितनी पुलिस इन क्रिमिनल ट्राइब्स के पीछे लगाएंगे? यह बहुत विचारणीय है। अगर हम उनको कोई दूसरा काम दे दें तो उनसे जमीन छीनना कुछ मानी रखता है वरना हमें एक स्पेशल पुलिस इन आदमियों के लिए तैनात करनी पड़ेगी। अगर कुछ आदमियों को समय से अधिक कब्जा होने के कारण कुछ अधिकार प्राप्त हो रहे थे तो उसके लिए बिल ला सकते थे और जैसा कि हमने जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था विधेयक में व्यवस्था की थी अगर चरागाहों या सार्वजनिक भूमियों का जमींदारों ने पट्टा कर दिया था तो चाहे वह १९४६ या १९४८ में हुआ हो, उनको हम

वापस ले सकते हैं, वैसे ही जिन काश्तकारों ने ट्रेसपास किया था या पट्टे की मियाद खत्म होने से उनका अनधिकार कब्जा था उनके लिए वैसा ही कानून बना सकते थे। इस अध्यादेश के लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उन्होंने कोई मकान बना लिया था तो दीवानी में जाकर बेदखल करा सकते थे। आज सरकार अपना माल रखती नहीं और और चोर को गाली देती है। उसको चाहिए कि वह सतर्क रहे। वह देखे कि हमारी जमीन पर कौन काबिज हो रहा है।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज हाईकोर्ट के फैसलों की भी मान मर्यादा रखनी चाहिए। उसकी मान मर्यादा के खिलाफ जाने के सरकार ने विभिन्न तरीके बना रखे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं तो इस अध्यादेश के लाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इन्तजार करते। हम यह देखते हैं कि जिनका कब्जा बहुत पहले से चला आ रहा है और महीने दो महीने में इससे कुछ बन और बिगड़ नहीं सकता था तो ऐसी सूरत में इस अध्यादेश को लागू नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने अभी भूमि को तोड़ना शुरू किया उसके लिए जाब्ता फौजदारी में गुंजायश है। उसके अन्दर उनको सजा भी करवाते और जमीन भी लेते। ऐसा कुछ नहीं किया गया और माननीय गोविन्दसहाय जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर दो वर्ष से मुकदमा चल रहा है। तो केवल यह हैरेसमेंट करने के लिये कानून है। क्यों उसका जल्दी फैसला नहीं होता? डेवलेटरी सूट भी चलता तो उससे भी निर्णय हो जाता कि यह जमीन ट्रेसपासर्स के पास रहनी चाहिए या नहीं। इन बातों को सामने रखते हुए इस अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। साधारण तरीके से बिल आता जिस पर पूर्णरूप से विचार होता और सदन अपनी सम्मति प्रकट करता। जो ट्रेस्पासर्स हैं उनसे जमीन छीननी चाहिए और ठीक-ठीक प्रबन्ध करना चाहिए।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत अध्यादेश के विरुद्ध और अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जहां तक इस अध्यादेश का अर्थ समझता हूं वह यह कि सरकार की इस परिभाषा में और उसके अच्छे अच्छे शब्दों में हमारे माननीय सदन के सदस्य सभी इधर-उधर उतरा रहे हैं। मैं यह समझता हूं सरकार तो यह कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ से इसका मतलब है, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि न तो यह सार्वजनिक भूमि के लिए है, न खातेदारों के लिये है और न यह अन्न उत्पादन के लिये है। मेरा मतलब यह है कि यह केवल शब्दजाल है जिसको दिखाकर सरकार नाजायज तौर पर अध्यादेश के रूप में इस सेशन में कानून पास कराना चाहती है। सरकार इसके जरिये से एक निश्चित व्यवस्था करना चाहती है। लेकिन इसके पहले वित्त मंत्री साहब ने काबिज इन्दराज करके, अधिवासी करके, सीरदारी देकर यह सब सुधार कर लिया और जो बाकी बचा है उसको मौजूदा वित्त मंत्री महोदय सुधार करना चाहते हैं। अब मैं उस लाइन की तरफ आता हूं जो इस अध्यादेश के कारणों में गिनाये गये हैं। उसमें यह कहा गया है कि कुछ लोगों ने जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया है किन्तु सरकार की तरफ से उसका वर्गीकरण किया गया है और इसके साथ-साथ अब वह गांव समाज की जमीन पर और कुछ खातेदारों की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं और उनका कब्जा किया जाना बढ़ता जा रहा है जिससे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है तो उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। उसके कारण ही यह अध्यादेश जारी किया गया। इसके सम्बन्ध में जब आप देखें तो जो परिभाषा इसमें की गई है उसमें यह कहा गया है कि सार्वजनिक भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी हो जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो किन्तु उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो कि उस समय १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

१९३९ के अधीन राज्य सरकार के किसी खातेदार के पास हो। तो खातेदार तो उसमें चला गया। यहां पर वह उसमें लगान नहीं देता। जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में गांव समाज में निहित हो गयी ह। अब अध्यक्ष महोदय, यह तो साफ है कि यह अध्यादेश दो प्रकार की भूमि पर लागू नहीं होगा। कृषि के लिये और सार्वजनिक भूमि के लिये यह कहा गया है कि यह अध्यादेश है लेकिन इससे उत्पादन बढ़ाने की बात कही गयी और उसके लिये जमीन निकलेगी २० हजार एकड़। मुझे खेद है कि सरकार की कोई भी योजना भूमि के बारे में नहीं है और न ही इससे शान्ति व्यवस्था की बात हो सकती है और न ही इससे उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही किसानों को अधिकार भी नहीं मिलेगा। इस सरकार को यहां पर १२ साल हो गये और बराबर संशोधन आये लेकिन भूमि के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं आई। यह भी इसी प्रकार से है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा यह दावा है कि यह लोग ट्रेसपासर नहीं हैं बल्कि सरकार ने एक ढंग से इनको बसाया था। आज उनको उजाड़ने के लिये यह अध्यादेश लाया गया है और उसी जौम में इसकी परिभाषा लिखी गई है। मैं उसको पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सदस्य को यह अध्यादेश पास नहीं करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि यह भूमि-व्यवस्था बिना मतलब की है। आपको चाहिये कि इस सारे अध्यादेश को समाप्त करके फिर से भूमि के बारे में उत्तर प्रदेश के लिये एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसके अन्दर उत्पादन हो सके और किसानों को भूमि पर अधिकार मिल सके। बेदखली से राहत मिल सके और उनमें शान्ति स्थापित हो सके, एक ऐसा कानून लाय जो सारे प्रदेश में समानता का अधिकार देते हुए एक-सा हो।

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी तोड़ते-तोड़ते वह जमींदारी उन्होंने छोड़ दी कि जो शहरों में है। कुमायूं जमींदारी विनाश बिल अभी पड़ा हुआ है, उसका पास होना बाकी है, लेकिन इसी बीच में यह आर्डिनेन्स आ गया जो केवल २०,००० एकड़ के लिये है। मैं फिर अपनी बात दोहराते हुए कह रहा हूं कि यदि भूमि के सम्बन्ध में आपके पास कोई योजना हो तो आप उसे यहां लाइये। किस प्रकार के लोगों ने वहां कब्जा कर रखा है। यदि उनके पास और जमीन नहीं है तो उनको बेदखल करने से क्या फायदा। आप कुछ सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं और उसके लिए बिल सदन में आयेगा तो उसी के मुताबिक आप यहां पर व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको १०, २०, २५,५० एकड़ छोड़ दी जाय और बाकी को बेदखल कर दिया जाय। अगर जमीन भूमिहीनों को बांटी जायगी और वे अगर भूमिहीन हैं तो उनको बेदखल करने से क्या फायदा। अगर सार्वजनिक भूमि के नाम से वह भूमि है तो उस पर उनका अधिकार जरूर नहीं रहना चाहिये, लेकिन जमींदारी विनाश ऐक्ट, १९५० हमारे सामने है। उसमें कहीं भी सार्वजनिक भूमि की व्यवस्था नहीं है। उसमें यह भी कहा गया है कि वैसी भूमि जो टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के मुताबिक किसी खातेदार के पास है या जमींदारी विनाश ऐक्ट, १९५० के मुताबिक किसी खातेदार के पास है वह सार्वजनिक भूमि में नहीं आयेगी। सरकार ने एक ऐक्ट पास किया कि ८ अगस्त, १९४६ के बाद का पट्टा नाजायज समझा जायगा जो किसी सार्वजनिक भूमि के बारे में हो। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा यदि आप इस अध्यादेश से सार्वजनिक भूमि की रक्षा करना चाहते हैं और उस भूमि को नहीं लेना चाहते हैं कि जो किसी खातेदार के पास है, तो पट्टा की हुई जमीनों का क्या होगा? बीच में जिन जमीनों का पट्टा किया गया है उन पर लोग हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं और वह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि यह सार्वजनिक भूमि है या नहीं है। तो यह गलती किसकी है? न तो उस समय सरकार के सामने इसका कोई नकशा था और न आज है। आप कहते हैं कि १३ जमन, १४ जमन या १५ जमन की भूमि सार्वजनिक हैं चाहे पट्टा पहले का हो या बाद का, यह सार्वजनिक भूमि मानी जायगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। सार्वजनिक भूमि की न कहीं कोई परिभाषा है और न कोई रेकार्ड किसी पटवारी के कागज में ही मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल

शब्दजाल है और लोगों को धोखे में बहका कर नाजायज तौर पर ऐक्ट पास करा लेना है बहुमत के बल पर। तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस अध्यादेश को कतई पास न करे और इसके लिये मंत्री जी से आग्रह है कि वह इसको वापस करते हुए यदि आप अन्न की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, सहकारी खेती करना चाहते हैं, भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं तो सारे प्रदेश के लिये एक-सा ऐक्ट लायें। उसका हम समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने श्री मदन मोहन का नाम पुकारा)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस समाप्त की जाय।

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव को श्री मदनमोहन के भाषण के बाद लिया जायगा ।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर दो आक्षेप किये गये हैं। मैं इसकी वैधता के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। एक तो यह कहा जाता है कि इस अध्यादेश द्वारा सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि हाईकोर्ट की मान और मर्यादा का संरक्षण न हो या उसके ऊपर आघात होता है। दूसरा आक्षेप यह है कि १५ दिन पूर्व इस सदन की बैठक के यह अध्यादेश निकाला गया। इसकी क्या उतावली थी? जब १५ दिन के अनन्तर इस सदन की बैठक होती तो उसमें यह विधेयक रूप में उपस्थित हो जाता। श्रीमन् मैं बहुत ही नम्रता से अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि यह अध्यादेश हाईकोर्ट की मान और मर्यादा को सामने रखते हुए, उसका आदर करते हुए इस सदन में लाया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि अनुच्छेद १४, संविधान के अन्तर्गत तुम्हारा बना हुए ऐक्ट अल्ट्रावायरस है। अब अल्ट्रावायरस क्यों है, उसके सम्बन्ध में भी उस निर्णय में संकेत है, उसी के अनुसार हमने इस अध्यादेश को बनाया है। श्रीमन् मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि किसी के निर्णय का आदर करना, संविधान का सन्मान करके उसके अनुकूल अपना कोई कानून बनाना क्या उस व्यक्ति या उस संस्था या हाईकोर्ट के प्रति अनादर प्रकट करना है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

दूसरी बात जो कही जाती है वह यह है कि इस अध्यादेश को तुम लाये हो जब कि १२ दिन के अन्दर इस सदन की बैठक होने जा रही है। क्या मेरे मित्रों ने इसमें जो मेमोरेंडम लगा हुआ है उसको पढ़ने की कृपा की? अगर पढ़ा है तो इसमें श्रीमन् स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनन्तर, काम्पीटेंट अथारिटी विवश हो गयी है कि, जो मुकदमें दायर हो चुके हैं, उनको खारिज करें और साथ ही साथ, जो जज के यहां सरकार के विरुद्ध अपीलें हैं, मंजूर हो रही हैं, इस कारण से कि हाईकोर्ट का एक निर्णय इस कानून के विरुद्ध हो चुका है। अब हमारे मित्र सोचें कि इस स्थिति को रोकने के लिए और कौन-सा तरीका था बजुज़ इसके कि एक आर्डिनेन्स द्वारा हम अपने कानून को सुव्यवस्थित करें । और क्या हो सकता था? हमारे मित्रों का यह ख्याल है कि २७ तारीख को सदन बैठता, सम्बोधन माननीय राज्यपाल का हो जाता उसी वक्त बिल आ जाता, उसी वक्त सदन उसे पास कर देता और वह परिषद् में चला जाता। वहां से भी पास होकर चला आता। राज्यपाल उस पर अपनी संस्तुति भी दे देते। ये सब बातें दो दिन में हो जातीं। अगर उनका ऐसा विचार है तो मेरा निहायत अदब से निवेदन होगा कि वह स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं और हम लोगों को भी भ्रम में डालना चाहते हैं। जिनको इस सदन का अनुभव हो वह यह कहें कि एक ही दिन में विधेयक लाकर कानून बन जायगा, एक असम्भव बात को सम्भव बतलाते हैं। श्रीमन्, मैं इसको यही कहूंगा कि यह एक जबर्दस्ती का सौदा है। हमें समझ लेना चाहिए कि वह अपीलें और मुकदमें, जैसा कि हमारे मित्र गोविन्दसहाय जी ने कहा कि सैकड़ों और हजारों मुकदमें इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, वह सब खारिज होते और फिर हजारों मुकदमें दायर होते। यह कौन-सी अक्ल की बात होती? जो मुकदमें, गोविन्दसहाय जी ने कहा है कि दो-दो साल से चले

[श्री मदनमोहन]

हैं क्या उन मुकदमों को समाप्त करके फिर से वही कार्यवाही करना और दो-दो साल तक फिर नये मुकदमें चलाना उचित होता ? तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो आक्षेप है वह गलत मालूम होता है।

अब हमारे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। यह गलत तरीका है कि आप, जो कब्जा किये हुए हैं उनको निकाल रहे हैं और बेरोजी कर रहे हैं। श्रीमन्, यह उपदेश कांग्रेस गवर्नमेंट को दिया जाता है जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सन् १९४५ से लेकर बराबर १८० के मुकदमों को स्थगित किया और उन गासिबों का संरक्षण किया जो कि नाजायज तरीके से काबिज थे। सन् १९४७ में एक ऐक्ट बना जब दो साल तक १८० के मुकदमें स्थगित थे। उसके बाद जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट आया उस वक्त भी हमने यह कानून बनाया कि १३५६ में चाहे किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, जिसका भी नाम किसी कागज में दर्ज होगा वह बेदखल नहीं हो सकता। उसके फौरन बाद एक ऐक्ट ३१ आफ १९५२ आया जिसमें प्रोवाइड किया गया कि १३५९ से जो व्यक्ति काबिज होगा, चाहे उसका अधिकार रहा हो या न रहा हो, उसको बेदखल नहीं करेंगे। तो प्रत्येक प्रयत्न कांग्रेस की तरफ से हुआ कि हम उन व्यक्तियों को उस भूमि पर रखें कि जिसको वह जोत रहे हैं। आज हमें यह उपदेश दिया जा रहा है कि आप इन बातों को नहीं समझते। श्रीमन्, एक सीमा होती है कि जिसके अन्दर कानून इस प्रकार का, जिस प्रकार के कि हम बना चुके हैं, बनाया जा सकता है। यदि आप हाईकोर्ट, इलाहाबाद और चीफ कोर्ट अवध की नजीरें उठा कर देखें, तो उसमें यहां तक कह दिया गया है कि १८० के काश्तकारों को बेदखल न करना और जमींदारी का हक उनको बेदखल करने का न रखना, नानजुरिस्ट ऐक्ट है, यह वैधानिक दर्शन के प्रतिकूल है, यह उनका मत था किन्तु कानून के द्वारा हमने १८० के काश्तकारों को कायम रखा। तो मेरा अपने मित्रों से निवेदन है कि बेकारी के नाम पर अगर हम इस प्रकार की जबर्दस्ती सहन करें, तो कल को यह बहस हो सकती है कि चोरी की है, भूखा था इस वजह से चोरी का कानून हटाओ, डाका डाला, सम्पत्तिहीन था इस वजह से इस कानून को हटाओ। ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें अपना कानून एक सभ्य देश का कानून बनाना है।

आप कहते हैं कि बेहद बेरोजगारी हो जायगी। श्रीमन्, इसमें स्वयं दिया हुआ है। इस अध्यादेश का मंतव्य यह है कि हम अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न पूरा करें। तो यह क्यों सोचा जाता है कि हम इस कानून को लागू करने पर भी, इस भूमि की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं करेंगे जो कि हमारे प्रदेश और प्रदेश के लिये लाभकर होगी। मेरी शंका यह है कि यह गलत बहस इस आधार पर की जाती है जैसे कि श्रीमन्, इस सूबे में एक समय विदेशी मूर्ति हटाने के सम्बन्ध में बहस उपस्थित की गई थी। कहा यह जाता था कि हम विदेशी मूर्तियों को हटाने के लिये जुटे थे, आप भी तैयार थे कि मूर्तियां हटाई जावें। तो हमने उसके लिये अगर आन्दोलन किया, तो उसमें क्या गुनाह किया। उसी वजन से आज बहस की जाती है। मेरा निवेदन है कि किसी सभ्य देश में कानून को नहीं तोड़ा जाता, जो नेचुरल जस्टिस है जो प्राकृतिक न्याय है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिये।.उसकी परम्परा हमारे यहां नहीं कायम होनी चाहिये और अगर ऐसी परम्परा कायम हो जाती है तो मैं समझता हूं फिर समाज की सुव्यवस्था नहीं हो सकती, दुर्व्यवस्था हो सकती है। तो मेरा निवेदन था कि जो बहस यहां की गई है वह कुछ अनुपयुक्त-सी मालूम होती है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह माननीय मंत्री जी से निवेदन है। इस में नोटिस देने का जो तरीका दिया हुआ है वह यह है कि डाक द्वारा दिया जायगा। उसके साथ-साथ एक बात और लिखी है और वह यह कि, उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे तरीके से भी जिनके सम्बन्ध में सरकार नियम बनायेगी। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि नियम बनाते समय, इस बात का ध्यान रखा जाय कि नोटिस डाक द्वारा भेजी जाय और ऐसी व्यवस्था हो कि विपक्षी परेशान न हो। इसका ध्यान रखना परमावश्यक है

हैं। अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह भी एक ज्यूरिस्टिक उसूल है। हमारे मित्रों ने कहा कि सरकार ने दुनिया भर के लिये बेदखली की तीन साल की मियाद रखी है और अपने लिये कोई मियाद नहीं है। इस संबंध में कदाचित मुझे अपने मित्रों को विस्तार के साथ समझाना पड़ेगा कि मियाद का क्या मतलब है और गवर्नमेंट और साधारण जनसमुदाय में क्यों अन्तर रखा गया है। किन्तु इसका समय नहीं है। संक्षेप में संसार में जितने भी सभ्य देश हैं, जितने भी देश कानून बनाने वाले हैं, वहां प्रत्येक देश में सरकार की व्यस्तता को देखते हुये यह निश्चय कर लिया गया है कि सरकार को बमुकाबले अन्य साधारण व्यक्तियों के अवधि अधिक दी जाती है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। आज एक है, कल दूसरी है। उसका अधिकारीवर्ग तब्दील होता जाता है। ऐसी दशा में अवधि के नियम संसार में ऐसे बनाये गये हैं और उन पर आज आक्षेप करना गलत है।

हमें इस अध्यादेश को केवल इसलिये स्वीकार करना चाहिये कि इसमें वे समस्त सिद्धांत जिनका सन् १९५३ में इस सदन में प्रतिपादन किया गया था, उनका समावेश है। केवल एक गलती को जो माननीय हाई कोर्ट ने बताई, उसे हमने ठीक कर लिया। कोई कारण नहीं कि उसके सिद्धांतों पर आज बहस हो। जब विधेयक आवेगा तो सदन के सदस्यों को अधिकार होगा कि उसका विरोध करें।

इन शब्दों के साथ मैं अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष ने श्री प्रतापसिंह का नाम पुकारा।)

***श्री प्रताप सिंह**---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन प्रस्ताव मैंने पेश किया है, पहले मंत्री जी बोलेंगे या मैं बोलूंगा ?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी अगर पहले चाहते तो बीच में बोल सकते थे, लेकिन वह एक ही मर्तबा आखिर में बोलना चाहते हैं। इसलिये आपको मैंने बुलाया।

श्री प्रतापसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के समर्थन में और विरोध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये। मैं समझता था कि विरोधी दल की बातों का उत्तर ट्रेजरी बैंचेज की ओर से आवेगा। सबसे ज्यादा मैं गोविन्दसहाय जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से समर्थन किया कि जो लोग उस जमीन में बसे हुये हैं, क्यों उन्हें कनविक्ट करते हैं। उन्होंने कमेटी का भी समर्थन किया और यह भी बतलाया कि कौन-कौन सदस्य होने चाहियें। मैं समझता था कि उनके बाद में बोलने वाले माननीय सदस्यों पर उनकी बात का प्रभाव पड़ेगा। मगर माननीय वर्मा जी के साथ मुझे हमदर्दी है कि वह सरकार के गलत केस की अच्छी तरह से वकालत करना चाहते थे। उन्होंने उस वकालत में दो बातें उठाई थी। उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस जारी करके सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले की कदर की। वीरप्रतापसिंह नाम के एक व्यक्ति को ९३ एकड़ जमीन नैनीताल की तराई में सरकार ने एलाट की जो उन्हें ५ वर्ष के लिये दी गई थी। उस एलाटमेंट के होते हुए भी खास सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसको नोटिस दिया कि २५ अगस्त को ४० ऐकड़ जमीन छोड़ दी जाय। उसके बाद उसने रिट किया। इस पर २४ अप्रैल को हाईकोर्ट का यह आदेश हुआ कि वीरप्रताप सिंह की ४० ऐकड़ जमीन लेने का सरकार को हक नहीं है तथा ऐक्ट की धारा ४ संविधान के विपरीत भी है। जो आज आर्डिनेन्स आया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

उसके द्वारा माननीय वर्मा जी जरा सोचें, हाईकोर्ट ने जिस चीज़ को संविधान के विपरीत बताया था उसी को आप आर्डिनेन्स के द्वारा समाप्त करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वीर-प्रताप सिंह को तो उसकी पूरी जमीन से भी नहीं हटाया गया था, केवल जमीन का थोड़ा-सा हिस्सा ही लिया गया था। जब कि उससे केवल ४० एकड़ जमीन देने को कहा गया तो हाईकोर्ट ने उसको भी गलत बताया। तब जबकि दूसरे किसानों की सारी जमीन ली जा रही है उनके लिये हाईकोर्ट का क्या विचार होगा। मेरा ख्याल है इस विचार को अगर वे सामने रखेंगे तो माननीय मंत्री जी की वैसी वकालत नहीं करेंगे।

बहुत से लोगों ने इस बात को नहीं बताया कि आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता थी। यह भी कहा गया कि ला-लेस-नेस बढ़ जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि २४ अप्रैल को आदरणीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ऐक्ट को गैर कानूनी बताया उस समय से अब तक यानी २४ अप्रैल से १५ जुलाई तक, जब कि यह आर्डिनेन्स जारी किया गया, उस समय तक सरकार ने जल्दी कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया और राज्यपाल जी को जल्दी आर्डिनेन्स जारी करने के लिये उसने क्यों न लिखा। अर्जेन्सी की तो केवल एक ही बात थी और वह यह कि आफीसरों ने सरकार को लिखा क्योंकि वे लोग उनसे नाराज थे। नहीं तो सरकार पहले भी राज्यपाल महोदय से आर्डिनेन्स करन क लिये कह सकती थी।

इसमें सिखों का नाम लिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका संबंध उन लोगों से नहीं है जो कि जंगलात की और जमीनों पर नैनीताल आदि में हरिजन लोग बसे हुए हैं। क्या आप इसके द्वारा उनकी जमीन को नहीं लेंगे? इस समय तो सिखों का नाम लिया जा रहा है लेकिन उस समय कहा जायगा कि यह केवल सिखों की बात ही नहीं है इस आर्डिनेन्स का, इस कानून का संबंध तो सबके साथ यकसां है। जब सरकार को अपने हाथों को मजबूत करने की बात होती तो रूल आफ ला हो जाता है लेकिन जब किसान के हित की बात आती है तो यह रूल आफ ला कहां चला जाता है? अभी खटीमा के फारेस्ट में हजारों एकड़ फारेस्ट काट डाला गया, क्योंकि सरकार को इसकी जरूरत थी। बैन्थन एक प्रसिद्ध विचारक हो गया है। उसका कहना है कि राज्य का कर्तव्य है "ग्रेटेस्ट गुड आफ ग्रेटेस्ट नम्बर," अर्थात् बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, राज्य का मोटो होना चाहिये। लकिन यह इस सरकार की किसी प्रकार से भी पालिसी नहीं है। वहां पर थारू एक ऐसी जाति है जिसके मुश्किल से २ प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं बाकी लोग बे पढ़े-लिखे हैं। वह केवल लगान देते हैं। उससे कह दिया कि प्रधान आज यहां खेत खाली है, वह वहां खेती करने लगा, कल को कह दिया आज यहां खाली है, वह वहां खेती करने लगा। वह कानून नहीं जानता, कोई लिखा पढ़ी नहीं करता, केवल लगान देता है और खेती करता है। यह आर्डिनेन्स उस पर भी लागू होगा। ये सारी चीजें बड़ी कन्फ्यूंजिग हैं। बहुत से उधर के आदरणीय सदस्य भी इस आर्डिनेन्स के खिलाफ हैं। लेकिन क्योंकि अब यह आ गया है इसलिये प्रेस्टिज का सवाल बन गया कि उसको ऐक्ट का रूप दिया जाय। अगर पहले पार्टी को कान्फीडेंस में लिया जाता तो उधर के बैठने वाले भी बहुत से लोग उसका समर्थन न करते। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये। अब उस कमेटी के सदस्य कौन-कौन हों उस के लिये माननीय माल मंत्री जी तय करें। दूसरी चीज जिसकी ओर मैंने पहले भी इशारा किया कि गवर्नमेंट का यह जी० ओ० है कि जितनी भी जमीन है पहले कुमायूं वालों को दी जायं लेकिन सरकारी अधिकारी उसका समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। दूसरे माननीय माल मंत्री जी यह भी बतलावें कि जिन काश्तकारों की जमीन ली जायगी उनका क्या बन्दोबस्त होगा? क्योंकि संविधान के अनुसार हर स्वतंत्र नागरिक का हक है कि कैपैसिटी और योग्यता क अनुसार उसे काम मिलना

चाहिये। अगर कोई खेती करने वाला है तो उसे खेती करने के लिये जमीन मिलनी चाहिये। यह कहा गया कि नैनीताल के इलाके में भी यह कानून लागू होगा लेकिन वहां तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू ही नहीं है, वहां तो, श्रीमन्, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू है। धारा १८० के अन्दर आप मुकदमा करके उनको हटा सकते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आ पाया कि बार-बार आर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ रही है। इन शब्दों के साथ सदन का अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी माननीय माल मंत्री जी को भी बोलना है, मैं चाहता हूं कि जब वे अपना स्पष्टीकरण करें तो इस समस्या को केवल आर्डिनेन्स से जोड़ने का प्रयत्न न करें बल्कि मानव दृष्टिकोण से भी इसे मापेंगे। क्योंकि यह पाकिस्तान से आये हुए हजारों व्यक्तियों का मसला है, पूरब से आये हुए लोगों का मसला है और यह चार जिलों की समस्या है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी मानवता की दृष्टि से और गम्भीरता के साथ विचार करेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है आदरणीय सदन माननीय दृष्टि से उसका समर्थन करेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अननुमोदन के प्रस्ताव पर जो तमाम दिन मेरे तमाम मित्र जो इधर बैठे हैं और उस तरफ बैठे हैं उन सब के भाषणों को गौर से सुना। मैंने देखा कि बड़ी गलतफहमी है। मैं यह कैसे कहूं, इतना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि हमारे मित्र जो इधर बैठे हुए हैं उन्होंने मेमोरेंडम को ठीक तरह से नहीं पढ़ा और मैं यह भी कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि पढ़ा और समझा नहीं, यह भी बात मेरे लिये शोभा नहीं देती। हमारे कुछ मित्रों ने कहा और खास कर हमारे दोस्त बहराइच ने कहा कि लीजिये गांव समाज के बारे में यह अध्यादेश क्यों लागू किया गया? हमारे श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने भी यही बात कही। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि न आर्डिनेन्स को पढ़ा गया है और न मेमोरेंडम को ही पढ़ा गया है।

अगर पब्लिक लैंड के डेफिनिशन को पढ़ लिया गया होता जैसा कि श्री ब्रजनारायण तिवारी जी ने कहा, उन्होंनें पढ़ा और समझा है तो साफ जाहिर हो गया होता कि गांव समाज के लैंड के मुताबिक यह आर्डिनेन्स नहीं है। ११५-सी को भी मैं समझता हूं और २११-ए को भी समझता हूं। सारे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बारे में कुछ जानकारी रखता हूं। तो यह एतराज जो किया जाता है कि इस आर्डिनेन्स को गांव समाज की जमीनों के बारे में लागू कर दिया गया है, यह एतराज बिलकुल लचर और गलत है और यह एक मिनट के लिये भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा अपने साथियों को बतलाऊं कि मेमोरेन्डम में साफ लिखा हुआ है कि यह पब्लिक लैंड, गवर्नमेंट लैंड पर लागू होगा। नतीजा उसका यह बतलाऊं कि गांव समाज की जमीनों पर जो लोगों ने कब्जा कर लिये हैं महज उनके कारनामे बतलाये गये हैं, यह आर्डिनेन्स उन पर नहीं लागू होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, यह भी कहा जाता है कि यह सिर्फ तराई में लागू होगा। अगर इसको पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि जहां-जहां भी लोगों ने पब्लिक लैंड पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, उन सब पर यह लागू होगा।

हमें समझाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, और उपदेश दिया जाता है कि ऐसा मत करो, इससे गरीब परेशान हो जायेंगे। श्री मदनमोहन जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इस सम्बन्ध की बहुत सी बातें उन्होंने कह दीं कि अगर कोई गरीब है, तो वह डाका भी डाल सकता है, चोरी भी कर सकता है और दूसरों के माल का अपहरण भी कर सकता है लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था किस सरकार के यहां हो सकती है, जो जाहे मनमाना कब्जा कर ले, जरा भी कानून का लिहाज न करे, किसी की जायदाद महफूज न हो, सरकारी जायदाद महफूज न हो, एक साहब ने कहा कि कब्जा करने वालों की शिकायत क्यों करते हो अपने माल की अपनी जमीन की निगरानी क्यों

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

नहीं करते । कैसी सिद्धान्त की बात उन्होंने कही, मेरी जायदाद है, मेरी यह किताब है मैं नहीं देखता तो उस तरफ के लोग उठा ले जायं मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं । क्या यह है कि सब भले मानुस हैं, नेकचलन हैं, लिहाजा कोई दूसरे की चीज पर नजर नहीं डालेगा । यह खयाल नहीं है कि हर शख्स चोरी करने को तैयार है । अगर ऐसा मालूम होता तो हर जगह सिपाही तैनात किये जाते और किताब को भी जेब में छुपा कर रखते कि कहीं ऐसा न हो कि कोई छीन ले जाय । इस वजह से ऐसा कहना आसान है ।

यह भी लोगों ने कहा कि यह सरकार और खास तौर से ला विभाग इतना निकम्मा है कि जो कानून बनाया जाता है वह नाजायज हो जाता है । कानून तो हमारे जायज भी हुये और नाजायज भी हुये । अभी हाल में पढ़ा होगा आप ने बहुत से जायज भी हुये । फिर हम इनफैलेबिल तो हैं नहीं, न इसका दावा करते हैं । वह तो एक खुदा है जो गलती नहीं करता, जिनका दावा हो कि वह खुदा है वह कहें, मैं तो ऐसा दावा नहीं करता, न खुदा हो सकता हूं । मैं तो कहता हूं कि एक बिल बनता है, वह सदन में आता है । उसके बाद उसको सब माननीय सदस्य देखते हैं उस में संशोधन लाने का सब को अधिकार रहता है परन्तु जब कोई बिल सदन से पास हो जाता है तब उसकी जिम्मेदारी सारे सदन की हो जाती, है वह तन्हा हुकुम सिंह की नहीं रहती । जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता, अगर गलती हुई तो सदन से हुई अकेले ला डिपार्टमेंट से नहीं हुई ।

एक सदस्य---हमारी बात आप मानते कब हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो हमेशा वह सब बात मानते हैं जो माकूल होती है ।

एक साहब ने फरमाया कि हाईकोर्ट का बड़ा अपमान किया जा रहा है । उनके नुक्ते खयाल से हो सकता है हमारे खयाल से तो कोई अपमान हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो वही लोग कह सकते हैं जिनको दुनिया का अनुभव नहीं है और कुयें के मेढक की तरह से वह तो थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं । अगर देखा जाय तो संसार में और दूसरे देशों में भी जहां सैकड़ों वर्ष से डमोक्रेसी चल रही है वहां भी कानून अल्ट्रा वायरस होते हैं हो सकता है वहां इतने ज्यादा न होते हों, हम तो अभी नौसिखिया हैं लेकिन होते तो वहां भी हैं । तो जिन की जानकारी में खामी है वही ऐसी बात कह सकते हैं, बाकी गलती सब से होती है, इस सरकार से भी हो सकती है, गलती तो दुनिया में होती है ।

वर्मा जी ने अभी बताया कि इस सरकार ने तो हाईकोर्ट की मान-मर्यादा को और बढ़ाया है क्योंकि हमने उनके संकेत को मानते हुये यह काम किया है । उन्होंने ठीक ही कहा है और इसी कारण यह अध्यादेश लाया गया है, हमने तो और उसकी पाबन्दी की है । हमने तो हाईकोर्ट की मान-मर्यादा को और बढ़ाया है ।

कहा गया कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में ट्रेसपासर्स को रिकग्नाइज किया गया लेकिन यहां सरकार ट्रेसपासर्स को रिकग्नाइज नहीं करती है । उन में और इन ट्रेसपासर्स में जमीन असमान का अन्तर है ।

क्या वह नहीं जानते या मैं नहीं जानता कि उस कानून को इस सदन में पेश करने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था । तमाम सूबे में जमींदारों ने जमीन काश्तकारों के नाम कब्जा न दर्ज करा कर अपने नाम दर्ज करा रखा था । काश्तकार काश्त करते थे, लगान देते थे और जमींदार लगान वसूल करते थे लेकिन इस तरीके से बेउनवानियां करके अपने असरात का नाजायज फायदा उठाकर उनके नाम दर्ज नहीं होने देते थे बल्कि अपने नाम दर्ज कराये हुये थे । मसलन् बस्ती जिले की एक मिसाल मैं दूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---बहराइच जिले की भी हो सकती है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वहां भी हो सकती है मैं इन्कार नहीं करता, आप घबड़ायें नहीं। अपने जिले की खामियों को मैं कभी छिपाता नहीं हूं। तो बस्ती जिले की एक मिसाल दे रहा था। वहां एक जमींदार थे। जिनके पास १० गांव की जमींदारी मुसल्लम थी। लेकिन उस दसों गांवों की एक-एक इंच जमीन पर, सीर पर उनका कब्जा दर्ज था। खुदकाश्त दर्ज था। इसी वास्ते उनको आसामी माना गया और उनको ट्रेस-पासर ठहराया गया था। क्या यहां भी वही बात है। वह नहीं है। हमारे भाई प्रताप सिंह जी ने न मालूम किस तरह से यह कहा कि गोविन्द वल्लभ पन्त की सरकार ने उनको बसाया और सम्पूर्णानन्द की सरकार उनको उजाड़ने जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो लोग ट्रेसपासर थे इनको किसी ने नहीं बसाया था और उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अगर इस ट्रेसपासिंग का रैटिफाई किया जायगा तो हम ऐसी मिसाल पेश करेंगे जो देश के लिये हानिकारक होगी।

हमारे भाई गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जब यह लागू हो तो उस वक्त देख लिया जाय कि कैसी बात है। हमारे भाई प्रतापसिंह जी के मन में खुशी हुई कि उनकी ताईद गोविन्द सहाय जी ने की है तो वे खुश हो लें, मैं उनकी खुशी में दखल नहीं देता। लेकिन सरकार की ओर से ट्रेसपासर्स को रिकग्नाइज करना नामुनासिब है।

मैं कोई बड़े सिद्धांत की बात नहीं कहना चाहता। माननीय सदस्यों की तवज्जेह उनके घरों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे भाई बहुत से और उग्रसेन जी भी शायद अपने खानदान के हेड होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जी नहीं, मैं अभी तक नहीं हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बदकिस्मती है कि आप बड़े नहीं है। हर घर में कोई न कोई कर्त्ता होता है। अब वह कर्त्ता अपने घर का इंतिजाम करता है तो बड़े सुव्यवस्थित ढ़ंग से करता है। अगर होली के त्योहार पर वह कपड़ा लायेगा तो ऐसे लायेगा कि इनका कोट बनेगा, इनका पैजामा बनेगा और अगर कोई एक थान लेकर भागे कोई दो थान लेकर भागे तो ऐसी कुव्यवस्था हो जाने पर किसी को नहीं मिल सकता है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी जो लैंड है, जो जमीन है उसकी व्यवस्था करें। जो लैंडलेस हैं उनको जहांतक हम पहुंचा सकते हैं, दें। जिनके पास कम है उनको अगर हम ज्यादा दे सकते हैं तो दें और कोआपरेटिव फार्मिग का इंतिजाम करें ताकि प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़े। और अगर लूट हो जाय तो फिर यह सारी व्यवस्था खाक में मिल जायगी। इसी वास्ते हमें इसकी जरूरत हुई।

हमारे एक साहब ने कहा कि यह जाल है, फरेब है।

One sees the reflections of his own heart, this much I can say,

धोका देना मेरा काम नहीं है। माननीय सदस्य विद्वान हैं, चतुर हैं, गुणी हैं। उनको धोका देना मेरे जैसे नाचीज के लिये नामुमकिन है और अगर करूं भी तो नाकामयाब हूंगा। जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है सबको आपने पढ़ा है और ऐसा पढ़ा है जैसे कोई रामायण पढ़ता है। एक-एक लफ्ज की व्याख्या की है। उसके बाद यह कहना कि यह जाल है तो मैं कहता हूं कि यह जाल नहीं है, यह सही व्यवस्था है।

एक शिकायत यह की गयी है कि १५ या १४ दिन पहले सेशन के क्यों आर्डिनेंन्स जारी किया गया। वाकई गलती है। माफ कीजिये। हमसे देर हो गयी। बनाने में कुछ देरी हुई और कुछ परिस्थितियों का ज्ञान करने में देरी हुई। उसमें भी कुछ वक्त लगा। तो यह भी इस बात की दलील है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

कि बिना जाने बूझे अध्यादेश को जारी नहीं किया गया। परिस्थिति का ज्ञान किया। वहां के जो गरीब हैं तूनन गूलर फारेस्ट में है। वहां सिक्खों ने जाकर तमाम जंगल काट डाला और बोक्सा कास्ट के जो लोग हैं वे उन सिक्खों के ट्रेसपासर होने के कारण बिलकुल सैंडविच हो गये हैं और भाग-भाग कर छोड़ रहे हैं। जब इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने मुनासिब ही समझा कि जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करनी चाहिये। लिहाजा हमारे भाई प्रतापसिंह जी गरीबों के लिये जो उपदेश दे रहे थे वे जानते हैं कि जब बिल लाया जाता है तो उसमें वक्त लगता है। फिर अपर हाउस में जाता है। कोई अमेंडमेंट हुआ वहां तो फिर यहां आता है, अगर वह अमेंडमेंट मंजूर नहीं हुआ तो फिर गवर्नर महोदय की एसेंट के लिये भेजा जाता है। इसमें डेढ़ महीने के करीब लग जायगा। तो वहां के रहने वाले बोक्सा जिनके साथ प्रतापसिंह जी हमदर्दी कर रहे थे इस बीच में नेस्तनाबूद हो जाते। तो ऐसी हमदर्दी वे न करें उन गरीबों का जरा खयाल करें और साथ ही इस बात का भी कि इतना बड़ा रकबा सार्वजनिक हमारा निकल गया और ला ऐण्ड आर्डर का सवाल इसके अलावा। उन गरीबों को निकाला जा रहा है जबरदस्ती, बल्लम, भाला व बर्छा लेकर सबको आतंकित करके निकाल रहे हैं। क्या ऐसी कुव्यवस्था को सरकार बर्दाश्त कर सकती है। मैं तो अर्ज करूं कि अगर बर्दाश्त करें तो हमको एक मिनट के लिये अपनी जगह पर नहीं रहना चाहिये। जब तक सरकार इस जगह पर है तब तक ला ऐण्ड आर्डर को जरूर मेनटेन किया जायगा और जबरदस्ती ढंग से जो जमीनों पर कब्जा है उनको निकालना होगा और जब उन जमींनों के लिये व्यवस्था करने लगेंगे तो जो मुस्तहक हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई ट्रेसपासर की हैसियत से काबिज है तब तक उसके कब्जे को कंसिडर करना ठीक और मुनासिब नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह---क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये विधान में नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पंजाब में पहले क्रिमिनल ट्राइब्स में थे। अब और इलाकों में भी क्राइम्स बढ़ गये हैं। कौन कहता है जो लोग वहां के मुकामी हैं वे कानों में चुपके से कह जाते हैं। सदन में नहीं कह सकते। इससे मेरी जानकारी है। हम उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे। पंजाब में थे इसका रिफरेंस देना कोई अनुचित नहीं है।

मेमोरेंडम में एक लफ्ज "अदर सिक्ख" आया है। कहा गया कहां से आया ? इस बात पर नाराजी हो तो वह भी रफा हो सकती है। राय सिक्ख, जाट सिक्ख, वीर सिक्ख, कम्बो सिक्ख ये अदर सिक्ख हैं।

श्री उग्रसेन---उनकी पुरानी हिस्ट्री जब ट्रेस की गयी है तो उन ठाकुरों की क्यों नहीं की जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं जानता हूं कि मेरी बात आपको बहुत खलती है। कोई ठाकुर जमीन का मालिक नहीं था। ठाकुर कहीं मारू होते हैं, मारू नहीं होते। बदनाम हैं और आप जैसे ही साथी बदनाम करते हैं। वहां सब तरह के लोग हैं। यह अध्यादेश लाना जरूरी था। हम नहीं लाते तो मुकदमेबाजी और हलचल मच जाती। इसलिये जहां तक अध्यादेश का ताल्लुक है उसमें सब प्राविजन्स रखे गये हैं। सबको मौका दिया है। नोटिस की भी इत्तला होगी। उसके बगैर कोई बेदखल नहीं हो सकता। मदनमोहन जी ने जो और बात कहीं तो रूल बनाते वक्त उनका भी खयाल रखेंगे और उन पर विचार करेंगे और अगर किसी को आपत्ति है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज तक के इजलास में जाने का अधिकार दिया गया है। अगर हम यह करते कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है तब तो अलबत्ता यह बड़ा गलत कानून होता। ऐसा कानून यह सरकार कभी सोच नहीं सकती। हां, खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कभी मौका मिल जाय तो आप ही ऐसा सोच सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी होगा। इसमें श्री मोतीलाल जी अवस्थी ने खंड ४ में संशोधन उपस्थित किया था। इस पर खंडशः विचार हो रहा है। (श्री मोतीलाल अवस्थी के खड़े होने पर) आप तो बोल चुके हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मुझे रेप्लाई करने का मौका दिया जाय....

श्री अध्यक्ष---अब और कोई बोलने वाला नहीं है? (कुछ देर ठहर कर) अच्छा तो आप जबाव दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपके सामने जो विधेयक है जिसके संशोधन के सम्बन्ध में मैंने कुछ संशोधन रखे हैं और जिसके सम्बन्ध में काफी विवाद सदन में पहले हो चुका है और इसके सम्बन्ध में जो विशेषतौर से दो, एक बातें कही गयी थीं उनको मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। आवश्यकता यह संशोधन रखने की थी कि जहां किसी अपराध की बात हो उस किसी अपराध के साथ यदि "अनैतिक आचरण सम्बन्धी" शब्द बढ़ा दिये जाते तो बड़ा सुन्दर होता। इसका तात्पर्य यह था कि अनैतिक आचरण सम्बन्धी अपराध ही ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में हर एक आदमी यह स्वीकार करेगा कि ऐसे आदमी को किसी प्रकार भी इन महापालिकाओं आदि स्वायत्त शासन संस्थाओं में आने का मौका न मिले। किन्तु यह अनैतिक आचरण की व्यवस्था भी करने के लिये विशेषतौर से कुछ उदाहरण दिये गये थे और यह बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में और विशेषतौर से पंचायत राज ऐक्ट में ऐसी धाराओं का उल्लेख है जिनके अन्तर्गत आचरण की बात समाविष्ट हो जाती है। उसी आशय से यह सोचा गया कि इसमें भी इन अपराधों का उल्लेख हो जाना उचित होता। लेकिन एक विशेषतौर से इस संशोधन को रख कर जो संदेह उत्पन्न होता था उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा भी गया था। वह संदेह यह था कि इस धारा के अन्तर्गत सरकार यदि चाहेगी तो राजनीतिक दलों के प्रति भी अपना रोष किसी प्रकार से प्रकट कर सकती है या बदले की भावना से अपना काम करने का तरीका बना सकती है और यह संदेह एक कोरा संदेह ही नहीं था बल्कि इसमें कुछ तथ्य भी थे। देखा यह गया है कि जब से हम एक स्वतंत्र देश के वायुमंडल में हैं उसके बाद राजनीतिक विचारशैली में कुछ परिवर्तन सा हुआ और विरोधी दलों का संगठन और उन्होंने वर्तमान सरकार के बहुत से कार्यों का न केवल शाब्दिक विरोध किया बल्कि क्रियात्मक रूप से भी विरोध किया और सत्याग्रह आदि हुये जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को जेल-यातना भी सहनी पड़ी। इस कानून के अन्तर्गत वे अपराध के दोषी माने जा सकते हैं और उन्हें महापालिका आदि ऐसी स्वायत्त शासन संस्थाओं में जाने से रोका भी जा सकता है। अतः इन सभी बातों को देखकर यह सोचा गया था कि "अनैतिक आचरण सम्बन्धी" शब्दों को रखकर हम उन राजनैतिक काम करने वालों को इससे अनर्ह कर देंगे। इसके साथ-साथ हमसे यह भी कहा गया था कि जो लोग लम्बी सजा या दो साल से अधिक सजा पाते हैं उनके हित में यह होगा। किन्तु हमने इसी आशय के विरुद्ध २ साल के स्थान पर २ मास की बात रखी थी। इन दोनों को रखने का तात्पर्य यही था कि सरकार अपने हृदय को स्पष्टरूप से हमारे सामने रख दे कि उनका विचार क्या है। आपके सामने सरकार की तरफ से

---

†१ अप्रैल, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

*२ अप्रैल, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जो विचार व्यक्त किये जाते हैं उसमें उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि यह उन्हीं विरोधी लोगों की सुविधा के लिये है। हम इस बात में विश्वास करते हैं लेकिन हमको सन्तोष होता अगर सरकार सदन में कहे के अनुसार बात करती। तब जो काम सरकार करेगी वह उसके विचारों का द्योतक नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुये हमने यह कहा था कि एक ऐसा संशोधन इसमें आना चाहिये जो उनके विचारों और भावनाओं का द्योतक हो। ऐसा करने पर इसमें सन्देह करने की गुंजायश नहीं रह जायगी। अतः अपराधी का विश्लेषण हो जाना बहुत आवश्यक है और विशेषरूप से अगर आप उस अपराध को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं जो कि अनैतिक है। तो ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। उसका कह देना ही समाज के लिये उचित होगा। इस खयाल से यह संशोधन रखा गया है। केवल कुछ शब्द बढ़ाये गये हैं। उसका विस्तार नहीं किया गया है। केवल अनैतिक आचरण की बात रखी गई है जो इस बात की व्यवस्था करते हैं कि समाज में इन अपराधों को हमेशा अपराध माना जाता है। इस धारा से यह स्पष्ट हो जायगा कि अनैतिक अपराधी के लिये कहां तक समाज में स्थान है। इसी खयाल से आपके सामने यह संशोधन रखा गया है जो बहुत ही उचित है। पिछले सदन में इस संशोधन पर बहुत बहस हुई थी और सदन ने इस बात पर जोर डाला था कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है। यह इसलिये भी विशेषरूप से आवश्यक है कि जो राजनैतिक दल सरकार के विश्वास में नहीं है उनके लिये भी यह आवश्यक है कि वह अपनी स्थिति को समझ सके और यह जान सके कि राजनैतिक क्षेत्र में लड़ने वालों के साथ सरकार की तरफ से क्या व्यवहार हो सकता है और उनकी पोजीशन क्या है। यदि इस प्रकार का यह एक संशोधन इसमें समाविष्ट कर दिया जाय तो इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी.....

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि अभी आप कुछ और समय लेंगे? आप केवल रिपीट कर रहे हैं। आप बहस तो कर चुके हैं। मैं समझता हूं आप ५ मिनट में खत्म कर देंगे?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——श्रीमन्, हमको एक मुकदमे में जाना है।

श्री अध्यक्ष——वह ५ मिनट में ही समाप्त कर रहे हैं। ५ मिनट हम और अधिक बैठेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी——मैं यह कहने जा रहा था कि इसकी अवधि २ साल के बजाय २ मास रखी गई है। इसमें लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं कि यह क्यों कहा गया है इस अनैतिक आचरण के सम्बन्ध में, किन्तु इस सम्बन्ध में जो कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाय जो कम से कम २ महीने से अधिक की अवधि के लिये दंडित किया जाय या किसी छोटे दंड के लिये दंडित किया जाय तो उसको हम अलग करना चाहते हैं। उसको एक अनर्हता के अन्दर नहीं लाना चाहते हैं। उसके २ साल के स्थान पर २ मास रख रहे हैं। मैं इस सदन से विशेष-रूप से आग्रह करूंगा कि जो अनर्हता की धारा है उसमें इसका समावेश रहना आवश्यक है। हम उन अराजनैतिक आधार पर की हुई अपराधों की बातों को इसमें नहीं लाना चाहते हैं बल्कि उन अपराधों की सजा बुरी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "किसी" तथा शब्द "अपराध" के बीच में शब्द "अनैतिक आचरण सम्बन्धी" रख दिये जायं तथा पंक्ति ३ में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो मास" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ——)

पक्ष में——२९,
विपक्ष में——१४५।)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना यह है कि २७ जुलाई, १९५९ को विधान सभा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए ५ सदस्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए ५ सदस्य तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिए २ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये थे। इन निर्वाचनों के सम्बन्ध में मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :—

१—नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—७-८-५९ को सांयकाल ५ बजे तक।

२—नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—८-८-५९, दिन के १२ बजे (सचिव के कमरे में)

३—नाम वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—१२-८-५९ को सांयकाल ५ बजे तक।

४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में—१७-८-५९ को १२ बजे से ५ बजे तक।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ. . . ५७० . . . पर)

नगरपालिका वाराणसी के ग्रेजुएट कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पद	कार्यावधि
१	२	३	४
			वर्ष
१	नित्यानन्द सिनहा ..	.. अधिशासी अधिकारी ..	१७
२	चन्द्र बदन मिश्र ..	.. अधिशासी अधिकारी ..	१
३	गुलाम कादिर ..	.. चंगी सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२१
४	श्रीमती विद्योतमा पांडेय	.. महिला शिक्षाध्यक्ष ..	२१
५	श्रीमती विद्यावती वर्मा ..	.. अतिरिक्त महिला शिक्षाध्यक्ष	८
६	कुमारी अजीमुन्निसा ..	.. हेड मिस्ट्रेस ..	११
७	कपूर चन्द्र ..	.. लिपिक ..	८
८	शिव दत्त गुप्ता ..	.. एकाउन्ट लिपिक ..	८
९	राम यज्ञ दुबे ..	.. एकाउन्टेन्ट ..	१३
१०	राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	.. सहायक लिपिक ..	३
११	बी० एन० सिंह ..	.. ओवरसियर ..	३
१२	के० एम० खरे ..	.. केमिस्ट ..	४
१३	राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री ..	.. लिपिक ..	५
१४	पन्नालाल शास्त्री ..	.. इंसपेक्टर (राजस्व) ..	१०
१५	दुर्गा प्रसाद ..	.. ,, ..	२
१६	गनेश प्रसाद गुप्ता ..	.. ,, ..	१०
१७	बिन्दा प्रसाद ..	.. ,, ..	१ वर्ष ९ महीना
१८	जलालुद्दीन ..	.. लाईटिंग इंसपेक्टर ..	४
१९	लाल जी श्रीवास्तव ..	.. ,, ..	९
२०	शारदा प्रसाद वर्मा ..	.. टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२३
२१	आर० एन० लाल ..	.. वेरिफिकेशन आफिसर ..	१६
२२	बी० एस० चौहान ..	.. डिप्टी चुंगी सुपरिन्टेन्डेन्ट..	१५
२३	दया शंकर लाल ..	.. चुंगी इंसपेक्टर ..	१९
२४	बी० पी० मेहता ..	.. डिस्बर्सिंग आफिसर (हेड मुहर्रिर) ..	१६
२५	झूरीसिंह ..	.. हेड क्लर्क ..	२०
२६	फतेह बहादुर तिवारी ..	.. इन्वायस क्लर्क ..	३
२७	डा० एस० सी० कुंडू ..	.. मेडिकल आफिसर लेबोरेटरी	१७
२८	टी० एन० राय ..	.. सेनीटरी इंसपेक्टर ..	१०
२९	हनुमान प्रसाद सक्सेना ..	.. अतिरिक्त चुंगी सुपरिन्टेन्डेन्ट	२५
३०	नारायण दयाल सिंह ..	.. असि० टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट	२०
३१	जय कृष्ण नागर ..	.. हेड क्लर्क ..	१५
३२	राम निहोरे लाल ..	.. सर्किल क्लर्क ..	५
३३	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ..	.. ,, ..	२

क्रमांक	नाम	पद	कार्यावधि
१	२	३	४
३४	राधेश्याम पाण्डेय	सरकिल क्लर्क ..	११
३५	मोती चन्द्र शर्मा	शिक्षाध्यक्ष ..	१०
३६	अमर नाथ मिश्र	असिस्टेन्ट अटेन्डेन्स आफिसर	११
३७	हमीद अहमद	,, ,, ..	१३
३८	आर० के० शर्मा	,, ..	२५
३९	कनाई लाल	टाईपिस्ट ..	१२
४०	रघुनाथ उपाध्याय	अध्यापक ..	२०
४१	महोम्मद युसूफ प्रथम	,, ..	१८
४२	भबनाथ उपाध्याय	,, ..	५
४३	फेकन सिंह	,, ..	१०
४४	राम चन्द्र सिंह	,, ..	१२
४५	चन्द्रमा शुक्ल	,, ..	१५
४६	चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	बिल्डिग इंसपेक्टर ..	२ महीना
४७	सरयू प्रसाद सिंह	हेड क्लर्क ..	२० वर्ष
४८	शिव लाल शर्मा	चुंगी इंस्पेक्टर ..	२०
४९	राम नरेश सिंह	राजस्व इंसपेक्टर ..	४
५०	विजय प्रताप सिंह	लाइसेन्स इंसपेक्टर ..	२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७१ .....पर)

कानपुर (केसा) के मजदूरों की तनख्वाह का विवरण निम्न प्रकार है

वित्तीय वर्ष १९४७–४८

१ अप्रैल, १९५७ से १५ सितम्बर, १९५७ तक

(१) मूल वेतन १७ रु० से १९ रु० प्रतिमास

(२) महंगाई ५० रु० ५ आ० प्रतिमास। (Dear food Allowance)

१६ सितम्बर, १९४७ (केसा का राष्ट्रीयकरण दिवस) से २९ फरवरी, १९४८ तक

(१) मूल वेतन १७ रु० से १९ रु० प्रति मास तक और उस पर १२ १/२% की अन्तरिम सहायता।

(२) मंहगाई भत्ता ५० रु० ५ आना प्रतिमास। (Dearfood Allowance)

१ मार्च, १९४८ से

(१) मूल वेतन रु० ३०–१–४० के क्रम में मजदूरों का प्रारम्भिक वेतन १ मार्च, १९४८ को जितने वर्ष की सेवा थी उस पर एक रुपया प्रति वर्ष की वृद्धि देकर नियत की गई। १६ सितम्बर, १९४७ से २९ फरवरी, १९४८ तक की अवधि की १२ १/२% अन्तरिम सहायता भी मूल वेतन में मिला दी गई।

वित्तीय वर्ष १९५४–५५

(१) मूल वेतन रु० ३०–१–४० प्रतिमास के क्रम में।

(२) मंहगाई भत्ता ४० रु० १४ आना।

(३) उस दशा में जब कि किसी मजदूर को ३० नवम्बर, १९४८ को देय एकीकृत वेतन (Consolidated wage) १ दिसम्बर, १९४८ के वेतन से अधिक था, उसे इन दोनों का अन्तर वैयक्तिक वेतन (Personal pay) के रूप में दे दिया गया।

वित्तीय वर्ष १९५८–५९

(१) मूल वेतन रु० ३०–१–४० के क्रम में।

(२) मंहगाई भत्ता ५१ रुपया ८३ नया पैसा।

(३) जैसा कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ की मद संख्या की ३ में आ गया है।

(४) वे मजदूर जिनकी तनख्वाह १ मार्च, १९४८ को रु० ३०–१–४० के वेतन क्रम के अधिकतम वेतन से कम नियत की गई थी, लेकिन जो उस तिथि के बाद अपने वेतन क्रम में अधिकतम वेतन (Maximum wage) पाने लगे थे और वे उसी वेतन पर कम से कम ५ साल तक काम करते रहे, उनको एक रुपया प्रतिमास प्रथम वर्ष, दो रुपया प्रतिमास द्वितीय वर्ष, और अधिकतम ३ रुपया प्रतिमास तृतीय वर्ष के लिये वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया गया।

टिप्पणी :—ऊपर जो मंहगाई भत्ता (Dear food Allowance) दिया गया है वह Cost of leving index पर आधारित है और हर महीने घटती-बढ़ती होती रही है। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में इस मद में जो आंकड़ें दिये गये हैं वे उस वर्ष के औसत महंगाई भत्ते को सूचित करते हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७७ पर)

(१) यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ और इलाहाबाद ।

(२) आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड , आगरा ।

(३) बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, बरेली ।

(४) बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी ।

(५) अपर यमुना वैली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मेरठ ।

(६) अपर गेंजज वैली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, मुरादाबाद ।

इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित दो कम्पनियों के मैनेजर्स ऐण्ड एजेंट्स हैं :

(१) फैजाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, फैजाबाद ।

(२) जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, जौनपुर ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८-४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ अनुसूची 'क' पर)

रोहिन पुल जिला गोरखपुर पर से मोटर ट्रक से जाने के भाड़े की दर निम्न है—

	प्रारम्भिक यात्रा पर	दूसरे दिन की अर्धरात्रि तक लौट आने पर
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१—वे ट्रक जिनकी माल ढोने की क्षमता १ टन तक है—		
(क) यदि लदी हो	४ ८ ०	४ ८ ०
(ख) यदि न लदी हो	४ ० ०	१ २ ०
२—वे ट्रक जिनकी माल ढोने की क्षमता १ से ५ टन तक की है—		
(क) यदि लदी हो व आदमी ले जा रही हो ..	५ १० ०	५ १० ०
(ख) यदि न लदी हो व आदमी ले जा रही हो ..	५ ० ०	१ ६ ०
३—वे ट्रक जिनकी माल ढोने की क्षमता ५ टन से अधिक हो—		
(क) यदि लदी हो व आदमी को ले जा रही हो ..	११ ४ ०	११ ४ ०
(ख) यदि लदी न हो व आदमी को ले जा रही हो	१० ० ०	२ १२ ०

अनुसूची "ख"

(अ) रोहिन नदी को नाव अथवा पीपों के पुल द्वारा पार करने का भाड़ा जो ३० सितम्बर, १९५८ तक लागू रहा :

१—मोटर लारी व ट्रक जिनकी भार वहन की क्षमता १२ यात्रियों अथवा १ टन माल तक ले जाने की हो—

(क) यदि लदी हो .. .. ३ रुपया

(ख) यदि लदी न हो .. .. २ रुपया ४आ०

२—मोटर लारी या ट्रक जिनकी भार वहन की क्षमता १२ यात्रियों से अधिक अथवा १ टन माल से अधिक हो —

(क) यदि लदी हो .. .. .. ३ रु० १२ आ०

(ख) यदि लदी न हो .. .. ३ रु०

(ब) १ अक्तूबर, १९५८ से दिनांक १७ नवम्बर, १९५८ तक भाड़े की दरें—

१—मोटर लारी अथवा ट्रक जिनकी भार वहन की क्षमता १२ यात्रियों को ले जाने तक या एक टन माल ले जाने तक, लदी या न लदी हो या यात्रियों के सहित .. .. .. ३ रुपया ।

२—मोटर लारी अथवा ट्रक जिनकी भार वहन की क्षमता १२ यात्रियों से अधिक ले जाने या एक टन से अधिक माल ले जाने की हो, लदी या न लदी हो या यात्रियों सहित .. .. ४ रु० ८ आ० ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०८ एल० ए०—१९५९—८४५ ।